अप्रैल 2018 मासिक करेंट अफेयर्स संग्रह

प्रीलिम्स फैक्ट्स

मानव शरीर में एक नए अंग 'इंटरस्टीटियम' (Interstitium) की खोज

वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में एक नए अंग की खोज की है और इसे 'इंटरस्टीटियम' नाम दिया है। इस नई खोज की मदद से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मनुष्य के शरीर में कैंसर का प्रसार और उसके संभावित नैदानिक उपाय को समझा जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- इज़रायल मेडिकल सेंटर मेडिक्स के शोधकर्त्ताओं द्वारा एक मरीज़ की पित्त नली में कैंसर के लक्षणों की जाँच करते समय इंटरस्टीटियम की खोज की गई।
- यह इंसान के शरीर के महत्त्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये सिर्फ त्वचा में ही नहीं, बल्कि फेफड़े, आँत, रक्त नलिका और मांसपेशियों के नीचे भी मिलते हैं।
- ये काफी लचीले होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन की मोटी परत होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार 'इंटरस्टीटियम' शरीर के ऊत्तकों के बचाव का काम करते हैं।
- उल्लेखनीय है कि मानव शरीर में सबसे बड़े अंगों में से एक होने के बावजूद इंटरस्टीटियम पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था।

पश्चिमी घाट में पौधे की नई प्रजाति की खोज

- यूनिवर्सिटी कॉलेज के शोधकर्त्ताओं ने पश्चिमी घाट के जैव विविधता हॉटस्पॉट में एक नई वनस्पति प्रजाति की खोज की है।
- पोनमुडी में खोजे गए, एक छलनी के रूप में वर्गीकृत, इस घास जैसे पौधे का नाम फिमब्रिस्टिलिस अगस्थ्यमलेन्सिस (**Fimbristylis agasthyamalaensis)** रखा गया है।
- अगस्थ्यामाला बायोस्फियर रिज़र्व के भीतर पोनमुडी पहाड़ियों में दलदली घास के मैदानों में इस प्रजाति की खोज की गई है|
- यह सर्वेक्षण केरल राज्य परिषद् विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के महिला वैज्ञानिक विभाग द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना का हिस्सा था।
- यह शोध फाइटोटाक्सा (**Phytotaxa)** में प्रकाशित किया गया है जो कि वनस्पति प्रणालीगत और जैव विविधता की एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है।
- शोधकर्त्ताओं ने आईयूसीएन मापदंड के अनुसार, इस प्रजाति को 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' **(Critically Endangered)** के रूप में संरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रजाति की वन्य चराई की अत्यधिक संभावना है।
- यह प्रजाति साइप्रसेई परिवार (**Cyperaceae Family)** के अंतर्गत आती है।
- भारत में इस जीनस का प्रतिनिधित्व **122** प्रजातियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से **87** प्रजातियाँ पश्चिमी घाटों में पाई जाती हैं। ज्ञात साइप्रसेई प्रजातियों में से कई औषधीय पौधे हैं, जिन्हें चारा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारत के अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मार्च 2018 के दौरान 14 एकतरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (यूएपीए) और 2 द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (बीएपीए) किये हैं। इनमें 2 द्विपक्षीय एपीए समझौते संयुक्त राज्य अमेरिका से किये गए हैं। इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के साथ, सीबीडीटी द्वारा दर्ज एपीए की कुल संख्या 219 तक बढ़ गई है। इसमें 199 एकतरफा एपीए और 20 द्विपक्षीय एपीए शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- आमतौर पर एक करदाता और कम-से-कम एक टैक्स प्राधिकरण के बीच ऐसा अनुबंध है, जो परस्पर संबंधित कंपनियों के बीच लेन-देन के लिये मूल्य-निर्धारण विधि को पहले से ही तय करता है।
- भारत में **APA** की अवधारणा को वित्त अधिनियम, **2012** के तहत प्रस्तुत किया गया था।
- इस समझौते के तहत किसी अनिश्चितता से बचने के लिये, आर्म्स-लेंथ प्राइस (**Arm's-length Price-ALP**) के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है।
- यदि परस्पर संबंधित कंपनियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हों, तब वसूल की जाने वाली कीमत आर्म्स- लेंथ प्राइस कहलाती है।
- जब दो देशों के कर प्राधिकरणों के बीच भविष्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की **ALP** तय करने के लिये अनुबंध होता है, तो, इसे बहुपक्षीय मूल्य निर्धारण समझौता (**Bilateral Advance Pricing Agreement-BAPA)** कहा जाता है।
- जब कोई करदाता किसी देश में कर संबंधी निश्चितता के लिये केवल एक सरकारी प्राधिकरण के साथ अनुबंध करता है, तो इसे एकपक्षीय मूल्य निर्धारण समझौता (**Unilateral Advance Pricing Agreement-UAPA)** कहा जाता है।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework-NIRF) द्वारा भारत रैंकिंग 2018 का तीसरा संस्करण जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इस बार रैंकिंग, **9** कैटेगरी में जारी की गई है जो कि हैं- ओवरऑल, विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, कॉलेज , प्रबंधन, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर और लॉ।
- इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग व्यवस्था में सभी सार्वजनिक संस्थानों की सहभागिता को अनिवार्य बनाया जाएगा।
- रैंकिंग **2018** में दिल्ली का मिरांडा हाउस सर्वश्रेष्ठ कॉलेज, **AIIMS** सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज और **NLSUI-** बंगलुरू सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज रहा है।
- यूनिवर्सिटी और ओवरऑल कैटेगरी में देश के प्रतिष्ठित संस्थान **IISc** (बंगलुरू) को शीर्ष स्थान दिया गया है।
- **IIT-**मद्रास सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज और **IIM-**अहमदाबाद सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान के रूप में चुना गया है।

क्या है NIRF रैंकिंग?

- **NIRF** की शुरूआत सितंबर **2015** में हुई थी। अप्रैल **2016** में इसके द्वारा पहली और अप्रैल **2017** में दूसरी भारत रैंकिंग जारी की गई थी।
- शैक्षिक संस्थाओं की रैंकिंग के लिये अपनाई जाने वाली यह पद्धति संस्थाओं में अपनाए जाने वाले कई मानदंडों पर आधारित है, जिसका निर्धारण मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समिति के द्वारा किया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **NIRF** द्वारा रैंकिंग निम्नलिखित पाँच मानदंडों पर दी जाती है –
  - ✓ शिक्षण-अधिगम संसाधन (**Teaching, Learning and Resources**)
  - ✓ अनुसंधान एवं व्यावसायिक प्रक्रियाएँ (**Research and Professional Practice**)
  - ✓ पहुँच एवं समावेशिता (**Outreach and Inclusivity**)
  - ✓ स्नातक परिणाम (**Graduation Outcome**)
  - ✓ अवधारणा (**Perception**)

देश का पहला सूफी रिसर्च सेंटर

सभी धर्मों के सूफी-संतों के उपदेशों और संदेशों पर शोध तथा तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये बिहार के मीतन घाट स्थित खानकाह मुनएमिया में देश का पहला सूफी रिसर्च सेंटर तैयार किया जा रहा है। इस संस्थान में सूफी विषय स्नातकोत्तर एवं पीएचडी करने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी।

- खानकाह के दक्षिणी भाग में बने इस सूफी रिसर्च सेंटर के भवन को सफेद मार्बल तथा हरे ग्रेनाइट पत्थर से तैयार किया गया है।
- यह सूफी रिसर्च सेंटर देश में अपनी तरह का पहला और अनूठा केंद्र होगा। सूफियों के जीवन का उद्देश्य मोहब्बत एवं इंसानियत की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना ही रहा है। इस सेंटर के माध्यम से सूफियों के इसी संदेश को आमजन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।
- बिहार में शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी की बिहार शरीफ, शाह मखदूम शाह दौलत की मनेरशरीफ, बीबी कमाल की काको, खानकाह मुनएमिया, खानकाह इमादिया समेत कई खानकाह हैं।
- राष्ट्रीय स्तर के इस शोध संस्थान में अलग-अलग विषयों के विभाग होंगे, जिनके लिये विशेषज्ञ प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी।

आनंदी गोपाल जोशी

हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की 153वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस डूडल में उनके हाथ में डिग्री है और गले में स्टेथोस्कोप लटका हुआ है।

- आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थीं, जिन्होंने अमेरिका से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की।
- आनंदी गोपाल जोशी का जन्म **31** मार्च, **1865** में एक ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के कल्याण में हुआ था। **9** साल की उम्र में आनंदी की शादी विदुर गोपालराव जोशी से कर दी गई जो उनसे उम्र में **20** साल बड़े थे।
- गोपाल राव प्रगतिशील सोच के इंसान थे, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ने के लिये प्रेरित किया और उन्हें आनंदी नाम दिया। **14** वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में वह मर गया। इस हादसे का उनकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ा।
- इसके तुरंत बाद **16** साल की उम्र में वह मेडिकल की पढ़ाई के लिये अमेरिका चली गईं। आनंदी ने पेंसिलवानिया के वूमेंस मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली।
- **26** फरवरी, **1887** को **22** साल की होने से एक महीने पहले ही आनंदी का देहांत हो गया।

भारत ने वालोंग जंक्शन पर निगरानी बढ़ाई

गत वर्ष भारत और चीन के बीच सड़क निर्माण को लेकर चले डोकलाम जैसे गतिरोध को रोकने के लिये अरुणाचल प्रदेश की हिमालय श्रेणी में तैनात भारतीय सैनिकों ने भारत, चीन और म्याँमार के त्रिकोणीय संगम (Tri-junction) पर अपनी गश्त बढ़ा दी है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- यह त्रिकोणीय अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत के सबसे पूर्वी कस्बे वालोंग से लगभग **50** किमी. दूर तिब्बत क्षेत्र के नज़दीक है।
- डोकलाम गतिरोध के बाद त्रिकोणीय संगम पर भारत की ओर से सेना की उपस्थिति बढ़ा दी गई है।
- सिक्किम क्षेत्र के त्रिकोणीय जंक्शन, डोकलाम के बाद भारत-चीन सीमा पर यह सबसे महत्त्वपूर्ण त्रिकोणीय जंक्शन है।
- चीनी सेना अक्सर इस त्रिकोणीय संगम में प्रवेश नहीं करती लेकिन इस क्षेत्र के नज़दीक सड़क का निर्माण किया है, जहाँ जरूरत पड़ने पर सैनिकों को सुगमता से पहुँचाया जा सकता है।
- चीन और म्याँमार के बीच बढ़ता सैन्य संबंध भी ट्राइ-जंक्शन पर भारतीय सैनिकों की बढ़ती मौजूदगी का कारण है। म्याँमार की सेना यहाँ गश्त नहीं करती है।

वालोंग

वालोंग पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंजौ जिले (अंजौ वर्ष 2004 में लोहित जिले से अलग हुआ था) में एक छोटी छावनी और प्रशासनिक शहर है। यह भारत का सबसे पूर्वी शहर है तथा लोहित नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भारत, चीन और म्याँमार की सीमा मिलती है। भारत के लिये यह क्षेत्र काफी महत्त्वपूर्ण है।

डोकलाम

डोकलाम एक ट्राइ-जंक्शन है जहाँ भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। इस क्षेत्र को लेकर चीन और भूटान के बीच विवाद है तथा वर्तमान में यहाँ चीन का कब्ज़ा है। गत वर्ष यहाँ चीन की सेना द्वारा किये जा रहे सड़क निर्माण को लेकर भारत और चीन के बीच गतिरोध हुआ था।

'वैद्युत जीवाणु' (इलेक्ट्रिक बैक्टीरिया)

कुछ जीवाणुओं ने बाह्य दुनिया में आधार प्राप्त करने के लिये कोशिका के आंतरिक भाग से अपनी बाह्य झिल्ली की ओर इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने की क्षमता विकसित की है। इलेक्ट्रॉनों के इस आदान-प्रदान ने इन्हें वैद्युत जीवाणु (इलेक्ट्रिक बैक्टीरिया) का उपनाम दिया है।

- कई मायनों में ये प्राकृतिक, सूक्ष्म ऊर्जा संयंत्रों की भाँति तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की शेवानेल्ल ओनिडेन्सिस प्रजाति एक प्रकार का इलेक्ट्रिक बैक्टीरिया है, जिसकी खोज लगभग **30** वर्ष पहले हुई थी।
- हाल ही में एक शोध-पत्र द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि संभवतः ये जीवाणु अपनी वैद्युत कुशलता को निष्पादित करने के लिये नैनोवायर्स का प्रयोग करते हैं। नैनोवायर्स सामान्य विद्युत तारों के समान ही होते हैं लेकिन इनका आकार नैनो स्तर का होता है।
- अपशिष्ट जल के उपचार के लिये भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये सूक्ष्म जीव कचरे पर पनपते हैं, कार्बनिक पदार्थों को आक्सीकृत करते हैं और बहुत कम मात्रा में विद्युत उत्पादन करते हैं।
- जीवित कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा नवीन संधारणीय तकनीकों की प्रचुर संभावनाओं से समृद्ध है। उदाहरण के लिये एक सूक्ष्मजीव फ्यूल सेल चट्टानों की बजाय इलेक्ट्रोडस पर मौजूद बैक्टीरिया से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बिजली पैदा कर सकता है।

स्पेशल एरिया गेम्स

- भारत सरकार द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण (**SAI**) के माध्यम से देश के जनजातीय, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों से **10-18** वर्ष के आयु वर्ग में खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिये स्पेशल एरिया गेम्स (**Special Area Games-SAG**) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- यह योजना स्वदेशी खेलों तथा मार्शल आर्ट्स और किसी विशेष खेल अनुशासन में उत्कृष्टता के लिये आनुवंशिक या भौगोलिक रूप से लाभदायक समुदायों की क्षमताओं का दोहन करने में भी सहायता करती हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **SAG** योजना के तहत चयनित प्रशिक्षुओं को, योजना के अनुमोदित मानकों के अनुसार विशेषज्ञ कोच, खेल उपकरण, बोर्डिंग और लॉजिंग, स्पोर्ट्स किट, प्रतियोगिता एक्सपोज़र, शैक्षिक व्यय, चिकित्सा/बीमा और स्टाइपेन्ड के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- वर्तमान में देश में **20** विशेष क्षेत्र खेल केंद्र कार्यरत हैं, जहाँ **2167** प्रतिभाशाली खिलाड़ियों (**1189** लड़के और **978** लड़कियाँ) को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इकारस तारा (Icarus Star)

- नासा की हबल स्पेस टेलीस्कोप (**Hubble Space Telescope)** ने सबसे अधिक दूर स्थित तारे की खोज की है।
- इसे आधिकारिक रूप से **MACS J1149 +2223 Lensed Star 1** नाम दिया गया है।
- यह पृथ्वी से लगभग **9.3** अरब वर्ष दूर स्थित है लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग के माध्यम से इस तारे की अवस्थिति का निर्धारण किया जा सका है।
- माइक्रोलेंसिंग एक खगोलीय घटना है जो कि ग्रहों का पता लगाने के लिये गुरुत्वाकर्षण द्वारा वक्रित प्रकाश का उपयोग करती है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार यह तारा हमारे सूर्य से दोगुना अधिक गर्म है एवं दस लाख गुना अधिक चमकीला है।
- यह एक सर्पिलाकार आकाशगंगा में अवस्थित है।

स्काई द्वीप पर डायनासोर के फुटप्रिंट पाए गए

- हाल ही में स्कॉटलैंड स्थित स्काई द्वीप (**Isle of Skye)** पर मध्य जुरासिक युग (**Middle Jurassic Era)** के डायनासोर के फुटप्रिंट पाए गए हैं।
- यहाँ पर दो प्रकार के डायनासोरों के साक्ष्य प्राप्त हुए- ब्रोंटोसोरस प्रजाति से संबंधित लंबी गर्दन वाले डायनासोर एवं टी - रेक्स हैंगिंग प्रजाति से संबंधित तेज़-दाँतेदार डायनासोर।
- कठिन मौसमी दशाओं को ध्यान में रखकर साइट के मानचित्रण हेतु ड्रोन द्वारा लिये गए चित्रों का प्रयोग किया गया, जबकि अन्य चित्रों हेतु अलग कैमरों का प्रयोग किया गया
- यह अध्ययन एडिनबर्ग विश्वविद्यालय , स्टाफिन संग्रहालय और चीन की विज्ञान अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
- इसे 'स्कॉटिश जर्नल ऑफ जियोलॉजी' में प्रकाशित किया गया।

प्रत्यूष और मिहिर : उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग (HPC) प्रणाली

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 438.9 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्यूष और मिहिर नामक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) प्रणालियों का क्षमता संवर्द्धन किया है।

प्रमुख बिंदु

- ये सिस्टम दो जगहों पर स्थापित हैं। प्रत्यूष को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी (**IITM)** पुणे में स्थापित किया गया है और इसकी क्षमता **4** पेटा फ्लॉप्स है।
- मिहिर को नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फ़ोरकास्ट (**NCMRWF),** नोएडा में स्थापित किया गया है और इसकी गणना क्षमता **2.8** पेटा फ्लॉप्स है। दोनों की संयुक्त कंप्यूटिंग क्षमता **6.8** पेटा फ्लॉप्स है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस सुपर कंप्यूटर को लॉन्च करते ही भारत विश्व के चौथे सर्वाधिक **HPC** क्षमता वाला देश बन गया है।
- वर्तमान आँकड़ों के अनुसार ब्रिटेन **20.4** पेटा फ्लॉप अंकों के साथ सर्वाधिक **HPC** क्षमता वाला देश है। इसके बाद जापान की **HPC** क्षमता **20** पेटा फ्लॉप और अमेरिका की **10.7** पेटा फ्लॉप है।
- एक सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग क्षमता सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में काफी अधिक होती है। एक सुपर कंप्यूटर की कार्यक्षमता **फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड (flop)** से मापी जाती है।
- भारत को मानसून, सुनामी, चक्रवात, भूकंप, वायु गुणवत्ता, गर्म या ठंडी हवा तथा बाढ़ अथवा अकाल जैसी स्थितियों की सटीक पूर्वानुमान की आवश्यकता है।
- पूर्वानुमान से जुड़ी ये सभी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये उच्च कंप्यूटिंग निष्पादन क्षमता की आवश्यकता है।
- इसके लिये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने **High Resolution Rapid Refresh** तथा **Coupling Forecast System** की स्थापना की है जो सिर्फ सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही कार्य निष्पादित कर सकते हैं।

राष्ट्रीय समुद्री दिवस

5 अप्रैल को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस (National Maritime Day-NMD) के रूप में मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- **1919** में आज ही के दिन सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के **SS LOYALTI** नामक जहाज़ ने मुंबई (तत्कालीन ब्रिटिश बॉम्बे) से यूनाइटेड किंगडम के लिये यात्रा शुरू की थी।
- इसी की स्मृति में **1964** से **5** अप्रैल को नेशनल मेरीटाइम डे के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों को देश की नौवहन गतिविधियों तथा इनकी अर्थव्यवस्था में महत्त्व के प्रति जागरूक करना है।
- **NMD-2018** की थीम 'भारतीय नौवहन-अवसर का एक महासागर' **(Indian Shipping - An Ocean of opportunity)** रखी गई है।
- राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह समिति द्वारा भारतीय समुद्री क्षेत्र में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान वाले व्यक्तियों को वरुण पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें भगवान वरुण की प्रतिमा और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।

प्रोजेक्ट जतन (Project JATAN)

प्रमुख बिंदु

- **प्रोजेक्ट जतन** के तहत **संस्कृति मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण वाले संग्रहालयों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल पर संग्रहों **(Collections)** के एक ऑनलाइन डिजिटल रिपॉजिटरी का निर्माण किया जा रहा है।
- अभी तक **1,08,881** कला वस्तुओं का डिजिटलीकरण और इन्हें पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
- केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संग्रहालय प्रबंधन **(Museum Management)** में प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग करने तथा इन संग्रहालयों के संग्रह को जनता के करीब लाने के लिये इंटरनेट पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संग्रहालयों के संग्रह के डिजिटलीकरण की इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना को शुरू किया था।
- इसके तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग **(C-DAC),** पुणे और आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ़ शिकागो की तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से अपने संग्रहालयों में क्रियान्वयन के लिये 'जतन' **(Jatan)** नामक मानकीकृत सॉफ्टवेयर विकसित किया है।
- संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित छह संग्रहालय हैं-

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ✓ राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली
- ✓ नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट (दिल्ली, मुंबई और बंगलुरू की शाखाएँ)
- ✓ भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
- ✓ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
- ✓ सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
- ✓ इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद

इनके अलावा नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता भी संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'पंचायती राज की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम' पर एक परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (**National Institute of Public Cooperation and Child Development-NIPCCD**) महिला और बाल विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक क्रिया अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिये समर्पित एक प्रमुख संगठन है।
- इसे **1966** में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, **1860** के तहत नई दिल्ली में स्थापित किया गया था और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्त्वावधान में कार्य करता है।
- संस्थान के चार क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी (**1978**), बंगलुरू (**1980**), लखनऊ (**1982**) और इंदौर (**2001**) में स्थापित किये गए हैं।
- संस्थान एकीकृत बाल विकास सेवाओं (**ICDS**) संबंधी कार्यक्रम के प्रशिक्षण अधिकारियों के लिये एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- एक नोडल संसाधन एजेंसी के रूप में इसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना (**ICPS**) के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे सार्क देशों के लिये बाल अधिकारों तथा महिला एवं बाल तस्करी की रोकथाम के दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिये नोडल संस्थान के रूप में भी नामित किया गया है।

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का क्षेत्रीय सम्मेलन

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (**AIIB**) की तीसरी वार्षिक बैठक से पहले, दूसरा दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ।
- इस सम्मेलन का मुख्य विषय 'बंदरगाह एवं तटीय बुनियादी ढाँचे की क्षमता में वृद्धि करना' था।
- इस सम्मेलन के दौरान विशेषकर सागरमाला परियोजना, बंदरगाह एवं तटीय बुनियादी ढाँचा तथा नियामकीय मुद्दों, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये तटीय क्षेत्रों में निवेश, शिपिंग पारितंत्र के विकास, भारत के नौवहन सहायता बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया।
- भारत सरकार **AIIB** की तीसरी वार्षिक बैठक की मेज़बानी **25** एवं **26** जून, **2018** को मुंबई में करेगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

क्या है AIIB?

- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्य उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- इसकी स्थापना दिसंबर **2015** में हुई थी तथा जनवरी **2016** से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था।
- **AIIB** का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है।
- वर्तमान में भारत सहित इसके सदस्य राज्यों की संख्या **84** है।
- **AIIB** की अधिकृत पूंजी **$100** बिलियन है और इस पूंजी में एशियाई देशों की भागीदारी लगभग **75%** है।
- समझौते के अनुसार प्रत्येक सदस्य को उनके आर्थिक आकार के आधार पर कोटा आवंटित किया गया है।
- इस बैंक में चीन, भारत और रूस तीन सबसे बड़े हिस्सेदार है जिनकी क्रमश: **30.34%, 8.52%** और **6.66%** हिस्सेदारी है और मताधिकार क्रमशः **26.06%, 7.5%** और **5.92%** है।
- हाल ही में अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त **AIIB** ने भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन **(ISA)** के साथ वित्तीय सहभागिता के लिये समझौता किया है।

उत्तम (UTTAM) एप

- केंद्रीय रेल और कोयला मंत्रालय ने कोयले की गुणवत्ता की निगरानी के लिये **'उत्तम' (Unlocking Transparency by Third Party Assessment of Mined Coal-UTTAM)** एप लॉन्च किया है।
- उत्तम का अर्थ है- पारदर्शिता लाने के लिये खनन द्वारा प्राप्त कोयले का तीसरे पक्ष के द्वारा मूल्यांकन।
- इसे कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड **(CIL)** द्वारा विकसित किया गया है।
- उत्तम एप का उद्देश्य **CIL** की सभी सहायक कंपनियों में तीसरे पक्ष के द्वारा नमूना प्रक्रिया की सभी नागरिकों तथा कोयला उपभोक्ताओं द्वारा निगरानी करना है।
- उत्तम एप, कोयले की पारिस्थितिक तंत्र में जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रभावशीलता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करता है।
- उत्तम एप कोयले की गुणवत्ता की निगरानी प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्य कुशलता सुनिश्चित करने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है।

उत्तम एप की मुख्य विशेषताएँ

- नमूना प्रक्रिया का कवरेज
- सहायक कंपनियों के अनुसार गुणवत्ता मापदंड
- घोषित बनाम विश्लेषित ग्रॉस कैलोरिफिक वेल्यू **(GCV)**
- कोयले की गुणवत्ता के मामले में शिकायतें दर्ज़ करना
- नमूने की मात्रा तथा कोयले के आयात का विश्लेषण

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच

10 से 12 अप्रैल, 2018 तक नई दिल्ली में आयोजित किये जाने वाले 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम (IEF) की मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी भारत द्वारा की जायेगी। इसमें 42 देशों के पेट्रोलियम मंत्रियों ने हिस्सा लिया। IEF की मंत्रिस्तरीय बैठकों का आयोजन राजनीतिक और तकनीकी स्तर पर अनौपचारिक चर्चा के लिये किया जाता है जिनका उद्देश्य बेहतर जानकारी और अनुभवों के आदान-प्रदान के ज़रिये नीतिगत और निवेश संबंधी फैसलों में सुधार लाना है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (International Energy Forum-IEF)

- रियाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (**IEF**) एक अंतर-सरकारी व्यवस्था है जिसकी स्थापना **1991** में की गई थी।
- यह अपने सदस्यों के बीच अनौपचारिक, पारदर्शी, सूचनाओं के साथ और निरंतर वैश्विक ऊर्जा वार्ताओं के तटस्थ सहायक के रूप में कार्य करता है। यह ट्रांज़िट देशों सहित ऊर्जा उत्पादक और ऊर्जा उपभोग करने वाले देशों को मिलाकर बना है।
- **IEF** के भारत सहित **72** सदस्य देश हैं, जिन्होंने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके सदस्य वैश्विक आपूर्ति तथा तेल और गैस मांग के **90%** भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इसके कार्यकारी बोर्ड का गठन **2002** में किया गया था। इसके संचालन बोर्ड में सदस्य देशों के मंत्रियों के **31** मनोनीत प्रतिनिधि शामिल हैं।
- इसकी बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं। **IEF** मंत्रिस्तरीय सम्मेलन वैश्विक ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिये दुनिया के ऊर्जा मंत्रियों का सबसे बड़ा सम्मेलन है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (**IEA**) और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) कार्यकारी बोर्ड के वोट नहीं करने वाले सदस्य हैं।
- कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता अगली मंत्रिस्तरीय द्विवार्षिक बैठक का मेज़बान देश करता है। इस समय **IEF** के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भारत है।
- तेल और गैस के **11** सबसे बड़े शीर्ष उपभोक्ताओं में शामिल होने के नाते (वर्तमान में भारत चौथा) भारत **2002** से कार्यकारी बोर्ड का स्थायी सदस्य है। भारत ने इससे पहले **1996** में गोवा में **5**वीं **IEF** मंत्रिस्तरीय बैठक की मेज़बानी की थी।
- सदस्य देशों के अलावा **20** अन्य देशों को आमंत्रित किया गया है, जहाँ भारत के तेल और गैस से जुड़े हित हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की सदस्य संख्या में कटौती

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) में वर्तमान दो रिक्त स्थानों तथा एक अतिरिक्त रिक्त स्थान को नहीं भरकर CCI का आकार एक अध्यक्ष और छह सदस्य (कुल सात) से घटाकर एक अध्यक्ष और तीन सदस्य (कुल चार) करने की मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रस्ताव से आयोग के सदस्यों के तीन पदों में कटौती हो जाएगी, जो न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन के सरकार के उद्देश्य को पूरा करता है।
- प्रतिस्पर्द्धा कानून, **2002** के अनुसार **CCI** में एक अध्यक्ष होगा तथा दो से कम और छह से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इस समय पद पर अध्यक्ष और चार सदस्य आसीन हैं।
- आयोग अपने अस्तित्व में आने के बाद से कोलेजियम के रूप में कार्य कर रहा है।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002

- प्रतिस्पर्द्धा रोधी प्रथाओं की रोकथाम, एक उद्यम द्वारा प्रभुत्व के दुर्व्यवहार तथा विलयन और अधिग्रहण जैसे संयोजनों के विनियमन के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, **2002** निर्मित किया गया था, जिसे **2003** से लागू किया गया था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस अधिनियम ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा (**MRTP**) अधिनियम, **1969** का स्थान लिया था।
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, **2002** के स्थान पर प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) अधिनियम **2007** लाया गया।
- अत: **CCI** एक सांविधिक निकाय है। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में लागू होता है।
- अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-
  - ✓ प्रतिस्पर्द्धा पर दुष्प्रभाव डालने वाली प्रथाओं की रोकथाम के लिये एक आयोग की स्थापना हेतु सहायता देना।
  - ✓ भारत के बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन और स्थायित्व प्रदान करना।
  - ✓ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
  - ✓ भारत के बाज़ारों में प्रतिभागियों द्वारा किये जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता और संबंधित मामलों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना।

आकाशगंगा के केंद्र में हो सकते हैं एक दर्जन से अधिक ब्लैक होल

प्रमुख बिंदु

- खगोलविदों ने आकाशगंगा के केंद्र में एक दर्जन से अधिक ब्लैक होल खोजे हैं। उनके अनुसार आकाशगंगा में लगभग **10,000** ब्लैक होल हो सकते हैं।
- विज्ञान पत्रिका नेचर के अनुसार प्रत्येक बड़ी आकाशगंगा के मूल में बड़े पैमाने पर ब्लैक होल हो सकते हैं।
- कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार, आकाशगंगा के केंद्र में एक दर्जन से अधिक ब्लैक होल खोजे गए हैं।
- वैज्ञानिकों ने धरती के करीब स्थित सैजिटेरीअस-ए (**Sagittarius A**) के आसपास ब्लैक होल की तलाश में व्यापक खोजबीन की।
- सैजिटेरीअस-ए (**Sagittarius A**) गैस के प्रभामंडल और धूल से घिरा हुआ है और विशाल तारों की उत्पत्ति के अनुकूल माहौल बनाता है जो बाद में ब्लैक होल में परिवर्तित हो सकते हैं।
- ऐसा भी माना जाता है कि प्रभामंडल के बाहर के ब्लैक होल सैजिटेरीअस-ए के प्रभाव में नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है।
- पृथ्वी के करीब ब्लैक होल का अध्ययन करने से प्राप्त डेटा के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे आकाशगंगा के कोर में लगभग **500** बायनरी सिस्टम हो सकते हैं।
- बाइनरी स्टार सिस्टम में दो तारे होते हैं जो अपने गुरुत्वाकर्षण संपर्क के कारण एक साझे द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर गति करते हैं।
- एक अनुमान के अनुसार **20** में से केवल **1** ब्लैक होल बायनरी सिस्टम बनाने हेतु आवश्यक साथी तारे की खोज कर पाता है। अतः **500** बाइनरी को **20** से गुणा करने पर **10000** पृथक ब्लैक होल प्राप्त होते हैं।

ग्राम स्वराज अभियान

- अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक 'ग्राम स्वराज अभियान' का आयोजन किया गया।
- 'ग्राम स्वराज अभियान' **14** अप्रैल से आरंभ होकर **05** मई, **2018** तक चला।
- इस अभियान की शुरूआत निर्धन परिवारों तक पहुँचने वाली सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं एवं अन्य लोकोन्मुखी पहलों के बारे में जन जागरूकता का प्रसार करने के लिये की गई है।
- ग्राम स्वराज अभियान के दौरान एक विशेष पहल के रूप में पूरे देश में वंचित परिवारों की बड़ी संख्या के साथ चिन्हित **21,058** गाँवों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (**PMUY**) सहित **7** कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत सार्वभौमिक कवरेज पर विचार किया गया है।
- ग्राम स्वराज अभियान के एक हिस्से के रूप में **20** अप्रैल, **2018** को लगभग **15** हज़ार **LPG** पंचायतों का आयोजन किया गया तथा इसी दिन उज्ज्वला दिवस समारोह मनाने के लिये **PMUY** के तहत **15** लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किये गए।
- **LPG** पंचायत उपभोक्ताओं को एक-दूसरे से बातचीत करने, एक-दूसरे से सीखने तथा अनुभव साझा करने के लिये मंच प्रदान कराती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

- **1** मई, **2016** को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में इस योजना को शुरू किया गया था।
- यह योजना पाँच करोड़ बीपीएल (**Below Poverty Line-BPL**) महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने के लिये शुरू की गई थी।
- यह कार्य वित्त वर्ष **2016-17** से शुरू कर तीन वर्ष के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।
- सरकार ने बजट समर्थन के रूप में **8000** करोड़ रुपए अथवा प्रत्येक परिवार को **1,600** रुपए का आवंटन किया था।
- इस योजना के कारण **LPG** खपत **2015-16** के **19.6 MT** में **10%** की वृद्धि के साथ **2016-17** में **21.5 MT** टन हो गई थी।

उत्तराखंड का दूसरा मेगा फूड पार्क

- उत्तराखंड के दूसरे मेगा फूड पार्क की स्थापना उधम सिंह नगर ज़िले के काशीपुर स्थित महुआखेरा गंज में की जाएगी। उत्तराखंड का पहला फ़ूड पार्क हरिद्वार में स्थापित किया गया है जो पहले से ही परिचालन में है।
- इस फूड पार्क की स्थापना **99.96** करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है।
- **50.14** एकड़ क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे, इस मेगा फूड पार्क में एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के साथ-साथ राम नगर, रामगढ़ और कालाडुंगी में तीन प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (**PPC**) भी होंगे। इस पार्क में खेतों के पास प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण की भी सुविधाएँ होंगी।
- इस पार्क से न केवल उधम सिंह नगर के किसान, बल्कि निकटवर्ती जिलों नैनीताल, गढ़वाल, अल्मोड़ा और चंपावत के भी लगभग **25,000** किसान लाभान्वित होंगे।
- पार्क में अवस्थित **25-30** खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में लगभग **250** करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश **450-500** करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- यह मेगा फूड पार्क लगभग **5000** व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार भी प्रदान करेगा और केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र तथा प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के आस-पास के क्षेत्रों के लगभग **25,000** किसानों को लाभान्वित करेगा।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष **2016-20** तक की अवधि के लिये **6,000** करोड़ रुपए के आवंटन से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर विकास स्कीम) को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा-
  - ✓ मेगा फ़ूड पार्क
  - ✓ कोल्ड चेन
  - ✓ खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार
  - ✓ कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना
  - ✓ बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजों का सृजन
  - ✓ खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
  - ✓ मानव संसाधन एवं संस्थान

Copyright– Drishti The Vision Foundation

गगन शक्ति अभ्यास

प्रमुख बिंदु

- भारतीय वायु सेनाद्वारा **8-22** अप्रैल तक अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन किया गया।
- यह अभ्यास पाकिस्तान और चीन से भारत को बढ़ते सुरक्षा खतरों के मद्देनज़र दो मोर्चों अर्थात् उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर किया गया।
- गगन शक्ति अभ्यास के पहले चरण में पश्चिमी सीमा पर तैनात बलों द्वारा अभ्यास किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में उत्तरी सीमा पर अभ्यास किया गया।
- यह अभ्यास **20** हज़ार फीट की ऊँचाई से लेकर गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र सहित समुद्री भाग में भी किया गया। **1100** से अधिक विमानों सहित वायुसेना के **300** अधिकारी और **15,000** से अधिक सैनिक इस अभ्यास में शामिल हुए।
- इस अभ्यास में नौसेना और थलसेना ने भी भाग लिया। इस अभ्यास में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (**LCA**) तेजस के साथ ही भारतीय नौसेना का मिग **29** लड़ाकू विमान ने भी हिस्सा लिया।
- **LCA** तेजस ने अभ्यास के दौरान आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह की भूमिकाएँ निष्पादित कीं।
- हाल ही में वायुसेना में फाइटर पायलट बनीं तीन महिलाएँ लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कांत भी इस अभ्यास में शामिल होंगी।
- अभ्यास के दौरान गुजरात के भुज से विमानों ने असम की ओर उड़ान भरीं और बमबारी की तथा असम से विमान राजस्थान के रेगिस्तान की ओर बमबारी को अंजाम दिया। इसके अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी और सैन्य साजो-सामान का इंटर-वैली ट्रांसफर भी हुआ।

RH300 साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण

प्रमुख बिंदु

- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (**VSSC**) द्वारा विकसित **RH300** साउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह **RH300** साउंडिंग रॉकेट का **21**वाँ प्रक्षेपण था।
- इस रॉकेट का प्रक्षेपण वायुमंडलीय आँकड़ों को और समृद्ध बनाने के लिये किया गया है।
- इसका प्रक्षेपण थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (**TERLS**) से किया गया था।
- **RH300** राकेट का यह प्रक्षेपण ट्रॉपिकल पर्यावरण और निम्न आयनमंडल क्षेत्र का अध्ययन करने के लिये **VSSC** द्वारा चलाए जा रहे साउंडिंग रॉकेट एक्सपेरिमेंट (**SOUREX**) प्रोग्राम का भाग है।
- रॉकेट के पेलोड में **VSSC** की अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड न्यूट्रल विंड प्रोब (**Electron Density and Neutral Wind Probe-ENWi**) भी लगाया गया था।

क्या है साउंडिंग रॉकेट?

- साउंडिंग रॉकेट एक या दो चरण वाले ठोस प्रणोदक राकेट होते हैं जिनका अंतरिक्ष अनुसंधान और ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु प्रयोग किया जाता है।
- ये प्रमोचक यानों एवं उपग्रहों के प्रयोग हेतु वांछित नए अवयवों एवं उपप्रणालियों के प्रोटोटाइप की जाँच या प्रमाणित करने के लिये भी एक वहनीय आधार के रूप में काम करते हैं।
- **21** नवंबर, **1963** को तिरुवनंतपुरम, केरल के समीप थुम्बा से प्रथम साउंडिंग रॉकेट के प्रमोचन से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरूआत हुई थी।
- थुंबा की चुंबकीय भूमध्य रेखा से निकटता इसे वायुमंडलीय अनुसंधान हेतु एक महत्त्वपूर्ण स्थल बनाती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

वन धन विकास केंद्र

जनजातीय मामले मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य के बीज़ापुर जिले में प्रायोगिक आधार पर पहले बहुउद्देश्यीय "वन धन विकास केंद्र" की स्थापना को मंज़ूरी दी है। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य लक्ष्य कौशल उन्नयन तथा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन सुविधा केंद्र की स्थापना करना है।

- इस पहले वन धन विकास केंद्र मॉडल के कार्यान्वयन, प्रशिक्षण, प्राथमिक स्तर पर प्रसंस्करण के लिये उपकरण तथा औज़ार उपलब्ध कराने और केंद्र की स्थापना के लिये बुनियादी ढाँचे तथा भवन निर्माण हेतु **43.38** लाख रुपए का आवंटन किया जाएगा।
- आरंभ में इस केंद्र में टेमारिंड ईंट निर्माण, महुआ फूल भंडारण केंद्र तथा चिरौंजी को साफ करने एवं पैकेजिंग के लिये प्रसंस्करण सुविधा होगी।
- जनजातीय लाभार्थियों के चयन एवं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के निर्माण का कार्य टीआरआईएफईडी द्वारा आरंभ किया गया है। **10** अप्रैल, **2018** से इसका प्रशिक्षण आरंभ होने का अनुमान है।
- आरंभ में वन धन विकास केंद्र की स्थापना एक पंचायत भवन में की जा रही है, जिससे कि प्राथमिक प्रक्रिया की शुरूआत एसएचजी द्वारा की जा सके। इसके अपने भवन के पूर्ण होने के बाद केंद्र उसमें स्थानांतरित हो जाएगा।
- वन धन विकास केंद्र एमएफपी के संग्रह में शामिल जनजातियों के आर्थिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा जो उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का ईष्टतम उपयोग करने और एमएफपी समृद्ध ज़िलों में टिकाऊ एमएफपी आधारित आजीविका उपयोग करने में उनकी सहायता करेंगे।

गौण वन उपज (एमएफपी) वन क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के लिये आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। समाज के इस वर्ग के लिये एमएफपी के महत्त्व का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि वन में रहने वाले लगभग 100 मिलियन लोग भोजन, आश्रय, औषधि एवं नकदी आय के लिये एमएफपी पर निर्भर करते हैं।

कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई किंगफिशर की चार प्रजातियाँ

आंध्र प्रदेश के कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य (Krishna Wildlife Sanctuary) में किंगफिशर (kingfisher) की चार प्रजातियाँ पाई गई हैं।

- वेटलैंड विशेषज्ञ अलापार्थी अप्पा राव (**Allaparthi Appa Rao**) के तत्त्वावधान में वन्यजीव प्रबंधन प्रभाग, एलुरु (**Wildlife Management Division, Eluru**) की एक टीम द्वारा इन चारों प्रजातियों की खोज की गई है।
- इन प्रजातियों की पहचान सफेद गले वाली किंगफिशर (**Halcyon smyrnensis**) पेड किंगफिशर (**Ceryle rudis**), ब्लैक-कैपड किंगफिशर (**Halcyon pileate**) और कॉमन किंगफिशर (**Common kingfisher**) के रूप में की गई है।
- भारत में अभी तक किंगफिशर की लगभग **12** प्रजातियों को देखा गया है। खास बात यह है कि इनमें से चार प्रजातियों को 'आर्द्रभूमि आश्रित' अभयारण्य में पाया गया है।
- इन चारों प्रजातियों की संरक्षण स्थिति "कम चिंताजनक" (**least concern**) है।

इंजन की क्षमता एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु नई तकनीक

हाल ही में मेकाट्रोनिक्स नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, कनाडा स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी नई तकनीक विकसित की गई है, जिसकी सहायता से न केवल इंजन की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है बल्कि ईंधन की खपत में भी कमी लाई जा सकती है।

- इस नई तकनीक की सहायता से कम मेकैनिज़्म वाले वॉल्वस को हाइड्रोलिक सिलेंडर्स और रोटरी हाइड्रोलिक सिलेंडर्स वॉल्वस से बदला गया है। इसके ज़रिये इंजन की गति और वॉल्व के खुलने एवं बंद होने के समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- कनाडा स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के अनुसार, विशेष प्रकार की इस नई तकनीक से तैयार होने वाले वॉल्व को लैब में आसानी से तैयार किया जा सकता है। इन्हें बहुत ही सस्ते और सरल तरीके से तैयार किया जा सकता है, इसलिये इनका इस्तेमाल इंजन के उत्पादन में भी किया जा सकता है।
- इंजन शोधकर्त्ताओं के अनुसार, आंतरिक दहन इंजन में जो वॉल्व लगाए जाते हैं, वे कम मेकैनिज़्म पर काम करते हैं। इसके कारण इनके खुलने और बंद होने के समय को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन इस नई तकनीक से तैयार वॉल्व में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी।
- इसका एक लाभ यह होगा कि इससे ईंधन की खपत, तो कम होगी ही साथ ही, इससे गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित कर प्रदूषण के स्तर में भी कमी लाई जा सकती है।

मन की आवाज़ सुनने वाला उपकरण

भारतवंशी एक छात्र अर्नव कपूर के नेतृत्व में अमेरिका स्थित मैसच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम तैयार किया गया है जो आपके मन की बात सुनकर किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है।

- इस डिवाइस को आसानी से धारण किया जा सकता है। इस डिवाइस में एक कंप्यूटिंग सिस्टम लगा है। इसमें चार इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जो त्वचा से लगे हुए होते हैं।
- जब भी आप मन में कुछ बोलते हैं, तो कुछ न्यूरोम्स्कूलर सिग्नल निकलते हैं, डिवाइस में संलग्नित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सिग्नल को शब्दों में परिवर्तित कर कंप्यूटर में फीड कर देता है।
- यह डिवाइस कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को बोन कंडकशन हेडफोन (**bone-conduction headphones)** की सहायता से सीधे उपयोगकर्त्ता के कानों में प्रेषित करती है।
- हेड सेट की तरह दिखने वाली इस डिवाइस को "अल्टर इगो" का नाम दिया गया है। फिलहाल यह डिवाइस केवल **93** फीसदी शब्दों की सही पहचान करने में सक्षम है, वैज्ञानिकों द्वारा इसके शब्दकोश में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।

विश्व होम्योपैथी दिवस

10 अप्रैल, 2018 को संपूर्ण विश्व में 'विश्व होम्योपैथी दिवस' (World Homoeopathy Day) के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मनी के डॉ. क्रिश्चिन फ्रेडरिक सैमुएल हैनीमैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

- इस अवसर पर **10** और **11** अप्रैल को आयुष मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में दो दिवसीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय **"**नवाचार, विकास और प्रगति: चालीस वर्षों से विज्ञान की खोज**" (Innovate: Evolve; Progress: Exploring Science since 40 years)** थी।
- सम्मेलन के प्रतिभागियों में होम्योपैथी के अनुसंधानकर्त्ता, होम्योपैथी चिकित्सक, शिक्षक तथा उद्योगपतियों सहित विभिन्न होम्योपैथिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
- केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, डॉक्टर हैनीमैन को श्रद्धांजलि स्वरुप उनकी **263**वीं जयंती है।

ओडीरलॉबडिन : नया एंटीबायोटिक वर्ग

शोधकर्त्ताओं द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के एक नए वर्ग ओडीरलॉबडिन अथवा ODLs (odilorhabdins) की खोज की गई है।

- ओडीरलॉबडिन, इस वर्ग की एंटीबायोटिक दवाइयों को सिम्बियोटिक बैक्टीरिया द्वारा तैयार किया जाता है, ये बैक्टीरिया मिट्टी में रहने वाले गोल कृमि होते हैं जो भोजन में कृमियों को स्थापित करते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ये बैक्टीरिया कीट को मारने में मदद करते हैं, साथ ही प्रतिस्पर्द्धी बैक्टीरिया को दूर रखने के लिये एंटीबायोटिक को छिपाने में भी सहायक होते हैं।
- **§ODLs** राइबोसोम पर कार्य करता है। यह एक आणविक मशीन होती है जो शरीर को कार्य करने के लिये आवश्यक प्रोटीन कोशिकाओं के संदर्भ में बैक्टीरिया कोशिकाओं के लिये कार्य करने में सहायक होती है।
- जब राइबोसोम एंटीबायोटिक से संबद्ध होती है, तो एंटीबायोटिक इसकी आनुवंशिक कोड की व्याख्या और अनुवाद करने की क्षमता को बाधित कर देते हैं।
- जब ओडीएल को बैक्टीरिया कोशिकाओं से प्रवेश कराया जाता है, तो वे राइबोसोम की कोडिंग को हल करने की क्षमता को प्रभावित कर देती हैं और जब राइबोसोम नए प्रोटीन का निर्माण करता है, तो उसे पथभ्रष्ट कर देती हैं।
- यह गलत कोडिंग कोशिकाओं से छेड़छाड़ करती है, जिसके परिणामस्वरूप बैक्टीरिया कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं।

दो नई भाषाओं की खोज

हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पंचानन मोहंती द्वारा आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बोली जाने वाली दो नई भाषाओं की खोज की गई है। ये दो नई भाषाएँ 'वाल्मीकि' और 'मल्हार' हैं।

- इन भाषाओं को 'लुप्तप्राय' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। लुप्तप्राय भाषा से अर्थ है, वह भाषा है जिसे बहुत कम लोगों द्वारा बोला जाता है।
- वाल्मीकि भाषा ओडिशा के कोरापुट और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इस भाषा का नाम रामायण के रचयिता वाल्मीकि पर रखा गया है। इस भाषा को बोलने वाला समुदाय स्वयं को वाल्मीकि का वंशज मानता है।
- मल्हार भाषा का प्रयोग भुवनेश्वर (ओडिशा) से तकरीबन **165** किमी. दूर अवस्थित कुछ गाँवों के लोगों द्वारा किया जाता है। यह भाषा द्रविड़ परिवार के उत्तर द्रविड़ियाई उप-समूह से संबंधित है।

फॉस्फोरस पैन्टॉक्साइड

हाल ही में भारत सरकार द्वारा चीन से होने वाले फॉस्फोरस पैन्टॉक्साइड के आयात पर डंपिंग विरोधी शुल्क (anti-dumping duty) लगाया गया है। भारत सरकार द्वारा इस रसायन के घरेलू निर्माताओं के हित में यह निर्णय लिया गया है।

- फॉस्फोरस पेन्टॉक्साइड (**Phosphorus pentoxide)** एक रासायनिक पदार्थ होता है जो रासायनिक उद्योगों में शोषक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- इसका अणु सूत्र **P4O10** है।
- यह पानी के संपर्क में आने के बाद तीव्र प्रतिक्रिया करता है। साथ ही यह लकड़ी या कपास जैसे पदार्थों से जल को सोखने में भी सक्षम है।
- यह रसायन तीव्र ताप उत्पन्न करता है, जिसके परिणामस्वरूप आग लगने का खतरा भी बना रहता है।

टीबी की नई जाँच तकनीक

दक्षिण अफ्रीका की स्टेलेनबोस्च यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं द्वारा एक नई रक्त जाँच तकनीक विकसित की गई है। इससे रोगियों में टीबी के लक्षण उत्पन्न होने से दो साल पहले ही इस रोग के बढ़ते खतरे का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस नई रक्त जाँच तकनीक के द्वारा चार प्रकार के जीन के लेवल की माप की जा सकती है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, रक्त में मौजूद चार प्रकार के जीन के संयोजन 'रिस्क**4**' के लेवल की माप से टीबी के होने के लगभग दो साल पहले ही इसके होने का अनुमान लगाया जा सकता है।
- हर साल टीबी के एक करोड़ से भी अधिक नए मामले दर्ज किये जाते हैं, ऐसे में इस जाँच के बहुत उपयोगी साबित होने की संभावना है।

टीबी क्या है?

- इस रोग को 'क्षय रोग' या 'राजयक्ष्मा' के नाम से भी जाना जाता है। यह 'माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस' नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला संक्रामक एवं घातक रोग है।
- सामान्य तौर पर यह केवल फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारी है, परंतु यह मानव-शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है।

डाकघर बना पेमेंट बैंक

भारतीय डाकघर के पेमेंट बैंक द्वारा 1 अप्रैल, 2018 से अपनी सेवाएँ देना शुरू कर दिया गया है। एक वृहद् नेटवर्क के साथ यह देश का सबसे बड़ा पेमेंट बैंक बन गया है। वर्तमान में देश में डेढ़ लाख से भी अधिक डाकघर अवस्थित हैं, अब ये सभी डाकघर पेमेंट बैंक शाखा के रूप में कार्य करेंगे।

- **2015** में आरबीआई द्वारा इंडिया पोस्ट को पेमेंट बैंक के रूप में कार्य करने की सैद्धांतिक मंज़ूरी प्रदान की गई।
- पेमेंट बैंकों का संचालन सामान्य बैंकों के मुकाबले थोड़ा अलग ढंग से किया जाता है। ये बैंक केवल जमा तथा विदेशों से भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा ही स्वीकार कर सकते हैं।
- इसके अलावा इन्हें इंटरनेट बैंकिंग के साथ-साथ कुछ अन्य विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है।
- कोई भी व्यक्ति या व्यावसायिक प्रतिष्ठान पेमेंट बैंक में खाता खुलवा सकता है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पेमेंट बैंक प्रत्येक खाताधारक से केवल एक लाख रुपए तक की जमा राशि ही स्वीकार कर सकते हैं।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक **25** हज़ार रुपए तक की जमा पर **4.5%** की दर से ब्याज अदा करता है। जबकि **25** हज़ार से **50** हज़ार रुपए की राशि पर ब्याज दर **5%** और **50** हज़ार से एक लाख रुपए की जमा पर **5.5%** है।
- इस पेमेंट बैंक में ग्राहकों को ऋण के अलावा लगभग सभी तरह की बैंकिंग सेवाएँ मुहैया कराई जाएंगी।

चीन की एक और महत्त्वाकांक्षी परियोजना

चीन की सरकारी संस्था 'चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन' द्वारा कृत्रिम वर्षा की एक ऐसी परियोजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसकी सहायता से बहुत कम लागत पर मध्य प्रदेश राज्य के पाँच गुना बड़े (16 लाख वर्ग किमी) क्षेत्र में वर्षा कराई जा सकती है।

- क्लाउड सीडिंग अथवा कृत्रिम वर्षा की तकनीक से तिब्बती पठार में **10** अरब घन मीटर से अधिक वर्षा कराई जा सकती है। यदि यह परियोजना सफल होती है, तो यह कृत्रिम वर्षा के संदर्भ में दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी।
- इस कार्य के लिये तिब्बत के पठार पर हज़ारों की संख्या में चैंबरों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें ठोस ईंधन को जलाया जाएगा। इस ईंधन से सिल्वर आयोडाइड निर्मित होगा, जिससे कृत्रिम वर्षा होगी।
- परीक्षण के लिये अभी तक तकरीबन **500** से अधिक चैंबरों को तिब्बत, शिनजियांग समेत कई क्षेत्रों में स्थापित किया जा चुका है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इनके परीक्षणों के परिणाम भी सकारात्मक आए हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस प्रकार के प्रत्येक चैंबर को बनाने और सही स्थान पर स्थापित करने में अनुमानत: **8,000** डॉलर की लागत आएगी। यदि इन्हें अधिक संख्या में स्थापित किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से इनकी उत्पादन लागत में और अधिक कमी आने की संभावना है।
- इसकी तुलना में कृत्रिम बारिश कराने वाले एक विमान के निर्माण में लाखों डॉलर का खर्च आता है, जबकि इन चैंबरों की तुलना में वह बहुत कम क्षेत्रों में ही वर्षा करा पाता है।
- सेना की रॉकेट इंजन तकनीक पर आधारित इन चैंबरों का डिज़ायन कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि ये पाँच हज़ार मीटर की ऊँचाई पर ऑक्सीजन की कमी में भी ईंधन को जलाने में सक्षम होंगे।
- इन चैंबरों को पहाड़ों के ऊँचे टीलों पर स्थापित किया जाएगा, जिससे ये दक्षिण एशिया से आने वाले मानसून का भी सामना कर सकेंगे। इसका कारण यह है कि जैसे ही मानसूनी हवाएँ इन पर्वतों से टकराएंगी, इन चैंबरों से निकलने वाला सिल्वर आयोडाइड ऊपर मौजूद बादलों में प्रवेश कर जाएगा। इससे वर्षा के साथ-साथ बर्फबारी भी हो सकती है।
- इसके संदर्भ में सबसे अहम बात यह है कि इस क्षेत्र में हवा की गैर-मौजूदगी अथवा हवा के विपरीत बहाव का इस प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है, हालाँकि इस समस्या के समाधान के संबंध में वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है।

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 अप्रैल को मोतिहारी में स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के तहत किया गया था।

चंपारण सत्याग्रह

- चंपारण सत्याग्रह (**1917**) बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया एक अहिंसक आंदोलन था, जिसने भारत में गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा के ऊपर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया। यह आंदोलन एक युग प्रवर्तक के रूप में उभरा।
- सत्य पर आधारित यह गुलाम भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन था। इसके अंतर्गत विरोधियों की निंदा करने के स्थान पर उनकी गलत नीतियों तथा शोषणयुक्त व्यवहार का तर्कपूर्ण विरोध किया गया।
- इसमें महिलाओं तथा अन्य स्थानीय लोगों के साथ-साथ कमज़ोर समझे जाने वाले वर्ग ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।
- इस आंदोलन की विशेष बात यह थी कि बिना किसी कठोर कार्रवाई के ही तिनकठिया पद्धति का अंत हो गया। तिनकठिया पद्धति के समाप्त होने के बाद भी बागान मालिक और किसानों के संबंध खराब नहीं हुए।
- इस आंदोलन के बाद से ही भारत में गांधी जी और उनकी अहिंसात्मक पद्धति का महत्त्व बढ़ा तथा वे एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे।

वास्तविक समय पर जन शिकायतों की निगरानी हेतु ऑनलाइन डैशबोर्ड

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions) द्वारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances - DARPG) द्वारा विकसित एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। यह डैशबोर्ड वास्तविक समय पर लोक अथवा जन शिकायतों की निगरानी करेगा और समय-समय पर प्रणालीगत सुधारों की प्रगति की समीक्षा करेगा।

- सुव्यवस्थित सुधारों और उनकी निगरानी के उन पैमानों को डैशबोर्ड पर दर्शाया जाता है, जो जन शिकायतों के मसलों से जुड़े होते हैं। इससे संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इन सुधारों की निगरानी करने में मदद मिलेगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस डैशबोर्ड के लिये प्रमुख (नोडल) विभाग डीएआरपीजी है।
- यह विभिन्न पहलों के क्रियान्वयन की निगरानी करने में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के लिये भी मददगार साबित होगा और उन्हें आवश्यक जानकारियाँ (इनपुट) उपलब्ध कराएगा।
- इस अवसर पर 'सुव्यवस्थित सुधारों एवं जन शिकायतों की निगरानी' पर परियोजना निगरानी रिपोर्ट के साथ-साथ 'शिकायत डेटा विश्लेषण, **CPENGRAMS (Centralized Pensioners Grievance Redress And Monitoring System - CPENGRAMS)** एवं प्रणालीगत सुधार संबंधी सिफारिशों के अध्ययन' और 'अनुभव पोर्टल के लिये सिफारिशों' पर भी रिपोर्ट जारी की गई।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

8 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) बैंक की शुरूआत की गई। वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में 20,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त राशि और 3,000 करोड़ रुपए की साख गारंटी राशि के साथ एक सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक के सृजन का प्रस्ताव रखा गया था।

- 'मुद्रा' का मुख्य कार्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वावधान में सूक्ष्म व्यवसायों/इकाइयों को दिये जाने वाले कर्जों के लिये पुनर्वित्त सुविधा मुहैया करना है।
- इसके तहत उत्पादों को शिशु, किशोर एवं तरुण श्रेणियों के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जो लाभार्थी सूक्ष्म इकाई (उद्यमी) के विकास एवं वित्त संबंधी जरूरतों के चरण को रेखांकित करेंगा।
  - ✓ **शिशु :** इसके तहत 50,000 रुपए तक के कर्ज़ों को कवर किया जाएगा।
  - ✓ किशोर : इसके तहत 50,000 रुपए से ज़्यादा और 5 लाख रुपए तक के कर्ज़ों को कवर किया जाएगा।
  - ✓ तरुण : इसके तहत 5 लाख रुपए से ज़्यादा तथा 10 लाख रुपए तक के कर्ज़ों को कवर किया जाएगा।
- इसके तहत जो व्यवसाय/उद्यम/इकाइयाँ कवर होंगी, उनमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छोटी विनिर्माण इकाइयों, दुकानदारों, फल/सब्जी विक्रेताओं, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ट्रांसपोर्टरों, ट्रक ऑपरेटरों, मशीन ऑपरेटरों, छोटे उद्योगों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, प्रोफेशनल, सेवा प्रदानकर्त्ताओं इत्यादि के रूप में स्वयं संचालन करने वाली स्वामित्व (प्रोप्राइटरशिप)/भागीदारी फर्म शामिल होंगी और जिनकी वित्त पोषण संबंधी आवश्यकता **10** लाख रुपए तक की होगी।
- 'मुद्रा' की स्थापना से न केवल बैंकिंग सुविधाओं से वंचित उद्यमियों को वित्त मुहैया कराने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे असंगठित सूक्ष्म/छोटे उद्यमी क्षेत्र को वित्त पोषकों से मिलने वाले वित्त की लागत भी घट जाएगी।

ज्योतिराव गोविंदराव फुले

11 अप्रैल को 19वीं सदी के महान भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्त्ता ज्योतिराव गोविंदराव फुले की जयंती थी। 11 अप्रैल, 1827 को महाराष्ट्र में निचली जाति में जन्मे फुले को महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है।

- ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की धार्मिक सत्ता के खिलाफ जीवन भर आंदोलन चलाया। वे आधुनिक शिक्षा को निचली जातियों की मुक्ति का सबसे प्रभावशाली अस्त्र मानते थे।
- वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निचली जातियों की कन्याओं के लिये अनेक विद्यालय खोले।
- सितंबर **1873** में उन्होंने महाराष्ट्र में 'सत्य शोधक समाज' नामक संगठन का गठन किया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- उन्होंने जितना मुखर विरोध बाल विवाह एवं ब्राह्मणवाद का किया, उतने ही वे विधवा विवाह के पुरज़ोर समर्थक भी थे।
- समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के वे प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे।
- उन्होंने बिना किसी ब्राह्मण या पुरोहित के विवाह-संस्कार की प्रथा आरंभ की, साथ ही बाद में इसे बॉम्बे उच्च न्यायालय से मान्यता भी प्रदान कराई।
- महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिये ज्योतिबा फुले ने अनेक कार्य किये। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिये भी काफी काम किया।
- स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिये **1848** में एक स्कूल खोला। महिला शिक्षा के संदर्भ में यह देश का पहला विद्यालय था।

रीढ़ की हड्डी की विकृतियों को ठीक करेगा नया आविष्कार

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा शरीर को बाहर से मज़बूती प्रदान करने के लिये एक रोबोटिक स्पाइन एक्सोस्केलटन (रोस) विकसित किया गया है, इसे पहनकर रीढ़ की हड्डी की विकृतियों को सही किया जा सकता है। शरीर में ये विकृतियाँ रीढ़ की हड्डी के असामान्य टेढ़ेपन के कारण उत्पन्न होती हैं।

- वैज्ञानिक भाषा में इन विकृतियों को 'इडियोपैथिक स्कोलियोसिस' एवं 'काईफोसिस' कहा जाता है।
- नए रोबोटिक स्पाइन एक्सोस्केलटन (रोस) के उपयोग से रीढ़ की हड्डी की विकृतियों के उपचार की नई विधियाँ विकसित की जा सकती हैं।
- इन विकृतियों से पीड़ित बच्चों को पेट और कूल्हों के समीप ब्रेस लगाने की सलाह दी जाती है, चूँकि इस प्रकार के ब्रेस कठोर, स्थिर और असुविधाजनक होते हैं।
- लंबे समय तक ब्रेस का इस्तेमाल करने से त्वचा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही ये ब्रेस इलाज के दौरान शरीर में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम नहीं हैं, यही वज़ह है कि ये बहुत प्रभावी नहीं होते हैं।
- अत: बहुत समय से वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा उपकरण विकसित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे इस समस्या का स्थायी हल किया जा सके।

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. भीम राव अम्बेडकर के 26 अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित महापरिनिर्वाण स्थल पर डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक भारत के संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर के जीवन और उनके योगदान को समर्पित है। 21 मार्च, 2016 को प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी।

- भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीम राव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में **14** अप्रैल, **1891** को हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे।
- **1** नवंबर, **1951** को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद डॉ. अम्बेडकर **26,** अलीपुर रोड, दिल्ली में सिरोही के महाराजा के घर में रहने लगे, जहाँ उन्होंने **6** दिसंबर, **1956** को आखिरी साँस ली और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।
- डॉ. अम्बेडकर की स्मृति में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने **2** दिसंबर, **2003** को महापरिनिर्वाण स्थल राष्ट्र को समर्पित किया था। बाबा साहब के अनुयायी उस स्थान को पवित्र मानते हैं, जहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।
- चूँकि, इस इमारत को संविधान निर्माता बाबा साहब के स्मारक के रूप में निर्मित किया गया है, इमारत को पुस्तक का आकार दिया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विशेषताएँ

- इस इमारत में एक प्रदर्शनी स्थल, स्मारक, बुद्ध की प्रतिमा के साथ ध्यान केंद्र तथा डॉ. अम्बेडकर की **12** फुट की कांस्य की प्रतिमा है।
- प्रवेश द्वार पर अशोक स्तंभ (**11** मीटर) और पीछे की तरफ ध्यान केंद्र बनाया गया है।
- इसके अतिरिक्त एक संगीतमय फव्वारा; छतरी (बौद्ध छतरी में डॉ. अम्बेडकर की आवक्ष प्रतिमा): बोधि वृक्ष (बाहरी हिस्से में रोपा गया);, तोरण द्वार (संख्या **02)** एवं ए. वी. संग्रहालय, यह स्थिर मीडिया, गतिशील मीडिया और श्रव्य दृश्य विषय-वस्तु तथा मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के ज़रिये उनके जीवन और आधुनिक भारत को उनके योगदान की जानकारी में तल्लीन कर देने वाला संग्रहालय स्थापित किया गया है।
- इसमें सीवेज शोधन संयंत्र (**30** केएलडी), वर्षा जल सिंचाई प्रणाली और नेट मीटरिंग के साथ छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र (**50** किलोवाट) स्थापित किया गया है।
- इमारत **7374** वर्ग मीटर क्षेत्र में खड़ी की गई है और इसका कुल निर्मित क्षेत्र **6758** वर्ग मीटर है।

स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम

स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी, 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश में स्टार्ट-अप्स और नए विचारों के लिये एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर उत्पन्न हों।

- स्टार्ट-अप एक इकाई है, जो भारत में पाँच साल से अधिक समय से पंजीकृत नहीं है और जिसका वार्षिक कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में **25** करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।
- यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यावसायीकरण की दिशा में काम करती है।
- इस योजना को देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिये नवाचार और स्टार्ट-अप के एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिये शुरू किया गया था।
- इस पहल के माध्यम से सरकार नवाचार और डिज़ाइन को विकसित करना चाहती है ताकि स्टार्ट-अप को सशक्त बनाया जा सके।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

14 अप्रैल, 2018 से 05 मई, 2018 तक "ग्राम स्वराज अभियान: सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास कार्यक्रम" आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना, गरीब परिवारों तक पहुँच कायम करना और केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों से वंचित रह गए सभी लोगों को इनके दायरे में लाकर लाभान्वित करना है।

- ग्राम स्वराज अभियान के दौरान **21058** गाँवों के लिये विशेष पहल शुरू की जा रही है। इसमें चुनावी राज्य कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के गाँव शामिल नहीं हैं।
- इस अभियान के अंतर्गत गरीब समर्थक पहलों में उज्ज्वला योजना, मिशन इन्द्रधनुष, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, उजाला, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शत प्रतिशत आच्छादन किया जाएगा।

क्रम सं.	तिथि	नाम	उद्देश्य
1.	14 अप्रैल	अंबेडकर जयंती	जाति, आय प्रमाण-पत्र और छात्रवृत्ति के लिये पंजीकरण किये जाएंगे और बैंक खातों को आधार से जोड़ा जाएगा।
2.	18 अप्रैल	स्वच्छ भारत पर्व	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

3.	20 अप्रैल	उज्ज्वला पंचायत	15000 स्थानों पर एलपीजी कनेक्शन बाँटे जाएंगे।
4.	24 अप्रैल	पंचायती राज दिवस	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। प्रत्येक गाँव में स्थानीय सरकार निर्देशिका को लॉन्च किया जाएगा।
5.	28 अप्रैल	ग्राम शक्ति अभियान	ज़िला मुख्यालय स्तर पर ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्बों की बिक्री की जाएगी और सौभाग्य योजना पर कियॉस्क, स्टॉल एवं काउंटर लगाए जाएंगे।
6.	30 अप्रैल	आयुष्मान भारत	ग्राम पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण। पात्र लाभार्थियों तक पहुँच बनाई जाएगी और प्रक्रिया के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाएगा।
7.	02 मई	किसान कल्याण कार्यशाला	ब्लॉक स्तर पर किसानों की आय दुगुनी करने के लिये कार्यशालाओं का आयोजन।
8.	05 मई	आजीविका और कौशल विकास मेला	4000 ब्लाकों एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन।

नासा का मिशन 'Tess'

नए ग्रह की खोज के लिये 16 अप्रैल को नासा एक नया मिशन शुरू करने जा रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 'ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (टीईएसएस)' मिशन का अगला चरण 16 अप्रैल को शुरू किया जाएगा। इस मिशन के तहत सौरमंडल के बाहरी ग्रहों यानी एक्सोप्लेनेट की खोज की जाएगी।

- **Tess** मिशन दो सालों तक पृथ्वी के सौरमंडल से बाहर सूर्य के करीबी सबसे चमकीले **200,000** तारों का सर्वेक्षण करेगा। शोधकर्त्ताओं द्वारा इन ग्रहों पर जीवन की संभावना के विषय में अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद इन तारों का चक्कर लगा रहे ग्रहों की खोज का कार्य किया जाएगा।
- नासा के अनुसार, इनमें से कम-से-कम **300** ग्रहों के पृथ्वी के बराबर या पृथ्वी से बड़े यानी सुपर अर्थ होने की संभावना है।
- जापान के टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्त्ताओं द्वारा इस शोध के लिये नासा के केपलर स्पेसक्राफ्ट के दूसरे अभियान से प्राप्त आँकड़ों पर अध्ययन किया गया है।
- इन अध्ययनों में खोजे गए सभी **15** ग्रहों में **3** को सुपर अर्थ माना जा रहा है क्योंकि ये आकार में धरती से बड़े हैं। हालाँकि, ये सभी ग्रह पृथ्वी से तकरीबन **200** प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक लाल तारे **K2-155** की परिक्रमा कर रहे हैं।
- इन **3** सुपर अर्थ में सबसे बाहरी ग्रह पर पानी के मौजूद होने की उम्मीद है, परंतु अभी इस विषय में प्रमाणिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। यही कारण है कि नासा द्वारा **Tess** को लॉन्च किया जा रहा है, ताकि ब्रह्मांड में मौजूद अन्य एक्सोप्लेनेट के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सके।

65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की फीचर, गैर-फीचर, लेखन श्रेणियों के निर्णायक मंडलों के अध्यक्षों और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समिति के सदस्यों द्वारा फिल्म निर्माता शेखर कपूर की अध्यक्षता में वर्ष 2017 के लिये विभिन्न श्रेणियों में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई।

- गैर-फीचर फिल्म पैनल की अध्यक्षता श्री नकुल कामते और सर्वश्रेष्ठ सिनेमा लेखन पैनल की अध्यक्षता श्री अनंत विजय द्वारा की गई।
- **राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 3 मई, 2018 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किये जाएंगे।**

पुरस्कार की श्रेणी	विजेता
हिन्दी सिनेमा में योगदान के लिये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार	जाने-माने फिल्म अभिनेता श्री विनोद खन्ना (मरणोपरांत)
सर्वश्रेष्ठ फिल्म	विलेज रॉकस्टार्स (असमी)
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म	न्यूटन
सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म	बाहुबली 2 (तेलुगू)
नर्गिस दत्त पुरस्कार (राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म)	धप्पा (मराठी)

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	जयराज (मलयालम फिल्म भयानकम)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता	रिद्धि सेन (बंगाली फिल्म नगरकीर्तन)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री	श्रीदेवी (हिंदी फिल्म मॉम)
सर्वश्रेष्ठ पार्श्व संगीत	एआर रहमान (हिंदी फिल्म मॉम)
सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन	एआर रहमान (कातरु वेलीयीदायी)
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री	दिव्या दत्ता (हिंदी फिल्म इरादा)
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता	फहद फाजिल (मलयालम)
सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका	शाशा तिरुपति
सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक	केजे येसुदास
सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा	जयराज (मलयालम फिल्म भयानकम)
सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा	थोंडीमुथालम द्रिकशाक्शियम
सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन	बाहुबली 2
सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफ़ेक्ट	बाहुबली 2
स्पेशल ज्यूरी अवार्ड	नगरकीर्तन
स्पेशल मेंशन अवार्ड	पंकज त्रिपाठी (हिंदी फिल्म 'न्यूटन')
सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक	गणेश आचार्य (हिंदी फिल्म 'टॉयलेट- एक प्रेम कथा')
सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक	गिरिधर
सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर निर्देशक	नागराज मंजूले
सामाजिक विषयों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म	मलयालम फिल्म 'आलोरूक्कम'
जसरी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म	सिंजर
तुलुव भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म	पद्दाई
लद्दाखी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म	वॉकिंग विथ द विंड'
बेस्ट बुक ऑन सिनेमा	बॉबी वाहेंगबाम द्वारा लिखी गई फिल्म 'मतमागी मणिपुर' (मणिपुरी भाषा)
बच्चों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म	मराठी फिल्म 'मोहरक्या'
गैर-फीचर फिल्म की श्रेणी में स्पेशल फिल्म	ए वेरी ओल्ड मैन विद इनॉर्मस विंग्स एंड मन्डे

सड़क सुरक्षा ट्रस्ट फंड

दुनिया भर में विशेषकर भारत और कनाडा में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा ट्रस्ट फंड की शुरूआत की गई है। इस फंड का इस्तेमाल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और घायलों की संख्या में कमी लाने के लिये किया जाएगा।

- इसके साथ-साथ इस फंड का इस्तेमाल सुरक्षित और सहज परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु भी किया जाएगा।
- वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में बात करें, तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें एक गंभीर समस्या बन गई हैं। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में तकरीबन **13** लाख चालकों, वाहन सवारों और पैदल यात्रियों की मौत हो जाती है।
- इतना ही नहीं, इन हादसों में तकरीबन पाँच करोड़ लोग घायल होते हैं।
- लोगों की सुरक्षा और नुकसान की भरपाई के लिये यह फंड शुरू किया जा रहा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

चीन का उन्नत क्लाउड प्लेटफॉर्म

चीनी विज्ञान अकादमी के कंप्यूटर नेटवर्क सूचना केंद्र द्वारा एक उन्नत वैज्ञानिक क्लाउड प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिससे वैज्ञानिकों को अनुसंधान व नई खोज को आगे बढ़ाने के लिये सुलभ, सटीक और सुरक्षित डेटा सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

- चाइना डेली के अनुसार, चीन ने चाइना साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लाउड को तैयार किया है। इस तकनीक के अनुप्रयोगों को निम्नलिखित पाँच व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- डेटा रिसोर्सेस।
- क्लाउड कंप्यूटिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) व सुपर कंप्यूटर।
- रिसर्च सॉफ्टवेयर सपोर्ट।
- रिसर्च कम्युनिटी नेटवर्क।
- विदेशी वैज्ञानिकों और प्लेटफॉर्मों के लिये आउटरीच।
- सीएसटीसी का उद्देश्य चीन में वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तनकर्त्ताओं के लिये सबसे अधिक डेटा और क्लाउड सर्विस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये मंच बनाना है।

घाव भरेगी घुलने वाली अनोखी 'पट्टी'

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बीएचयू के स्कूल ऑफ बायो केमिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से एक ऐसी पट्टी यानी बाइलेयर मेंबरिंग तैयार की गई है, जो घाव को ठीक कर देगी और खाल में ही घुल भी जाएगी।

- यह जख्मी जवानों के घाव को भरने में काफी सहायक साबित होगी। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे एक बार चिपकाने के बाद हटाने का झंझट नहीं रहेगा।
- बाइलेयर मेंबरिंग पट्टी दो पर्तों में है। एक परत त्वचा को मुलायम व नमी प्रदान करने में सहायक होगी। वहीं, दूसरी बैक्टीरियल इंफेक्शन से सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ ही इसमें त्वचा के नए सेल बनाने की भी क्षमता विद्यमान है।
- इस पट्टी को चिपकाने के बाद जिस गति से सेल निर्मित होंगे, उसी तरह धीरे-धीरे यह पट्टी भी घुलती जाएगी। यहाँ यह बताना बेहद आवश्यक है कि यह पट्टी पूरी तरह से जैविक एवं हर्बल है।
- घाव सुखाने वाली पट्टी के रूप में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग है। इसमें नीम, बरगद, एलोवेरा आदि के तत्त्वों को शामिल किया गया है।
- अभी इस शोध को केवल जानवरों पर इस्तेमाल किया गया है, जहाँ यह सफल साबित हुआ है।
- इसका पेटेंट कराया जा चुका है। अब मनुष्य पर इस प्रयोग के ट्रायल हेतु सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है।

चाँद पर चीन का पहला जैविक अनुसंधान

वर्ष 2018 में चीन चंद्रमा पर अपने पहले जैविक अनुसंधान के तहत चांग ई 4 लूनर यान के ज़रिये वहाँ आलू, एक फूल के पौधे के बीज और रेशम कीट के अंडाणुओं को भेजने की योजना बना रहा है। इस अनुसंधान का मूल उद्देश्य चांद के वातावरण में जीवन की नई संभावनाओं को तलाशना है।

- दक्षिण-पश्चिमी चीन के चांगकिंग विश्वविद्यालय के नेतृत्व में करीब **28** चीनी विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से इस योजना पर कार्य किया जा रहा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- 'लूनार मिनी बॉयोस्फेयर' नाम की इस योजना के तहत कुछ और देशों, जैसे - नीदरलैंड्स, स्वीडन, जर्मनी और सऊदी अरब के साइंटिफिक पेलोड्स को भी इस यान से चाँद पर भेजा जाएगा।
- इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार चीन एक बेलनाकार टिन में फूल, आलू और अन्य चीज़ें भेजने की योजना पर कार्य कर रहा है। टिन के इस बॉक्स की लंबाई करीब **18** सेंटीमीटर और गोलाई **16** सेंटीमीटर है। यह टीन एक विशेष प्रकार के एल्युमिनियम एलॉय से तैयार किया गया है।
- चांद पर भेजे जाने वाले इस मिशन में बेहद अनोखे प्रयास के तहत एक बेलनाकार डिब्बे में पानी, पौधों के लिये आवश्यक पोषक पदार्थ, हवा, एक छोटा-सा कैमरा और डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम को भी स्थापित किया जाएगा।
- योजनानुसार, इस प्रक्रिया को कैमरे में कैद कर पृथ्वी पर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में पौधे उगाने का काम पहले भी किया गया है लेकिन चांद पर इस प्रकार का यह पहला प्रयास होगा।

पश्चिमी ओडिशा का सबसे लंबा पुल

- ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर में ईब नदी पर राज्य के दूसरे सबसे लंबे पुल का लोकार्पण किया।
- यह पुल रेंगाली ब्लाक संबलपुर को लखनापुर ब्लाक झारसुगुडा से जोड़ेगा।
- ढाई किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। इसकी कुल लागत **117.5** करोड़ रुपए आई है।
- यह एमसीएल कोलफील्ड क्षेत्र और झारसुगुडा के बेलपहाड़ को भी कनेक्ट करेगा।

ई-एफआरआरओ योजना

हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक वेब आधारित एप 'ई-एफआरआरओ' लॉन्च किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत आने वाले विदेशियों को तीव्र एवं कुशल सेवाएँ प्रदान करना है ताकि उनकी भारत यात्रा का अनुभव सुखद रहे।

- इस योजना के तहत विदेशी पर्यटकों और यात्रियों को कैशलेस और पेपरलेस वीज़ा से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी।
- इसके अंतर्गत विदेशियों को भारत में **27** वीज़ा और आव्रजन सेवा केंद्रों से अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने का लाभ मिलेगा।
- उन्हें एफआरआरओ कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं होगी।
- इतना ही नहीं, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है तथा ई-मेल या पोस्ट के ज़रिये अन्य सेवाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है।
- ई-एफआरआरओ के अंतर्गत विदेशियों को स्वयं पंजीकरण कर अपनी यूज़र आईडी बनाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद वे भारत में पंजीकरण, वीज़ा विस्तार, वीज़ा रूपांतरण, निकास परमिट आदि सेवाओं के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ई-एफआरआरओ योजना के अंर्तगत चार रीजनल एफआरओ भी तैयार किये गए हैं। इनमें चार केंद्र फरवरी में बंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में शुरू किये गए।
- अब कोलकाता, अमृतसर, हैदराबाद, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोझीकोड, लखनऊ और अहमदाबाद में भी रीजनल सेंटर शुरू कर दिये गए हैं।

'टॉक टू बुक्स'

गूगल ने अपने यूजर्स के लिये एक नई सेवा 'टॉक टू बुक्स' शुरू की है। इसकी सहायता से दुनिया भर की किताबें पढ़ी जा सकती हैं। टॉक टू बुक्स पूरी तरह वाक्यों की मदद से किताबों को एक्सप्लोर करने का एक बेहतरीन तरीका है।

- इसके लिये यूज़र्स को केवल एक वाक्य लिखना होगा। इसके लिये टॉपिक या लेखक की जरूरत नहीं होगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- 'टॉक टू बुक्स' पुस्तकें तलाशने का एक नया तरीका प्रदान करता है। यदि यूज़र एक वाक्य या एक प्रश्न पूछता है, तो यह उस वाक्य को किताबों में खोजता है।
- यह एक तरह से किताबों से बात करने जैसा है। यह आपको सवालों का जवाब देगा और बताएगा कि किन किताबों में आपका जवाब मिलेगा।

बकरवाल समुदाय

कठुआ रेप केस के बाद से जम्मू-कश्मीर के मैदानी इलाकों में रहने वाला बकरवाल समुदाय चर्चा का विषय बना हुआ है। गुर्जर समाज के एक बड़े और रसूखदार तबके को 'बकरवाल' कहा जाता है। यह नाम कश्मीरी बोलने वाले विद्वानों द्वारा दिया गया है।

- बकरवाल समुदाय के लोग भेड़-बकरी चराने का काम करते हैं। गुर्जर और बकरवालों को तीन हिस्सों में बाँटा जा सकता है।
  - ✓ कुछ गुर्जर और बकरवाल पूरी तरह से खानाबदोश (फुली नोमाद) होते हैं। ये लोग सिर्फ जंगलों में गुज़र-बसर करते हैं। इनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं होता है।
  - ✓ दूसरी श्रेणी में आंशिक खानाबदोश आते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास कहीं एक जगह रहने का ठिकाना है और ये आस-पास के जंगलों में कुछ समय के लिये चले जाते हैं और कुछ समय बिताकर वापस अपने डेरे पर आ जाते हैं।
  - ✓ तीसरी श्रेणी में शरणार्थी ख़ानाबदोश (माइग्रेटरी नोमाद) को शामिल किया जाता है, जिनके पास पहाड़ी इलाकों में धोक (रहने का ठिकाना) मौजूद हैं और यहाँ मैदानी इलाकों में भी रहने का ठिकाना है।
- वर्तमान में गुर्जर और बकरवाल देश के **12** राज्यों में रह रहे हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है।
- इनकी एक विशिष्ट भाषा, लिबास, खान-पान और रहन-सहन है। वर्ष **1991** में बकरवालों को आदिवासी का दर्ज़ा दिया गया।
- **2011** की जनगणना के मुताबिक, जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल की कुल आबादी लगभग **12** लाख के करीब है, अर्थात् कुल जनसंख्या का **11** प्रतिशत।
- माल-मवेशी बेचकर बसर करने वाले बकरवाल लोग आमतौर पर भेड़ बकरी, घोड़े और कुत्तों को पालते हैं।
- बकरवाल समुदाय के लोग आज भी 'बार्टर सिस्टम' के माध्यम से अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदते हैं। इन लोगों के बैंक में खाते नहीं होते और न ही बैंकिंग सिस्टम में इनका विश्वास होता है।
- आज भी बड़ी संख्या में बकरवाल समुदाय के लोग अशिक्षित हैं। हालाँकि, इनकी सहायता के लिये सरकार ने बड़ी संख्या में मोबाइल स्कूलों का इंतजाम किया है, तथापि इस संबंध में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है।
- देश की सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग देश की रक्षा में लगातार अपना योगदान देते रहे हैं।

प्राकृतिक गैस कारोबार के लिये गैस एक्सचेंज

भारत सरकार ने इस साल अक्तूबर तक प्राकृतिक गैस की खरीद फरोख्त के लिये एक बड़ा एक्सचेंज (गैस विनिमय बाज़ार) शुरू करने की योजना बनाई है। इससे भारतीय गैस का एक मानक मूल्य तय हो सकेगा और इसकी खपत को बढ़ावा मिल सकेगा।

- तेल एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने इसके लिये एक सलाहकार की नियुक्ति हेतु बोलियाँ आमंत्रित की हैं जो भारतीय गैस विनिमय बाज़ार की स्थापना तथा उसकी नियामकीय रूपरेखा आदि के बारे में सलाह देगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- देश में प्राकृतिक गैस की खपत को बढ़ावा देने के लिये सरकार एक गैस कारोबार केंद्र अथवा एक्सचेंज स्थापित करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में प्राकृतिक गैस के कई तरह के फार्मूलों पर आधारित मूल्य की बजाय इस एक्सचेंज के ज़रिये प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बाजार आधारित प्रणाली के तहत हो सकेगी।
- वर्तमान में घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस का मूल्य सरकार तय करती है। यह दर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और रूस में प्रचलित गैस के मूल्यों के आधार पर तय की जाती है जो गैस के शुद्ध निर्यातक हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF) एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है।

- यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता प्रदान करती है।
- आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आईएमएफ की विशेष मुद्रा एसडीआर (**Special Drawing Rights)** कहलाती है।
- ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के लिये कुछ देशों की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, इसे ही एसडीआर कहते हैं।
- एसडीआर के अंतर्गत यू.एस. डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन, यूरो तथा चीन की रेंमिन्बी शामिल है।
- आईएमएफ का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोज़गार के नए अवसरों का सृजन करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' और पत्रिका 'द न्यूयॉर्कर' को पुलित्ज़र पुरस्कार

हाल ही में वर्ष 2018 के पुलित्ज़र पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किये गए।

- 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' और पत्रिका 'द न्यूयॉर्कर' नामक दो समाचार पत्रों को संयुक्त रूप से लोकसेवा के पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- इन समाचार पत्रों को यौन उत्पीड़न व यौन दुर्व्यवहार के मामलों का खुलासा करने के कारण, इस पुरस्कार के लिये चुना गया है।
- वहीं, 'द टाइम्स' और 'द वाशिंगटन पोस्ट' को डोनाल्ड ट्रंप के रूस के साथ संभावित संबंधों के बारे में कवरेज प्रदान करने के लिये 'राष्ट्रीय रिपोर्टिंग पुरस्कार' के लिये चुना गया है।
- साथ ही, संगीत में रैपर केंड्रिक लेमर को उनके एल्बम **'डैम'(DAMN)** के लिये पुलित्ज़र पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष **1917** से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है एवं इसे अमेरिकी पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है।

गुंटूर में पूर्व ऐतिहासिक रॉक आर्ट साइट की खोज

दचेपल्ली के निकट नागुलेरू के पूर्वी तट पर चूना पत्थर के विशाल क्षेत्र में पूर्व ऐतिहासिक रॉक आर्ट साइट की खोज की गई है।

- यह **1500-2000** ई.पू. के दौरान गुंटूर में निओलिथिक सभ्यता पर प्रकाश डालता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- यह अपनी तरह का देश में पहला प्राकृतिक चूने पत्थर वाला रॉक आर्ट साइट है।
- रॉक आर्ट साइट पर किये गए उत्कीर्णन और ब्रशिंग से प्राचीन सभ्यताओं के सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रथाओं पर प्रकाश पड़ता है।
- रॉक आर्ट साइट से एक मानव सदृश्य आकृति मिली है और एक उत्कीर्णन में एक योद्धा को तलवार और एक ढाल लिये दर्शाया गया है, जो लौह युग की प्रथाओं को दर्शाता है।

'डार्कनेस'

- वैज्ञानिकों ने हाल ही में सबसे बड़े सुपरकंडक्टिंग कैमरे का विकास किया है जो हमारे सौरमंडल के नज़दीक स्थित तारों के पास वाले ग्रहों का पता लगा सकता है।
- अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी की टीम ने इसका निर्माण किया है।
- डार्कनेस **'DARK-speckle Near-infrared Energy-resolved Superconducting Spectrophotometer'** का संक्षिप्त नाम है।
- **10,000** पिक्सेल वाले इस एकीकृत फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ (**integral field spectrograph)** का निर्माण पारंपरिक सेमीकंडक्टर डिटेक्टरों की सीमित क्षमता को कम करने के लिये किया गया है।
- यह माइक्रोवेव काइनेटिक इंडक्टेंस डिटेक्टरों(**Microwave Kinetic Inductance Detectors)** द्वारा एक बड़े टेलीस्कोप और अडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम (**adaptive optics system)** के साथ संयोजन द्वारा नज़दीकी तारों के समीप स्थित ग्रहों की प्रत्यक्ष इमेजिंग करता है।

स्वयं के भार से 12 हज़ार गुना अधिक वज़न उठा सकने वाली कृत्रिम माँसपेशियाँ

- वैज्ञानिकों ने ऐसी कार्बन फाइबर युक्त कृत्रिम माँसपेशियाँ डिज़ाइन की हैं जो स्वयं के भार से **12,600** गुना अधिक भार उठा सकती हैं।
- इन मज़बूत माँसपेशियों को कार्बन फाइबर-प्रबलित सिलोक्सेन रबड़ (**carbon fibre-reinforced siloxane rubber)** से बनाया गया है और इसमें एक कुंडलित ज्यामिति (**coiled geometry)** होती है।
- ये माँसपेशियाँ विद्युत द्वारा चालित किये जाने पर कम वोल्टेज ऊर्जा पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं।
- ये वज़न में बेहद हल्की होती हैं एवं कम कीमत में निर्मित की जा सकती हैं।
- इनका उपयोग रोबोटिक्स, कृत्रिम अंगों के निर्माण और मानव सहायक उपकरणों के निर्माण में किया जा सकता है।
- इस शोध को 'स्मार्ट मैटेरियल एंड स्ट्रक्चर' नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

ओरियन कैप्सूल के 100 से अधिक हिस्सों का 3डी प्रिंटिंग से होगा निर्माण

- अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के डीप स्पेस कैप्सूल 'ओरियन' के **100** से अधिक हिस्सों का **3**डी प्रिंटिंग द्वारा निर्माण किया जाएगा।
- ये हिस्से डीप स्पेस के चरम तापमान और रासायनिक वातावरण में भी काम करने में सक्षम होंगे।
- **3**डी प्रिंटिंग द्वारा हल्के वज़न युक्त और कम कीमत वाले हिस्सों का निर्माण किया जा सकता है और डिज़ाइन में भी अधिकाधिक परिवर्तन लाया जा सकता है।
- ओरियन नासा के सेवानिवृत्ति योग्य अंतरिक्ष यानों के अनुवर्ती कार्यक्रम (**follow-up program)** का भाग है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से आगे यात्रा करने में सक्षम बनाएगा।
- यह कदम मानव को मंगल पर भेजने में मददगार साबित हो सकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

दर्पण पीएलआई एप

केंद्रीय संचार मंत्रालय ने दर्पण पीएलआई एप लॉन्च किया जो पीएलआई और आरपीएलआई बीमा पॉलिसियों की किस्त संग्रह में सहायता प्रदान करेगा। इस एप के माध्यम से भारत के किसी भी डाकघर में किस्तें जमा की जा सकती हैं और पॉलिसी व धनसंग्रह का ऑनलाइन अपडेट संभव होगा।

- इस एप के माध्यम से उक्त बीमा पॉलिसियों की परिपक्वता दावों को डाकघर शाखा में ही निपटाया जा सकेगा।
- देश की डाक सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिये दर्पण (डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया) परियोजना लागू की गई है।
- इसका लक्ष्य देश के **1.29** लाख ग्रामीण डाकघर शाखाओं को डाक व वित्तीय लेन-देन के लिये ऑनलाइन जोड़ना है।

स्टडी इन इंडिया

एक महत्त्वपूर्ण पहल के तहत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 18 अप्रैल, 2018 को 'स्टडी इन इंडिया' (www.studyinindia.gov.in) नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

- यह पोर्टल दक्षिण एशिया, अफ्रीका, सीआईएस और मध्य-पूर्व के **30** देशों के छात्रों को **150** विभिन्न भारतीय संस्थानों में नामांकन के लिये आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा।
- इन भारतीय संस्थानों को एनएएसी और एनआईआरएफ सूचकांकों में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है।
- 'स्टडी इन इंडिया' पोर्टल का लक्ष्य विदेशी छात्रों की शिक्षा के लिये भारत को प्राथमिक गंतव्य के रूप में विकसित करना है।
- इसके तहत, इस साल विदेशी छात्रों को प्रवेश परीक्षा दिये बिना आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।
- इसके ज़रिये छात्र भारत के विभिन्न संस्थानों की जानकारी हासिल कर पाएंगे।

जीई 3

हाल ही में एक क्षुद्रग्रह (एस्टेरॉयड) धरती के बहुत पास से गुज़रा है। नासा के वैज्ञानिकों को इसके विषय में इसके पृथ्वी के बिल्कुल करीब से गुज़रने के महज़ 21 घंटे पहले ही जानकारी प्राप्त हुई थी। इस घटना से नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हैं।

- स्पेस डॉट कॉम के अनुसार, **2018** में जीई **3** नामक यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से करीब दो लाख किलोमीटर की दूरी से गुज़रा। यह दूरी धरती और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी की करीब आधी है।
- यह रविवार सुबह **2:41** मिनट पर एक लाख छह हज़ार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के पास से गुज़रा।
- इस क्षुद्रग्रह की चौड़ाई **47** से **100** मीटर के बीच होने का अनुमान है और उस क्षुद्रग्रह से **3.6** गुना बड़ा था, जिसने **1908** में तुंगुस्का में धरती से टकराने पर **2000** वर्ग किलोमीटर साईबेरिया वन को समतल बना दिया था।
- इस एस्टेरॉयड से हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से **185** गुना ज़्यादा ऊर्जा पैदा हुई थी।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि **2018** में जीई **3** धरती से टकराता, तो इससे क्षेत्रीय स्तर पर ही नुकसान होता लेकिन इसके कण पूरे वातावरण में फैल जाते।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता

दिव्यांग युवाओं के लिये वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता (जीआईटीसी) 2018 का आयोजन नई दिल्ली में 8 से 11 नवंबर, 2018 तक किया जाएगा। इसमें वित्तीय, परिवहन, श्रमबल तथा अन्य सुविधाएँ शामिल हैं।

- भारत, कोरिया सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय व इसके सहयोगी पुनर्वास इंटरनेशनल कोरिया तथा एलजी ग्रुप के साथ संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।
- जीआईटीसी प्रत्येक वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। कोरिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं।
- अपंगता की चार श्रेणियाँ इस प्रतियोगिता में शामिल हैं। इनके नाम हैं- शारीरिक, दृष्टि, श्रवण तथा बौद्धिक।
- यह प्रतियोगिता व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर आईटी क्षेत्र में कुशलता की परख करेगी।
- विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार दिये जाएंगे। इस प्रतियोगिता से दिव्यांग युवाओं के आईटी कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उन्हें भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
- डीईपीडब्ल्यूडी इस कार्यक्रम का प्रमुख हितधारक है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, युवा मामले तथा खेल मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हैं।

चंद्रयान 2

यह चंद्रमा पर भेजा जाने वाला भारत का दूसरा तथा चंद्रयान-1 का एक उन्नत संस्करण है। यह एक चुनौतीपूर्ण मिशन है क्योंकि इसके द्वारा पहली बार चंद्रमा पर एक कृत्रिम उपग्रह, एक लैंडर और एक रोवर ले जाया जाएगा। ऑर्बिटर जहाँ चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगा, वहीं लैंडर चंद्रमा के एक निर्दिष्ट साइट पर उतरकर रोवर को तैनात करेगा।

- इस यान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के मौलिक अध्ययन (**elemental study**) के साथ-साथ वहाँ पाए जाने वाले खनिजों का अध्ययन (**mineralogical study**) करना है। इसे जी.एस.एल.वी.-एम.के.-**II (GSLV-MK II)** द्वारा पृथ्वी के पार्किंग ऑर्बिट (**Earth Parking Orbit - EPO**) में एक संयुक्त स्टैक के रूप में भेजे जाने की योजना बनाई गई है।
- गौरतलब है कि वर्ष **2010** के दौरान भारत और रूस के बीच यह सहमति बनी थी कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी **'Roscosmos'** चंद्र लैंडर (**Lunar Lander**) के लिये ज़िम्मेदार होगी तथा ऑर्बिटर और रोवर के साथ-साथ जी.एस.एल.वी. द्वारा इस यान की लॉन्चिंग के लिये इसरो उत्तरदायी होगा।
- किंतु, बाद में इस मिशन के कार्यक्रम संरेखण में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया कि चंद्र लैंडर का विकास (**Lunar Lander development**) भी इसरो द्वारा ही किया जाएगा। इस प्रकार चंद्रयान-**2** अब पूर्णरूपेण एक भारतीय मिशन बन गया।
- इस मिशन की कुल लागत लगभग **800** करोड़ रुपए है। इसमें लॉन्च करने की लागत **200** करोड़ रुपए तथा सैटेलाइट की लागत **600** करोड़ रुपए शामिल है। विदेशी धरती से इस मिशन को लॉन्च करने की तुलना में यह लागत लगभग आधी है।
- चंद्रयान-**2** एक लैंड रोवर और जाँच (प्रोब) से सुसज्जित होगा, जो चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और आँकड़े भेजेगा जो चन्द्रमा की मिट्टी का विश्लेषण करने में उपयोगी होंगे।

पार्सल निदेशालय

हाल ही में डाक विभाग में पार्सल निदेशालय का उद्घाटन किया गया। वैश्विक स्तर पर पत्र मेल में गिरावट आई है, किंतु भारत में पैकेट और पार्सल्स की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण भारत में "ई-कॉमर्स" के साथ "ई-टेल" व्यवसाय में तेज़ी से विकास है, जिसमें एकीकृत संग्रहण, छँटाई, पारेषण और वितरण प्रणाली की आवश्यकता होती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- देश में पार्सल व्यवसाय (केवल लॉजिस्टिक्स एवं वितरण जिसमें वस्तु एवं सेवा का मूल्य सम्मिलित नहीं है।) **15%** प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय के वर्ष **2026** तक मौजूदा **18000** करोड़ रुपए के स्तर से बढ़कर **60000** करोड़ रुपए तक पँहुचने की संभावना है।
- भारतीय डाक द्वारा पार्सल संचालन में सुधार हेतु नवंबर **2016** के दौरान "पार्सल नेटवर्क अनुकूलन परियोजना" प्रारम्भ की गई।
- इसके बाद से पार्सल संबंधित आवश्यकताओं, जैसे कि परिचालन तंत्र का पुनर्गठन, प्रसंस्करण एवं वितरण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा सुनिश्चित करना आदि को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।
- इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विभाग के अंतर्गत पार्सल और ई-कॉमर्स हेतु एक अलग निदेशालय (मुख्यालय नई दिल्ली) की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- यह निदेशालय डाक जीवन बीमा (पीएलआई) निदेशालय और व्यवसाय विकास निदेशालय की तरह ही कार्य करेगा, जिनको पूर्व में बीमा व्यवसाय एवं व्यवसाय विकास की गतिविधियों को अधिक प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु स्थापित किया गया था।
- पारंपरिक मेल व्यवसाय और विपणन सम्बंधित कार्य मौजूदा प्रभागों द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा।

रबर की तरह खिंच सकेगा हीरा

शोधकर्त्ताओं द्वारा सुई के आकार के हीरे के टुकड़ों को रबर की तरह खींचने में सफलता हासिल की गई है। इतना ही नहीं, फैलने के बाद यह बिना टूटे अपने पुराने आकार में लौट आया। मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा केमिकल वेपर डिपोज़िशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर यह प्रयोग किया गया।

- सुई के आकार वाले इस हीरे को करीब नौ फीसद तक मोड़ा जा सकता है, जबकि सामान्य हीरे में एक फीसद से भी कम खिंचाव होता है।
- उच्च गुणवत्ता वाले ठोस पदार्थों के निर्माण में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। हीरे में होने वाले झुकाव को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की सहायता से मापा गया है।
- इलास्टिक की तरह खिंचने के बाद हीरे के थर्मल, ऑप्टिकल, चुंबकीय, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक गुणों में बदलाव आता है। इसका इस्तेमाल सेंसर, डाटा संग्रह करने या दवाओं को शरीर में पहुँचाने के लिये बनाए जाने वाले उपकरणों में किया जा सकता है।
- सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्त्वों में हीरा सबसे ज़्यादा कठोर और मज़बूत होता है। इसकी एक खासियत इसकी भंगुरता (जल्द टूटने वाला) भी है यानी इसे खींचा नहीं जा सकता। खींचने के लिये बाहरी बल का इस्तेमाल करने पर यह टूट जाता है।

विश्व पृथ्वी दिवस

हर साल 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का प्रणेता अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन को माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले अमेरिकी औद्योगिक विकास के कारण हो रहे पर्यावरणीय दुष्परिणामों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। इसके लिये उन्होंने अमेरिकी समाज को संगठित किया, विरोध प्रदर्शन एवं जन-आन्दोलनों के लिये मंच उपलब्ध कराया।

- पृथ्वी दिवस की स्थापना अमेरिकी सीनेटर गेराल्ड नेल्सन के द्वारा **1970** में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गई थी।
- **22** अप्रैल, **1970** को पृथ्वी दिवस के रूप में आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरूआत हुई। इस आंदोलन में संकल्प लिया गया कि पृथ्वी को नष्ट होने से बचाया जाएगा और कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुचे।
- इस आंदोलन का उद्देश्य पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त रखना है। वर्ष **2000** में यह अभियान वैश्विक (**Global**) बन गया क्योंकि काफी लोग इंटरनेट के ज़रिये पृथ्वी दिवस से जुड़ गए थे।
- अमेरिका पृथ्वी दिवस को वृक्ष दिवस के रूप में मनाता है जिसका उद्देश्य पृथ्वी को हरा-भरा रखना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- पहले विश्व में प्रतिवर्ष दो दिन (**21** मार्च और **22** अप्रैल) पृथ्वी दिवस मनाया जाता था। **21** मार्च को मनाए जाने वाले 'इंटरनेशनल अर्थ डे' को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, पर इसका महत्त्व वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अधिक है।
- **22** अप्रैल को उत्तरी गोलार्द्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्द्ध में शरद का मौसम होता है। संयुक्त राष्ट्र में पृथ्वी दिवस को हर साल मार्च में एक्विनोक्स (वर्ष का वह समय जब दिन और रात बराबर होते हैं) पर मनाया जाता है, यह अक्सर **20** मार्च का दिन होता है, इस परंपरा की शुरूआत शांति कार्यकर्त्ता जॉन मक्कोनेल द्वारा की गई।

ओपेक

हाल ही में राजधानी दिल्ली में ऊर्जा क्षेत्र के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल एनर्जी फोरम (आईईएफ) के 16वें संस्करण का आयोजन किया गया।

- तेल निर्यातक देशों के संगठन का नाम है ओपेक (**Organization of the Petroleum Exporting Countries-OPEC**)।
- इसमें एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के प्रमुख तेल उत्पादक व निर्यातक देश शामिल हैं, जिनकी दुनिया के कुल कच्चे तेल में लगभग **77** प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
- ओपेक की स्थापना **14** सितंबर, **1960** को इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। ओपेक का सचिवालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है।
- ओपेक के पाँच संस्थापक देशों में ईरान, इराक, कुवैत, सउदी अरब व वेनेजुएला शामिल हैं, इसके बाद इसमें कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबोन व अंगोला शामिल हुए।
- इंडोनेशिया जनवरी **2009** में ओपेक से हट गया और कुल मिलाकर अभी इसके **12** सदस्य देश हैं।
- ओपेक प्रतिदिन लगभग तीन करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है और सउदी अरब इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा भारत के लिये सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता भी है।

फेम इंडिया योजना

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को फेम इंडिया (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles - FAME India) योजना के तहत मिलने वाला प्रोत्साहन और छह महीने या नीति आयोग द्वारा योजना का दूसरा चरण शुरू किये जाने तक मिलता रहेगा, क्योंकि इसकी अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।

- **1** अप्रैल, **2015** से लागू इस योजना के तहत वर्ष **2022** तक देश भर में **60-70** लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहन सडकों पर उतारने की योजना है।
- इससे लगभग **950** करोड़ लीटर पेट्रोल एवं डीज़ल की खपत में कमी आएगी, जिससे इस पर खर्च होने वाले **62** हज़ार करोड़ रुपए की भी बचत होगी।
- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदूषण कम करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना है।
- इसके तहत डीज़ल और पेट्रोल की जगह हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहन, कार, तिपहिया वाहन और हल्के व भारी कमर्शियल वाहनों के लिये देश भर में अवसंरचना तैयार की जानी है।

विश्व आर्थिक मंच

विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों और शिक्षाविदों एवं बुद्धिजीवियों के लिये एक मंच के रूप में काम करना है। यह स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस फोरम की स्थापना **1971** में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम. श्वाब ने की थी।
- इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तरों पर प्राप्त होती है और ये स्तर संस्था के काम में उनकी सहभागिता पर निर्भर करते हैं। इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्त्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है।
- इस मंच का सबसे चर्चित और महत्त्वपूर्ण आयोजन यही शीतकालीन बैठक होती है, जिसे अन्य नेताओं के अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया था।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट्स

- Global Gender Gap Report
- Global Competitiveness Report
- Global Human Capital Report
- Travel and Tourism Competitiveness Report
- Global Risks Report
- Inclusive Growth and Development Report

दीव स्मार्ट सिटी शत्-प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा वाला पहला नगर

दीव स्मार्ट सिटी भारत का पहला ऐसा नगर बन गया है जो दिन के समय शत्- प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होता है। हरे-भरे और स्वच्छ रहने के लिये इस नगर ने दूसरे नगरों के लिये उदाहरण प्रस्तुत किया है। पिछले वर्ष तक दीव अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 73 प्रतिशत गुजरात से आयात करता था।

- इसके समाधान के लिये दीव ने दो तरीके अपनाए। पहला- **50** एकड़ की पथरीली बंजर भूमि पर **9** मेगावाट शक्ति की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई है।
- इसके अलावा **79** सरकारी भवनों पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे **1.3** मेगावाट विद्युत पैदा होती है।
- सौर क्षमता बढ़ाने के लिये दीव ने अपने नागरिकों को छत पर **1-5** किलोवाट की क्षमता वाले सौर पैनल लगाने पर **10,000-50,000** रुपए की सब्सिडी देने का प्रस्ताव दिया है।
- दीव प्रत्येक वर्ष **13,000** टन कार्बन उत्सर्जन की बचत कर रहा है। कम लागत वाले सौर ऊर्जा के कारण दीव ने बिजली की घरेलू दरों में पिछले वर्ष **10** प्रतिशत तथा इस वर्ष **15** प्रतिशत की कटौती की है।
- बंगलुरू स्मार्ट सिटी में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक सिटी टाउनशिप ऑथोरिटी (ईएलसीआईटीए) की सहायता से यातायात प्रबंधन समाधान के एक मूल प्रारूप का परीक्षण किया जा रहा है।
- यह यातायात की वैसी जानकारी प्रदान करेगा, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसके अंतर्गत कई कैमरों की मदद से वीडियो बनाए जाएंगे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से इसका प्रसंस्करण किया जाएगा, ताकि वास्तविक समय में स्वचालित तरीके से वाहन की पहचान, यातायात के घनत्व का आकलन और ट्रैफिक लाइट को नियंत्रित किया जा सके।
- आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, शहरी सार्वजनिक स्थलों का विस्तार करने तथा क्षेत्र को सामाजिक रूप से सक्रिय बनाने के लिये जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जेएससीएल) ने गुलाबी शहर के हृदय में स्थित चौड़े रास्ते में रात्रि बाज़ार विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिये जेएससीएल **700** दुकानदारों का पंजीकरण करेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ये दुकानदार **9:00** बजे रात्रि से **1:00** बजे मध्य रात्रि तक अपनी दुकान चला सकेंगे। इस परियोजना से नागरिकों को कार्यालय के समय के बाद मनोरंजन और खरीदारी का अवसर मिलेगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) पटना के लोक नायक जयप्रकाश हवाई अड्डे पर एक पाँच-दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इस पाँच-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सीआरबीएन यानी रासायनिक, जीव वैज्ञानिक रेडियोधर्मी तथा परमाणु सामग्री से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में वृद्धि करना है।

- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसन एंड एलाइड सांइसेज (इन्मास) के सहयोग से चलाया जा रहा है।
- इससे पहले, इस तरह का कार्यकम चेन्नई, कोलकाता, मुंबई तथा वाराणसी में आयोजित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (**National Disaster Management Authority - NDMA)** भारत में आपदा प्रबंधन के लिये एक सर्वोच्च निकाय है, जिसका गठन 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, **2005'** के तहत किया गया था।
- यह आपदा प्रबंधन के लिये नीतियों, योजनाओं एवं दिशा-निर्देशों का निर्माण करने के लिये एक ज़िम्मेदार संस्था है, जो आपदाओं के वक्त, समय पर एक प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है।
- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है।

उद्देश्य

- इस संस्था का उद्देश्य एक समग्र, प्रो-एक्टिव, प्रौद्योगिकी संचालित टिकाऊ विकास रणनीति के माध्यम से सुरक्षित और डिजास्टर रेसिलिएंट भारत का निर्माण करना है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया गया है।
- यह आपदा की रोकथाम, तैयारी एवं शमन की संस्कृति को बढ़ावा देती है।

अंतरराष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन 2018

नई दिल्ली में 22 से 24 अप्रैल, 2018 तक आयोजित किये जा रहे अब तक के पहले अंतरराष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन 2018 में 37 देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। भाग लेने वाले प्रमुख देशों में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फ्राँस, इंडोनेशिया, इटली, केन्या, कोरिया, मलेशिया, मोरक्को, नाइज़ीरिया, फिलीपींस, पोलैंड, रूस, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका एवं यूएई शामिल हैं।

- इन देशों के प्रतिनिधिमंडल कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, रणनीतिक रक्षा प्रशिक्षण, शिक्षा, लॉजिस्टिक, डिजिटल मनोरंजन एवं अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्रों में अपने देशों के लघु उद्यमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस सम्मेलन में भारत के **400** से अधिक उद्यमी भी भाग ले रहे हैं।
- सम्मेलन के दौरान 'सीमाओं से आगे' नामक एक खादी फैशन शो का भी आयोजन किया जाएगा।
- इस सम्मेलन में महिला उद्यमियों के लिये भी एक विशेष सत्र रखा गया है, जहाँ सफल महिला व्यवसायी, महिला उद्यमियों के लिये टिकाऊ आजीविका के निर्माण पर चर्चा करेंगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे गतिशील क्षेत्रों के रूप में उभरा है और अपशिष्ट प्रबंधन, रत्न एवं जवाहरात, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा ऑटोमोटिव उद्योग जैसे विविध क्षेत्रों में व्यवसाय करने की सरलता के कारण विश्व भर में इसने अपनी पहचान बनाई है।

'नैरो मनी' और 'ब्रॉड मनी'

डिफ्लेशन और इंफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिये आरबीआई 'नैरो मनी' और 'ब्रॉड मनी' के रूप में धन को वर्गीकृत कर मनी सप्लाई पर नज़र रखता है।

- **नैरो मनी :** 'नैरो मनी' के दो पैमाने होते हैं **'एम1'** और **'एम2'**।
  - ✓ 'एम1' में जनता के पास मौजूद करेंसी, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट यानी बचत और चालू खातों में जमा राशि और आरबीआई के पास जमा अन्य राशियों को शामिल किया जाता है।
  - ✓ इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक के पास मौजूद भारत की जमाराशियों और इंटर बैंक डिपॉजिट को शामिल नहीं किया जाता है।
  - ✓ 'एम1' में जब डाकघर की जमा बचत राशियों को जोड़ लिया जाता है, तो उस योग को 'एम2' कहते हैं।
- **ब्रॉड मनी :** 'ब्रॉड मनी' के भी दो सूचक होते हैं **'एम3'** और **'एम4'**। इन दोनों को ही ब्रॉड मनी कहते हैं।
  - ✓ 'एम3' में 'एम1' एवं बैंकों के पास जमा टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट को शामिल किया जाता है।
  - ✓ 'ब्रॉड मनी' का दूसरा सूचक 'एम4' होता है, जिसमें 'एम3' और डाकघरों में जमा सभी तरह के डिपॉजिट्स शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) की राशि को शामिल नहीं किया जाता है।
  - ✓ अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई पर नज़र रखने का सबसे प्रचलित तरीका 'एम3' है। 'एम1' में नकदी का योगदान सबसे अधिक होता है जबकि 'एम4' में यह सबसे कम होता है।

ग्रेफाइन, शल्य प्रतिरोपण पर बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है

ग्रेफाइन कार्बन का एक प्रकार है जिसमें कार्बन अणुओं की एक परत होती है। परत में कार्बन के अणु षटकोणीय जाली के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अनुसंधानकर्त्ताओं में भारतीय मूल का एक शोधकर्त्ता भी शामिल है।

- स्वीडन में क्लैमर्स प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं के अनुसार, कूल्हे और घुटने के प्रतिरोपण या दंत प्रतिरोपण जैसे सर्जिकल प्रतिरोपण में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है। इस तरह की प्रक्रियाओं में बैक्टीरिया संक्रमण का जोखिम हमेशा रहता है।
- ग्रेफाइन फ्लेक्स की परत एक सुरक्षात्मक सतह का निर्माण करती है जो बैक्टीरिया को जुड़ने नहीं देती है। ग्रेफाइन शल्य प्रतिरोपण जैसी प्रक्रियाओं के दौरान संक्रमण को रोकने में सहायक होती है।
- क्लैमर्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, वैज्ञानिक संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोकना चाहते हैं।
- अगर ऐसा न किया जाए, तो एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता हो सकती है, जो सामान्य जीवाणुओं के संतुलन को बाधित कर सकती है और रोगाणुओं में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी क्षमता पैदा का खतरा भी बढ़ा सकती है।
- यह अध्ययन पत्र 'एडवांस्ड मैटेरियल्स इंटरफेस' नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ।

शंघाई सहयोग संगठन

भारत, पहली बार शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहा है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की यह बैठक चीन के पेइचिंग शहर में आयोजित की गई।

शंघाई सहयोग संगठन

- शंघाई सहयोग संगठन (**SCO-Shanghai Cooperation Organisation**) एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। यूरेशिया का अर्थ है, यूरोप और एशिया का संयुक्त महाद्वीपीय भू-भाग।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस संगठन की शुरूआत शंघाई-5 के रूप में 26 अप्रैल, 1996 को हुई थी। शंघाई-5 चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान देशों का संगठन था।
- 15 जून, 2001 को जब उज़्बेकिस्तान को इसमें शामिल किया गया, तो इसका नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया।
- हेड ऑफ स्टेट काउंसिल इसका शीर्षस्थ नीति-निर्धारक निकाय है।
- चीनी और रूसी शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएँ हैं।

वायु गुणवत्ता को मापने के लिये नई प्रणाली

भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिनलैंड के साथ मिलकर एक प्रदूषण-पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहा है जो पीएम (particulate matter) स्तर के विषय में कम-से-कम दो दिन पहले और जितना संभव हो उससे अधिक रिज़ॉल्यूशन पर अनुमान लगाने में मदद करेगा।

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (**Ministry of Earth Sciences**) द्वारा इस कार्य में समन्वय किया जाएगा। इस कार्य योजना के एक सिस्टम के आगामी सर्दी तक कार्यान्वित होने की संभावना है।
- वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान, पुणे द्वारा संचालित वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (**System of Air Quality and Weather Forecasting and Research - SAFAR**) दिल्ली, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में प्रदूषण के रुझानों के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।

सफर क्या है?

- यह इन शहरों के लिये एक दिन पहले से ही संभावित वायु गुणवत्ता प्रोफ़ाइल उत्पन्न करता है।
- इस प्रणाली से वायु प्रदूषण का अग्रिम तीन दिनों के लिये स्थान विशेष का अनुमान लगाने के साथ ही लोगों को सावधानी के उपाय करने में मदद करने हेतु परामर्श देना संभव हो पाया है।
- यह प्रणाली लोगों को उनके पास के निगरानी स्टेशन पर हवा की गुणवत्ता को देखने और उसके अनुसार उपाय अपनाने का फैसला लेने में मदद करती है।
- 'सफर' के माध्यम से लोगों को वर्तमान हवा की गुणवत्ता, भविष्य में मौसम की स्थिति, खराब मौसम की सूचना देना और संबद्ध स्वास्थ्य परामर्श के लिये जानकारी, तो मिलती ही है, साथ-साथ अल्ट्रा वायलेट सूचकांक के संबंध में हानिकारक सौर विकिरण की तीव्रता की जानकारी भी मिलती है।

नई व्यवस्था

- फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान (**Finnish Meteorological Institute**) और अमेरिका के राष्ट्रीय महासागर तथा वायुमंडलीय प्रशासन (**U.S.' National Oceanic and Atmospheric Administration**) की विशेषज्ञता के साथ संयुक्त रूप से विकसित होने वाली नई प्रणाली, एक अलग मॉडलिंग दृष्टिकोण के साथ-साथ सफर मॉडल में नियोजित कंप्यूटेशनल तकनीकों का उपयोग करेगी।
- 'सफर' इस नई व्यवस्था के आधार के रूप में कार्य करेगा लेकिन यह नई प्रणाली के अंतर्गत (इसके लिये भारतीय वैज्ञानिकों को अलग से विशेष परीक्षण देने की आवश्यकता होगी) आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिये एक पृथक विधि का प्रयोग किया जाएगा।

पश्चिमी घाट में दुनिया का सबसे छोटा भूमि फर्न

भारतीय शोधकर्त्ताओं ने गुजरात के डांग ज़िले के पश्चिमी घाटों के अहवा जंगलों (Ahwa forests) में दुनिया के सबसे छोटे भूमि फर्न की खोज की है। हाल ही में 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, नाखून के आकार का मालवी नामक यह फर्न एक विशेष समूह से संबंधित होता है, साँप की जीभ के आकार (Adder's-tongue ferns) के समान रचना के कारण इसका यह नाम रखा गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसका वैज्ञानिक नाम **Ophioglossum malviae** है। इसका आकार मात्र एक सेंटीमीटर है।
- यह न केवल आकार में अन्य फर्न से भिन्न होता है बल्कि इसमें अन्य जटिल फर्न विशेषताएँ भी निहित हैं।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा इस पौधे के डीएनए का विश्लेषण करने पर पाया कि यह अपने वर्ग की अन्य प्रजातियों से भिन्न है। इसका एक कारण यह है कि इस क्षेत्र में फर्न का पाया जाना बहुत समान्य बात नहीं है।
- शोधकर्त्ताओं ने अहवा वन क्षेत्र में केवल **12** पौधों को उजागर किया, जो जाखाना गाँव के पास घास के मैदानों में चूहों के साथ बढ़ रहे थे। चूँकि स्थानीय लोगों द्वारा घास के मैदानों का प्रयोग किया जाता है, इसलिये इन प्रजातियों का संरक्षण करना बहुत महत्त्वपूर्ण है।

हरिमऊ शक्ति

भारत - मलेशिया रक्षा सहयोग के एक हिस्से के रूप में 30 अप्रैल, 2018 से 13 मई, 2018 तक मलेशिया के हुलु लंगट स्थित सेंगई परडिक के घने जंगलों में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हरिमऊ शक्ति का संचालन किया जाएगा।

- इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के मध्य परस्पर सहयोग और समन्वय बढ़ाना तथा घने जंगलों में अराजकता निरोधक कार्रवाई के संचालन में विशेषज्ञता को साझा करना है।
- भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व देश की सबसे पुरानी बटालियनों में से एक, **4** ग्रेनेडियर्स कर रही है। इस बटालियन के पास पारंपरिक तथा अराजकता निरोधक कार्रवाई का समृद्ध अनुभव है।
- मलेशियाई दल का प्रतिनिधित्व **1** रॉयल रंजेर रेजिमेंट तथा रॉयल मलय रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। ये दोनों रेजीमेंट जंगल युद्ध में विशेषज्ञता के लिये जाने जाते हैं।
- पहली बार मलेशिया की भूमि पर भारत – मलेशिया सैनिकों का इतने बडे पैमाने पर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन हो रहा है।
- इस अभ्यास के अंतर्गत पहले परस्पर प्रशिक्षण चरण तथा इसके बाद हुलु लंगट के जंगलों में **7** दिनों का क्षेत्र प्रशिक्षण चरण आयोजित किया जाएगा।
- इसके तहत दोनों सेनाएँ संयुक्त रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी, योजनाएँ बनाएंगी तथा प्रशिक्षण गतिविधियों की एक श्रृंखला का संचालन करेंगी। इसका फोकस जंगल युद्ध में रणनीतिक कार्रवाई पर रहेगा।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज

नीति आयोग के अधीनस्थ अटल नवाचार मिशन (Atal Innovation Mission - AIM) की ओर से 26 अप्रैल, 2018 को 'अटल न्यू इंडिया चैलेंज' का शुभारंभ किया गया। पाँच मंत्रालयों के सहयोग से संचालित 'अटल न्यू इंडिया चैलेंज' के तहत, एआईएम 17 चिन्हित फोकस क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों अथवा प्रोटोटाइप का उपयोग कर 'बाज़ार में पेश करने हेतु तैयार उत्पादों' को डिज़ाइन करने के लिये संभावित अन्वेषकों/एमएसएमई/स्टार्ट-अप्स को आमंत्रित करेगा।

- इन चिन्हित फोकस क्षेत्रों में जलवायु स्मार्ट कृषि (**Climate Smart Agriculture**), स्मार्ट गतिशीलता (**Smart Mobility**), रोलिंग स्टॉक का पूर्वानुमानित रख-रखाव (**Predictive Maintenance of Rolling Stock**), अपशिष्ट प्रबंधन (**Waste Management**) इत्यादि शामिल हैं।
- संबंधित प्रौद्योगिकियों को तैयार करने की विशिष्ट क्षमता, तत्परता एवं संभावनाएँ दर्शाने वाले आवेदकों को एक करोड़ रुपए तक के अनुदान दिये जाएंगे।
- इस अनुदान के अलावा संबंधित उत्पादों के वाणिज्यीकरण के विभिन्न चरणों के साथ-साथ इन उत्पादों को बड़े पैमाने पर विभिन्न स्थानों पर लगाने के लिये आवश्यक मार्गदर्शन, सहायता, इन्क्यूबेशन एवं अन्य तरह की मदद भी सुलभ कराई जाएगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एम के4 परियोजना

लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एम के4 परियोजना के तीसरे जहाज़ को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज़ को आईएनएलएसयू एल53 के रूप में नौसेना में शामिल किया गया। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता द्वारा डिज़ाइन और निर्मित यह जहाज़ देश की देसी जहाज़ निर्माण क्षमता की संभावना को उजागर करता है जो मेक इन इंडिया के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है।

- **830** टन की विस्थापन क्षमता वाला एलसीयू एमके-**4** जहाज़ जल और थल पर चलने योग्य है।
- यह अर्जुन, टी-**72** जैसे मुख्य युद्ध टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों जैसे युद्ध सामग्री ढोने में सक्षम है।
- यह जहाज़ एकीकृत पुल व्यवस्था (**Integrated Bridge System - IBS)** और एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन व्यवस्था (**Integrated Platform Management System - IPMS)** जैसे अत्याधुनिक उपकरणों और उन्नत व्यवस्था से सुसज्जित है।
- इस जहाज़ में देशी सीआरएन **91** गन भी लगा है, जिससे इस जहाज़ को पेट्रोलिंग करने के लिये ज़रूरी आक्रामकता हासिल है।
- लेफ्टिनेंट कमांडर विकास आनंद के नेतृत्व में इस जहाज के लिये पाँच अफसर और **45** नाविक हैं। इसके अतिरिक्त, **160** सैन्य टुकड़ियों को ढोने की क्षमता वाले इस जहाज़ की तैनाती अंडमान और निकोबार में होगी।
- इस परियोजना के बाकी **5** जहाज़ निर्माण की अंतिम व्यवस्था में हैं और डेढ़ साल के बाद इन्हें भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है।
- इन जहाज़ों के नौसेना में शामिल होने से राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा की ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। इससे जहाज़ निर्माण के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- एल.सी.यू. एम. के**4** जहाज़ एक ऐसा जहाज़ है, जो मुख्य लड़ाकू टैंकों (**Battle Tanks),** बख़्तरबंद वाहनों (**Armoured Vehicles),** सैनिकों एवं उपकरणों को जहाज़ से किनारे तक (**equipment from ship to shore)** लाने में प्राथमिक भूमिका का निर्वाह करता है।
- इन जहाज़ों को अंडमान एवं निकोबार कमान के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। साथ ही इन्हें समुद्र तट पर संचालन, तलाशी व बचाव, आपदा राहत संचालन, आपूर्ति तथा पुनःपूर्ति एवं निकासी जैसे कामों को पूरा करने के लिये भी तैनात किया जा सकता है।

ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल, 2018 को ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिये थिंक टैंक की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ई -कॉमर्स के विभिन्न पहलुओं से जुड़े भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

- वाणिज्य विभाग द्वारा ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिये संरचना पर थिंक टैंक की स्थापना की गई। यह एक समावेशी तथा तथ्य आधारित संवाद के लिये विश्वसनीय मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे विस्तृत नीति निर्माण संभव हो सकेगा।
- इससे देश अवसरों का लाभ उठाने और उन चुनौतियों का सामना करने में, जो कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रगति की अगली धारा से उत्पन्न होंगी, का सामना करने के लिये समुचित रूप से तैयार हो सकेगा।
- थिंक टैंक द्वारा ई-कॉमर्स पर एक व्यापक एवं अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति विकसित करने के लिये डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं ई-कॉमर्स के क्षेत्र में भारत के सामने खड़ी चुनौतियों पर सामूहिक रूप से विचार-विमर्श किया गया।
- थिंक टैंक द्वारा जिन मुद्दों पर विचार किया गया, उनमें भौतिक एवं डिजिटल बुनियादी ढाँचे, जैसे- ई-कॉमर्स एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था के पहलू, नियामकीय व्यवस्था, कराधान नीति, डाटा प्रवाह, सर्वर लोकेलाइज़ेशन, एफडीआई, प्रौद्योगिकी प्रवाह, कौशल विकास एवं व्यापार से संबंधित पहलू शामिल हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ई-कॉमर्स पर वैश्विक प्रगति एवं अंतर्निहित मुद्दों पर उत्पन्न हो रही उपयुक्त राष्ट्रीय स्थिति थिंक टैंक के विचार-विमर्श का एक अन्य महत्त्वपूर्ण आयाम था।
- थिंक टैंक की पहली बैठक के प्रमुख परिणामों में से एक परिणाम ई-कॉमर्स पर भारत की राष्ट्रीय नीति के लिये अनुशंसाएँ तैयार करने हेतु कार्यबल का गठन करने का फैसला था।
- इस कार्यबल को विभिन्न उप समूहों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि, ई कॉमर्स उद्योग एवं डोमेन नॉलेज़ के विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह कार्यबल छह महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दे देगा।

पश्चिमी आंचलिक परिषद की 23वीं बैठक

केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी आंचलिक परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया। इस बैठक में महाराष्ट्र व गुजरात के मुख्यमंत्री के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, संघ शासित दमन एवं दीव, दादरा और नगर हवेली के मंत्री तथा केंद्र/राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

- परिषद के अंतर्गत पिछली बैठक में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।
- इस बैठक में **"सभी के लिये आवास : 2022"** के लक्ष्य को हासिल करने के लिये केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों को उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त भूमि और आधार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

आंचलिक परिषद

- राज्यों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन कानून **1956** के अंतर्गत आंचलिक परिषदों का गठन किया गया था।
- आंचलिक परिषदों को यह अधिकार दिया गया कि वे आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में आपसी हित से जुड़े किसी भी मसले पर विचार-विमर्श करें और सिफारिशें दें।
- देश में पाँच आंचलिक परिषदें हैं : पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण और मध्यवर्ती आंचलिक परिषद।
- ये परिषदें आर्थिक और सामाजिक आयोजना, भाषायी अल्पसंख्यकों, अंतर्राज्य परिवहन जैसे साझा हित के मुद्दों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दे सकती है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) एक वैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना दिसंबर 2005 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण के लिये आयोग, द्वारा की गई थी।

- आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्त्वावधान में कार्य करता है।
- आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के अनुरूप हों जो भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उपलब्ध हैं।
- आयोग द्वारा **18** साल से कम आयु वालों को बालक माना गया है।
- आयोग अधिकारों पर आधारित संदर्श की परिकल्पना करता है, जो राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में परिलक्षित होता है, जिसके साथ राज्य, ज़िला और खण्ड स्तरों पर पारिभाषित प्रतिक्रियाएँ भी शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टता और मज़बूती को भी ध्यान में रखा जाता है।
- प्रत्येक बालक तक पहुँच बनाने के उद्देश्य से इसमें समुदायों तथा कुटुंबों तक गहरी पैठ बनाने का आशय रखा गया है तथा अपेक्षा की गई है कि इस क्षेत्र में हासिल किये गए सामूहिक अनुभव पर उच्चतर स्तर पर सभी प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस प्रकार, आयोग बालकों तथा उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिये राज्य के लिये एक अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था-निर्माण प्रक्रियाओं, स्थानीय निकायों और समुदाय स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिये सम्मान तथा इस दिशा में वृहद् सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है।

संरचना

केंद्र सरकार द्वारा आयोग में निम्न सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जाएगा :

- अध्यक्ष, जिसने बाल कल्याण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो।
- छह अन्य सदस्य जिन्हें शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण, विकास, बाल न्याय, हाशिये पर पड़े उपेक्षित, अपंग व परित्यक्त बच्चों की देखभाल या बाल श्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान और कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो।
- सदस्य सचिव, जो संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष होगा या उसके नीचे स्तर का नहीं होगा।

इंदु मल्होत्रा

इंदु मल्होत्रा सीधे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली देश की पहली महिला वकील हैं। इन्होंने 27 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

- वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा का जन्म **14** मार्च, **1956** को बंगलूरू में हुआ था। वह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली छठी महिला हैं। इनके पिता सर्वोच्च न्यायालय में वकील थे।
- वर्ष **1989** में फातिमा बीबी को सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- इसके बाद न्यायाधीश सुजाता मनोहर, न्यायाधीश रुमा पाल, न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा और न्यायाधीश रंजना देसाई भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुकी हैं।

अखिल भारतीय आधार पर तरल क्लोरीन के लिये पहला लाइसेंस

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अखिल भारतीय आधार पर तरल क्लोरीन के लिये मैसर्स गुजरात अल्कलीज़ एंड कैमिकल्स लिमिटेड को पहला लाइसेंस प्रदान किया है। अखिल भारतीय आधार पर यह पहला लाइसेंस दिया गया है।

- लाइसेंस **12** अप्रैल, **2018** से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगा।
- यह उत्पाद तरल अवस्था में है और इसे धातु के कंटेनर में रखा जाता है। आमतौर पर धातु के कंटेनर से तरल पदार्थ को वाष्पित करके गैस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
- इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कागज़, लुगदी, वस्त्र ब्लीचिंग, पानी के कीटाणुशोधन और रसायनों के निर्माण में किया जाता है।
- इस कदम से बीआईएस प्रमाणीकरण मुहर योजना के अंतर्गत उद्योग को आसानी से गुणवत्तापूर्ण तरल क्लोरीन मिल सकेगा।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

इसे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य 2 अक्तूबर, 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करना है। इस मिशन की सफलता के लिये गाँवों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी से क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना भी शामिल है।

- गाँवों के स्कूलों में गंदगी और मैले की स्थिति को देखते हुए, इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं के साथ शौचालयों के निर्माण पर विशेष ज़ोर दिया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- सभी ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी, शौचालय और ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन इस मिशन की प्रमुख विषय-वस्तु है।
- नोडल एजेंसियाँ ग्राम पंचायत और घरेलू स्तर पर शौचालय के निर्माण और उपयोग की निगरानी करेंगी।
- ग्रामीण मिशन के तहत **134000** करोड़ रुपए की लागत से **11.11** करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।
- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के प्रावधान के तहत, बीपीएल और एपीएल वर्ग के ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक शौचालय के लिये क्रमश: **9000** और **3000** रुपएका प्रोत्साहन, निर्माण और उपयोग के बाद दिया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य

- स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य **2** अक्तूबर, **2019** तक स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। इस लक्ष्य के चलते शौचालयों के निर्माण में बढ़ोतरी हुई है और इसका उपयोग करने वालों की संख्या भी बढ़ी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार

केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Safety Council's - NSCI) सुरक्षा पुरस्कार (Safety Awards) प्रदान करने हेतु नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया।

- **NSCI** सुरक्षा पुरस्कार व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में बेहद प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं।
- इन्हें संबंधित आकलन अवधियों के दौरान विनिर्माण, निर्माण एवं एमएसएमई क्षेत्र में संगठनों द्वारा प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली एवं उत्कृष्ट सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रदर्शन करने पर प्रदान किया जाता है।
- इन पुरस्कारों का आकलन एवं इनकी घोषणा हर वर्ष भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा गठित एक स्वायत्तशासी सोसाइटी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा की जाती है।
- उत्पादन, निर्माण व सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, सुरक्षा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
- मज़दूरों की सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले संस्थानों को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद विभिन्न सुरक्षा पुरस्कारों द्वारा सम्मानित करती है।

ऑक्सीटोसीन

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऑक्सीटोसीन संरूपणों के उत्पादन को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के घरेलू उपयोग तक सीमित कर दिया है। इसने ऑक्सीटोसीन एवं इसके संरूपणों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है।
- ऑक्सीटोसीन दवा का गुप्त रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री की जा रही है, जिससे इसका व्यापक दुरुपयोग हो रहा है जो मनुष्यों एवं पशुओं के लिये हानिकारक है।
- ओक्सीटोसीन एक हार्मोन है जो मस्तिष्क में अवस्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है।
- मनुष्य के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण आक्सीटोसिन को प्यारा हार्मोन व आनंद हार्मोन आदि नामों से भी जाना जाता है।
- ओक्सीटोसीन के दुरुपयोग के कारण दुधारू पशुओं में बाँझपन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

जीसैट 11

- इसरो ने देश के अब तक के सबसे वज़नी संचार सैटेलाइट जीसैट **11** के प्रक्षेपण को टाल दिया है। इसे आरियान **5** रॉकेट के माध्यम से फ्रेंच गुयाना से छोड़ा जाना था। ज्ञातव्य है कि **2018** में भारत की योजना कई उपग्रहों को लॉन्च करने की है, लेकिन **29** मार्च को छोड़े गए जीसैट **6**ए से प्रक्षेपण के **24** घंटे बाद ही संपर्क टूटने के बाद जीसैट **11** के प्रक्षेपण को टालने का निर्णय लिया गया है।
- जीसैट **11** इसरो द्वारा निर्मित अब तक का सबसे भारी तथा महत्त्वाकांक्षी सैटेलाइट है।
- इसके टाले जाने का मुख्य कारण यह है कि जीसैट **6**ए सैटेलाइट में जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था ठीक वैसे ही कुछ उपकरणों को जीसैट **11** में भी स्थापित किया गया है।
- इसलिये इसरो इस सैटेलाइट के प्रक्षेपण से पूर्व इसका दोबारा टेस्ट करना चाहता है ताकि इसमें पिछली बार की तरह इस बार भी कोई कमी न रह जाए और यह भी असफल न हो जाए।

जीसैट 11 की विशेषताएँ

- जीसैट **11** सैटेलाइट का वज़न **5,700** किलोग्राम है।
- यह एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। इसे भारत के ऊपर **36** हज़ार किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थापित किया जाएगा।
- भारत के पास ऐसा एक भी रॉकेट नहीं है, जिससे इतने ज़्यादा वज़न के सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जा सके इसलिये इसे फ्राँस के आरियान **5** रॉकेट से भेजा जाना था।
- इसे सैटेलाइट पर आधारित इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने के लिये बनाया गया है। यह बेहद शक्तिशाली है और संचार के नज़रिये से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- यह अकेला सैटेलाइट कई सैटेलाइट के बराबर काम करने की क्षमता रखता है। पहली बार इसरो द्वारा इतना बड़ा और भारी भरकम सैटेलाइट को तैयार किया गया है।
- इसकी कीमत लगभग **500** करोड़ रुपए है। इसे फ्रेंच गुयाना से वापस लाने में भी करीबन **50** से **60** करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन यह इसलिये भी ज़रूरी है ताकि इस प्रक्षेपण के असफल होने की गुंज़ाइश न रहे।

भारतीय पाक कला संस्थान के नोएडा परिसर का उद्घाटन

पाक कला में पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिये पर्यटन राज्य मंत्रालय द्वारा भारतीय पाक कला संस्थान (Indian Culinary Institute - ICI) के नोएडा परिसर का उद्घाटन किया गया। यह संस्थान आतिथ्य क्षेत्र में विशेषज्ञ कुशल मानव शक्ति बनाने तथा पाक कला में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन के संकल्प के अनुरूप है।

- विश्व के जाने-माने रसोइयों के निर्देशन और सुझावों के अनुरूप इस संस्थान की परिकल्पना की गई है और आशा है कि यह संस्थान विश्व के श्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरेगा।
- यह संस्थान अपने किस्म का पहला संस्थान है और यह राष्ट्र का गौरव साबित होगा।
- विश्व स्तरीय संस्थान के विचार में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, जाने-माने रसोइयों तथा अधिकारियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- पर्यटन को बढ़ावा देने में पाक कला महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह संस्थान पाक कला में प्रलेखन तथा अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- आईसीआई पाक कला में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाता है। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जुलाई से शुरू होने वाले अकादमिक वर्ष से प्रारंभ होंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- आईसीआई के नोएडा परिसर में आधुनिक भारतीय पाक कला संग्रहालय होगा, जिसमें समृद्ध ऐतिहासिक और विविध पाक कला प्रयोजन तथा अन्य साहित्य दिखाए जाएंगे।
- आईसीआई नोएडा परिसर और भवन **2,31,308** वर्ग फीट क्षेत्र में बनाया गया है। विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ इसको बनाने में दो वर्ष का समय लगा है।

बार-बार रीसाइकल हो सकने वाला अनोखा प्लास्टिक

वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा प्लास्टिक तैयार किया गया है जिसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार रीसाइकिल कर सकते हैं। इसके लिये किसी हानिकारक रसायन की भी ज़रूरत नहीं है। इससे सालों तक ज़मीन और समुद्र में पड़े रहकर पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले प्लास्टिक का निपटारा करने में आसानी होगी।

- अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा प्लास्टिक की तरह हल्के, मज़बूत, टिकाऊ और तापमान प्रतिरोधी पॉलीमर की खोज की गई है।
- इससे बनाए गए प्लास्टिक को जितनी बार चाहें उतनी बार इसके वास्तविक अणु की अवस्था में बदलकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।
- पॉलीमर का प्रयोग प्लास्टिक, फाइबर, रबर, कोटिंग और अन्य व्यावसायिक उत्पाद बनाने में किया जाता है।
- पुरानी पीढ़ी के पॉलीमर प्लास्टिक की तुलना में काफी मुलायम होते थे और तापमान के प्रति उनकी प्रतिरोधी क्षमता भी कम होती थी। लेकिन नई पीढ़ी का यह पॉलीमर इससे काफी अलग है।
- कमरे के तापमान पर और बहुत थोड़ी मात्रा में कैटेलिस्ट (उत्प्रेरक) का प्रयोग कर ही इससे प्लास्टिक बनाया जा सकता है।
- इससे ग्रीन प्लास्टिक यानी पर्यावरण के लिये सुरक्षित प्लास्टिक के निर्माण के रास्ते खुल जाएंगे। सालों तक ज़मीन और समुद्र में पड़े रहे प्लास्टिक को आसानी से डी-पॉलीमराइज़ कर रीसाइकल किया जा सकेगा। पेट्रोलियम से बने प्लास्टिक से यह संभव नहीं था।
- फिलहाल इसे केवल लैब में तैयार किया गया है। बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन के लिये अभी और शोध किया जाना शेष है।

'भू-परीक्षक' से 40 सेकेंड में मिट्टी की जाँच

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआइडीसी) की वित्तीय सहायता से किसानों की सहायता हेतु एक डिजिटल यंत्र तैयार किया है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या उर्वरक चयन को लेकर होती है। यही कारण है कि वह दुकानदारों की सलाह पर इसका चयन करते हैं। कई बार यह फैसला गलत साबित हो जाता है, जिसका खामियाजा कम उपज, मृदा की उर्वरा क्षमता में कमी के रूप में सामने आता है।

- कृषि विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों में पुराने ढर्रे पर ही मिटटी की जाँच की जाती है और इस जाँच की रिपोर्ट्स के लिये किसानों को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है।
- परंतु, अब इस यंत्र के बनने के बाद किसान खेत में ही मिट्टी की जाँच कर यह पता लगा सकेंगे कि मिट्टी में कौन-कौन से पोषक तत्त्वों की कमी हो रही है, ऐसा कर यह जानना आसान हो जाएगा कि किस प्रकार के उर्वरकों का चयन किया जाना चाहिये।
- इस यंत्र की सहायता से एक हेक्टेयर खेत की जाँच करने में **15** से **20** मिनट का समय लगता है।
- इसके लिये **10** ग्राम मिट्टी को **100** ग्राम पानी में घोला जाता है। उसे फिर छलनी की सहायता से छानकर दूसरे गिलास में रख लिया जाता है। यंत्र के एक सिरे को गिलास के अंदर डाला जाता है, जबकि दूसरे छोर पर मोबाइल को संबद्ध किया जाता है। करीब **40** सेकेंड के अंदर मोबाइल स्क्रीन पर मिट्टी की गुणवत्ता की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

एडॉप्ट ए हेरिटेज के तहत लाल किला एवं गंदिकोटा किला को लिया गया गोद

कॉर्पोरेट समूह डालमिया भारत ने 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' (Adopt a Heritage) योजना के तहत दिल्ली स्थित लाल किला तथा आंध्र प्रदेश के कदपा ज़िला स्थित गंदिकोटा किला को गोद लिया है।

- इस योजना के तहत अगले पाँच साल तक डालमिया भारत इन विरासत स्थलों में बुनियादी एवं आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ इनके संचालन तथा रख-रखाव की ज़िम्मेदारी भी निभाएगा।
- इस समझौते के तहत डालिमया भारत छह महीने के भीतर लाल किला में ज़रूरी सुविधाएँ, जैसे- एप बेस्ड गाइड, डिजिटल स्क्रिनिंग, फ्री वाईफाई, डिजिटल इंटरैक्टिव कियोस्क, पानी की सुविधा, टेक्टाइल मैप, रास्तों पर लाइटिंग, बैटरी से चलने वाले वाहन, चार्जिंग स्टेशन, सर्विलांस सिस्टम, आदि उपलब्ध कराएगा।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर **27** सितंबर, **2017** को 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' की शुरूआत की गई थी।
- यह भारतीय पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के मध्य पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई एक सहयोगी योजना है।
- इसमें हमारे धनी और विविध विरासत स्मारकों को पर्यटन मैत्री बनाने की क्षमता है।
- यह योजना भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के प्रमुख स्मारकों में शुरू की गई है, जिसके तहत अभी तक देश के **95** स्मारकों को शामिल किया जा चुका है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय घटनाक्रम

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति पर मंत्रालय की रिपोर्ट

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में यह बताया गया कि देश के कुल 25,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (Primary Health Centres-PHCs) में से 15,700 (61.2%) में केवल एक ही डॉक्टर उपलब्ध है और 1,974 (7.69%) PHCs में तो एक भी डॉक्टर नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 20,000 -30,000 आबादी के लिये बनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- देश के कुल पीएचसी के **61%** से भी अधिक **PHCs** में एक ही डॉक्टर उपलब्ध है।
- भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों **(IPHS)** के दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रत्येक **24x7 PHC** में तीन नर्सों, एक लैब टेक्नीशियन और एक फार्मासिस्ट तथा वांछनीय तीसरे डॉक्टर के अलावा कम-से-कम दो डॉक्टर होने चाहिये।
- किंतु वास्तविक स्थिति में **9,183 (35.8%) PHCs** में एक भी लैब टेक्नीशियन नहीं है और **4,744 (18.4%) PHCs** में एक भी फार्मासिस्ट नहीं है।
- **600** से ज़्यादा **PHC** वाले बड़े राज्यों में गुजरात इस सूची में सबसे ऊपर है जहाँ इसके सभी **1,392 PHCs** में प्रत्येक में एक ही डॉक्टर है।
- प्रतिशत के संदर्भ में गुजरात के बाद सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मिज़ोरम राज्यों का स्थान है जहाँ एक डॉक्टर के साथ कार्यरत **PHCs** की संख्या **84%**से **87%** के बीच है।

क्यों आवश्यक है PHCs का सुदृढ़ीकरण?

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ने हेतु पहले स्तर के संपर्क बिंदु का कार्य करते हैं।
- स्वास्थ्य सुविधाएँ नागरिकों के जितनी अधिक नज़दीक होंगी, उतनी ही ये मरीज़ों के लिये वहनीय और पहुँच के दायरे में होंगी।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वासात्मक (**Preventive, Promotive, Curative and Rehabilitative)** स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के मूल स्तंभ हैं।
- एक पूर्णतः कार्यात्मक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकांश स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और केवल जटिल मामलों को ही द्वितीयक या तृतीयक सुविधाओं के लिये रेफर किया जाना चाहिये।
- कुछ मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा और बचाव उपायों का अभाव तथा राजनीतिक हस्तक्षेप डॉक्टरों को ग्रामीण इलाकों में काम करने से हतोत्साहित करने वाले मुख्य कारण हैं।
- इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुचारु संचालन टेलीमेडिसिन के अनुप्रयोग से सुनिश्चित किया जा सकता है।
- ऐसे स्थान जहाँ पर दूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की डिलीवरी में एक निर्णायक कारक है वहाँ पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उपलब्ध कराना टेलीमेडिसिन कहलाता है।

कड़कनाथ मुर्गे को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग

चेन्नई स्थित GI पंजीकरण कार्यालय ने मध्य प्रदेश राज्य को मुर्गे की एक प्रजाति कड़कनाथ के लिये भौगोलिक संकेतक (GI) टैग दे दिया है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास ट्रस्ट, झाबुआ ने इसके लिये वर्ष 2012 में आवेदन किया था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- कड़कनाथ मुर्गा मूलत: मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ, अलीराजपुर और धार ज़िले के कुछ भागों में पाया जाता है।
- छत्तीसगढ़ द्वारा भी कड़कनाथ मुर्गे पर **GI** टैग की मांग की जा रही थी। लेकिन अंतत: मध्य प्रदेश के दावे को मान्यता दी गई।
- कड़कनाथ मुर्गा मेलानिन वर्णक के कारण काले रंग का होता है। इसलिये इसे कालीमासी भी कहा जाता है।
- इसके पंख, माँस, हड्डियाँ और खून भी काले रंग के होते है। सामान्य मुर्गे का खून लाल रंग का होता है।
- यह औषधीय गुणों से युक्त होता है तथा यह मुर्गे की अन्य प्रजातियों से अधिक पौष्टिक और सेहत के लिये लाभकारी होता है।
- जहाँ अन्य मुर्गो में **18-20%** प्रोटीन पाया जाता है वहीं, कड़कनाथ मुर्गे में **25%** प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अपेक्षाकृत कम पाई जाती है और आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है।
- चिकन की अन्य किस्मों की तुलना में कड़कनाथ मुर्गे का उच्च-प्रोटीन युक्त माँस, चूजे और अंडे बहुत ज़्यादा कीमत पर बेचे जाते हैं।

हाल ही के GI टैग

- पश्चिम बंगाल को रसगुल्ला (**Banglar Rasgolla**) के लिये नवंबर **2017** में **GI** टैग दिया गया।
- आंध्र प्रदेश को विशाखापत्तनम में वराह नदी के तट पर अवस्थित एटिकोप्पाका गाँव के लकड़ी के खिलौनों (**Etikoppaka Bommalu**) के लिये नवंबर **2017** में **GI** टैग दिया गया।
- पश्चिम बंगाल को गोबिंदगढ़ चावल के लिये अगस्त **2017** में **GI** टैग दिया गया।
- केरल का निलाम्बुर टीक, मामल्लपुरम (तमिलनाडु) का पत्थर स्थापत्य आदि हाल ही में दिये गए अन्य **GI** टैग हैं।

पेपर लीक के मामलों की रोकथाम के लिये उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पेपर लीक के मामलों की रोकथाम करने के उद्देश्य से सीबीएसई द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की परीक्षा कराने की समूची प्रणाली पर गौर करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(क) इस प्रणाली में अंतर्निहित सुरक्षा जाँच से संबंधित समस्त पहलुओं पर नए सिरे से गौर करना, ताकि बिना किसी गड़बड़ी के प्रश्नपत्रों को परीक्षार्थियों तक पहुँचाना सुनिश्चित हो सके।

(ख) प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षार्थियों तक प्रश्नपत्रों को पहुँचाने की वर्तमान प्रणाली में अंतर्निहित संभावित खामियों के समस्त पहलुओं पर नए सिरे से गौर करना तथा आकलन करना।

(ग) ऐसे उपाय सुझाना जिससे कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर तथा किसी भी व्यक्ति को प्रश्नपत्र सौंपने की आवश्यकता को न्यूनतम कर इस प्रणाली को और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके।

मंत्रिमंडल ने मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्द्धन के लिये मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को अपनी स्वीकृति दे दी है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पृष्ठभूमि:

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम. 1993 में संशोधन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) तथा राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) कारगर तरीके से मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्द्धन करने के लिये अपनी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद तथा व्यापक कार्यों से संबंधित पेरिस सिद्धांत का परिपालन करेंगे।

प्रमुख विशेषताएँ:

1. विधेयक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मानित सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है।
2. विधेयक आयोग के गठन में एक महिला सदस्य को जोड़ने का प्रस्ताव करता है।
3. विधेयक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिये पात्रता और चयन के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।
4. विधेयक में केंद्रशासित प्रदेशों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखने के लिये एक व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है।
5. विधेयक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि इसे अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के अनुरूप बनाया जा सके।

लाभ:

इस संशोधन से भारत में मानव अधिकार संस्थानों को मज़बूती मिलेगी और संस्थान अपने दायित्वों एवं भूमिकाओं तथा ज़िम्मेदारियों का कारगर निष्पादन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, संशोधित अधिनियम से मानवाधिकार संस्थान जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति के सम्मान से संबंधित अधिकारों को सुनिश्चित करने में सहमत वैश्विक मानकों का परिपालन करेंगे।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्रदर्शन

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 30 मिलियन से अधिक बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अभावों से जूझ रहे परिवारों तक नकद हस्तांतरण की सुविधा खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा समेत समग्र सामाजिक सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण भाग है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme-NSAP)

- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत **15** अगस्त**, 1995** को हुई थी।
- यह संविधान के अनुच्छेद **41** एवं **42** के तहत नीति-निर्देशक तत्त्वों के अनुकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुच्छेद 41-काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने एवं विशेष स्थितियों में सहायता पाने का अधिकार

इस अनुच्छेद के अनुसार, अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं में रहकर राज्य (सरकार) लोगों के काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, अपंगता तथा अन्य अनर्जित मांगों की स्थिति में जन-सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी प्रावधान करेगा।

अनुच्छेद 42- न्याय एवं काम की मानवीय दशा एवं मातृत्व सहायता का प्रावधान

- राज्य न्याय एवं काम की मानवीय दशाएँ तथा मातृत्व सहायता को सुनिश्चित करने का प्रावधान करेगा।

- यह कार्यक्रम गरीब परिवारों में वृद्धावस्था**,** जीविकोपार्जन करने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु तथा मातृत्व जैसी स्थितियों में लाभ के लिये सामाजिक सहायता की एक राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करता है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सहायता तथा राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अथवा भविष्य में उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के लिये न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना है।
- **NSAP** का क्रियान्वयन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

वर्तमान में NSAP के तहत निम्नलिखित पाँच कार्यक्रम शामिल हैं-

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)

- लाभार्थी – **60** वर्ष से अधिक उम्र वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (**BPL**) वृद्धजन
- लाभ – **400** रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह (**60-79** वर्ष के वृद्धों के लिये) तथा **500** रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह (**80** वर्ष अथवा अधिक आयु के वृद्धों के लिये)

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)

- **BPL** वर्ग की **40-59** वर्ष आयु वाली विधवाओं को प्रति माह **300** रुपए पेंशन दी जाती है।

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)

- **18-59** वर्ष वाले **BPL** वर्ग के विविध और गंभीर विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को **500** रुपए प्रति माह।

4. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS)

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार में जीविकोपार्जन करने वाले प्रमुख सदस्य (**18-64** वर्ष की आयु) की मृत्यु पर परिवार को परिवारिक लाभ के रूप में एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

5. अन्नपूर्णा

- इसके तहत **NOAPS** के तहत पात्र किंतु लाभों से वंचित वरिष्ट नागरिकों को प्रति माह **10** किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
- वर्ष **2016** में **NSAP** योजना को 'कोर ऑफ़ कोर' **(Core of Core)** योजनाओं के तहत रखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा योजना की शत-प्रतिशत ज़रूरतें पूरी करने के लिये वित्तीय आवंटन को निरंतर बढ़ाया जा रहा है।
- वित्त वर्ष **2018-19** के लिये **NSAP** योजना को **9975** करोड़ रुपए आवंटित किये गए जो वर्ष **2014-15** के आवंटन से **38%** अधिक है।
- वित्त वर्ष **2017-18** के दौरान **NSAP** के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को **8696** करोड़ रुपए की राशि जारी की गई जो कि वर्ष **2014-15** के दौरान जारी राशि से **23%** अधिक है।

योजना का क्रियान्वयन

- योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और कमियों का निवारण करने के लिये सरकार ने कई कदम उठाए हैं। **NSAP** के तहत लाभार्थियों के आँकड़े **NSAP** डिजिटल मंच पर रखे गए हैं।
- योजना के तहत **173** लाख लाभार्थियों के आधार नंबर उनकी सहमति से जोड़े गए हैं। सरकार ने आधार आधारित भुगतान व्यवस्था (**Aadhar Based Payment System-ABPS)** अपनाने की तिथि बढ़ाकर **30** जून, **2018** करने का निर्णय लिया है।
- डिजिटल लेन-देन की सुविधा बढ़ाने के लिये लाभार्थियों की सहमति से आधार आधारित भुगतान व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य है कि किसी भी तरह की संभावित कमी को पूरी तरह से दूर किया जा सके।
- आधार आधारित व्यवस्था से बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों को बैंक/डाकघर के ज़रिये उनके गाँव तक भुगतान पहुँचाया जाएगा।

डिजिटल ट्रान्ज़ेक्शन्स में बढ़ोतरी

- वित्तीय वर्ष **2017-18** की शुरुआत में सिर्फ **6** राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों गुजरात, लक्षद्वीप, बिहार, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, झारखंड और महाराष्ट्र में ही डिजिटल लेन-देन के ज़रिये **NSAP** सहायता पहुँचाई गई और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के ज़रिये **1.73** करोड़ लेन-देन दर्ज किये गए।
- **31** मार्च, **2018** को समाप्त वित्तीय वर्ष में विशेष प्रयासों के तहत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन एवं द्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. मेघालय, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे **20** राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के ज़रिये **10.73** करोड़ के लेन-देन हुए।
- अत: **2016-17** में डीबीटी के ज़रिये डिजिटल लेन-देन की तुलना में **2017-18** में **520%** लेन-देन की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- वर्ष **2017-18** में **6791.70** करोड़ रुपए मूल्य के डिजिटल लेन-देन किये गए जो इस साल जारी रकम का लगभग **78%** है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रयासों का अभिसरण (Convergence)

- विभिन्न तरह की वंचनाओं (**Deprivation)** को कम करने के प्रयासों को और अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से अभिसरण के मुद्दे पर अधिक-से-अधिक जोर दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत मासिक सहायता **300** से बढ़ाकर **500** रुपए प्रति महीना करने के अलावा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी दिव्यांग लोगों के लिये विशेष प्रावधान किये गए हैं।
- **MGNREGA** के तहत कार्यस्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराने, पालना घर की व्यवस्था इत्यादि में दिव्यांग लोगों को काम दिलाने को प्राथमिकता दी गई है।
- दिव्यांग मज़दूरों को अन्य मज़दूरों के बराबर ही मज़दूरी दी जाती है। दिव्यांग मज़दूरों को उनके अनुसार उचित काम के चुनाव जैसी कई और छूटें दी गई हैं।
- वित्त वर्ष **2017-18** में **MGNREGA** के तहत लगभग **4.7** लाख दिव्यांग मज़दूरों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया।
- **DDU-ग्रामीण कौशल योजना** के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिये लोगों के कौशल बढ़ाने के लक्ष्य का कम-से-कम **3%** कौशल विकास लक्ष्य दिव्यांगों के लिये सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है।
- **DDU-ग्रामीण कौशल योजना (GKY)** के तहत देश भर में अभी कुल **243** परियोजनाएँ मंज़ूर की गई हैं जिसमें दिव्यांग उम्मीदवारों को भी प्रशिक्षित करने का प्रावधान है।
- इसके अलावा **DDU-GKY** के तहत **5** विशेष परियोजनाएँ मंज़ूर की गई हैं जिनमें **1500** दिव्यांग उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G)** में भी राज्यों के लिये यह प्रावधान है कि वह कम-से-कम **3%**दिव्यांग लाभार्थी सुनिश्चित करें।
- **PMAY-G** के तहत दिव्यांगों के लिये **5682** घर मंज़ूर किये गए जिनमें से **1655** घरों का निर्माण हो चुका है।

भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और विश्व बैंक के मध्य शुरू हुई नई परियोजना

भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और विश्व बैंक ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा एवं विदर्भ क्षेत्रों में रहने वाले छोटे और सीमांत किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किये हैं।

लक्ष्य

- इस क्षेत्र में जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील माने जाने वाले **15** ज़िलों के दायरे में आने वाले **5,142** गाँवों को कवर किये जाने की आशा है।
- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (**International Bank for Reconstruction and Development - IBRD)** से प्राप्त **420** मिलियन डॉलर के ऋण में छह वर्ष की राहत अवधि और **24** साल की परिपक्वता अवधि शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

- **IBRD** को अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलाकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक निम्नलिखित संस्थाओं का समूह है- अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक (**IBRD),** अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (**IDA),** अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (**IFC),** बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था (**MIGA),** निवेश विवादों को सुलझाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (**ICSID)**।
- भारत **ICSID** को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं का सदस्य है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् युद्ध प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिये जुलाई, **1944** में ब्रेटनवुड सम्मेलन के तहत पुनर्निर्माण एवं विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (विश्व बैंक) की स्थापना दिसंबर, **1945** में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ-साथ हुई।
- इसने जून, **1946** में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक-दूसरे की पूरक संस्थाएँ हैं।

लाभ

- इस परियोजना से कृषि क्षेत्र में जलवायु की दृष्टि से लचीले माने जाने वाले तौर-तरीकों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कृषि अथवा खेती-बाड़ी आगे भी इन किसानों के लिये वित्तीय दृष्टि से एक लाभप्रद आर्थिक गतिविधि बनी रहे।
- इस परियोजना से **3.0** मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में निवास कर रहे **7** मिलियन से भी अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
- जलवायु-लचीली कृषि जिंसों से जुड़ी उभरती मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस परियोजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, ताकि वे टिकाऊ, बाज़ार उन्मुख और कृषि उद्यमों के रूप में परिचालन कर सकें।
- इससे उन विभिन्न स्थानीय संस्थानों के जलवायु-लचीली कृषि एजेंडे को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी जो कृषक समुदाय को खेती-बाड़ी से संबंधित सेवाएँ मुहैया कराते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- 'जलवायु-लचीली कृषि के लिये महाराष्ट्र में परियोजना' को ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाएगा जो मुख्यत: वर्षा जल से सिंचित कृषि पर निर्भर रहते हैं।
- इस परियोजना के तहत खेत एवं जल-संभर स्तर पर अनेक गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी।
- इसके तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों, सतही जल भंडारण के विस्तार तथा जलभृत पुनर्भरण की सुविधा जैसी जलवायु-लचीली प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग किया जाएगा जिससे दुर्लभ जल संसाधनों का और भी अधिक कारगर ढंग से उपयोग करने में उल्लेखनीय योगदान मिलने की आशा है।
- इस परियोजना के तहत अल्प परिपक्वता अवधि वाली और सूखा एवं गर्मी प्रतिरोधी जलवायु-लचीली बीज किस्मों को अपनाकर जलवायु के कारण फसलों के प्रभावित होने के जोखिमों को कम करने के साथ-साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

ऑटिज़्म पर प्रशिक्षण के लिये चौथी राष्ट्रीय कार्यशाला

बच्चों में ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के निदान और प्रबंधन के लिये ऑटिज़्म टूल्स-इंटरनेशनल क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नेटवर्क और इंडियन स्केल ऑफ़ असेसमेंट ऑफ़ ऑटिज़्म (आईएसएए) पर मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 06 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू हुई।

- इस कार्यशाला का आयोजन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (**AIIMS**), नई दिल्ली के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ट्रस्ट ने किया।

उद्देश्य

- इस कार्यशाला का उद्देश्य देश भर के डॉक्टरों को ऑटिज़्म टूल्स से अवगत कराना है ताकि वे ऑटिज़्म टूल्स का इस्तेमाल करते हुए नैदानिक मानदंड की जानकारी देने के साथ-साथ संदिग्ध ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर वाले बच्चे का नैदानिक मूल्यांकन कर सकें।

प्रमुख बिंदु

- नेशनल ट्रस्ट, बाल तंत्रिका विज्ञान डिवीज़न, बाल चिकित्सा विभाग, एम्स के सहयोग से इस तरह की तीन राष्ट्रीय कार्यशालाएँ सफलतापूर्वक आयोजित कर चुका है, जिनमें देश भर के **250** से अधिक बाल रोग विशेषज्ञों, मनोचिकित्सकों और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को ऑटिज़्म टूल्स में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- नेशनल ट्रस्ट, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (**Department of Empowerment of Persons with Disabilities**) के अंतर्गत ऑटिज़्म, सेरीब्रल पाल्सी (**Cerebral Palsy**), सामान्य विकास में कमी और अन्य दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिये संसद के कानून द्वारा स्थापित एक वैधानिक संगठन है।
- नेशनल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका प्रमुख कार्य इस प्रकार की दिव्यांगता के बारे में कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और सम्मेलन आयोजित करके आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है।
- दुनिया भर में शहरी और ग्रामीण समुदाय के बीच ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर बढ़ रहा है। पिछले दशक से बाल तंत्रिका विज्ञान डिवीज़न जो कि एम्स, नई दिल्ली के बाल चिकित्सा विभाग के अंतर्गत अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस्ड रिसर्च फॉर चाइल्डहुड न्यूरो डेवलपमेंटल डिस्ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, लोगों में जागरूकता पैदा करने, चिकित्सकों (राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय) को प्रशिक्षण देने तथा नैदानिक कार्य में सक्रियता से लगा हुआ है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

- 'विकलांगता' का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में आता है। लेकिन भारत सरकार हमेशा से विकलांगता के क्षेत्र में सक्रिय रही है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों, जिनकी जनसंख्या वर्ष **2011** की जनगणना के अनुसार, **2.68** करोड़ है और जो देश की कुल जनसंख्या के **2.21** प्रतिशत हैं, के सशक्तीकरण को सुगम बनाता है।
- दिव्यांग व्यक्तियों में, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाकबाधित, अस्थि विकलांग और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं।
- यह न सिर्फ सात राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई), जो विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के लिये अलग अलग कार्य कर रहे हैं और साथ में संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी), जो दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएँ मुहैया कर रहे हैं एवं पुनर्वास पेशेवरों के लिये पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं, को निधि प्रदान करता है अपितु इसी प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने वाले बहुत से गैर-सरकारी संगठनों को भी निधि प्रदान करता है।
- साथ ही यह राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) को भी धन देता है, जो कि दिव्यांग व्यक्तियों को स्व-रोज़गार हेतु रियायती दरों पर ऋण देता है।

ऑटिज़्म (मस्तिष्क विकार)

- ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) सामाजिक विकृतियों, संवाद में परेशानी, प्रतिबंधित, व्यवहार का दोहराव और व्यवहार का स्टिरियोटाइप पैटर्न द्वारा पहचाना जाने वाला तंत्रिका विकास संबंधी जटिल विकार है।
- यह एक ऐसा मस्तिष्क विकार है जो लोगों के साथ संवाद स्थापित करने में व्यक्ति की क्षमता को प्रभावित करता है।
- आमतौर पर एएसडी बीमारी की शुरुआत बचपन में होती है तथा यह बीमारी जीवनपर्यंत बनी रहती है।

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार के प्रकार

1. **ऑटिस्टिक विकार (क्लासिक ऑटिज़्म)**

- यह ऑटिज़्म का सबसे सामान्य प्रकार होता है। ऑटिज़्म विकार से पीड़ित रोगी को भाषा में व्यवधान, सामाजिक और संचार में चुनौतियाँ तथा असामान्य व्यवहार एवं अरुचियाँ हो सकती है। इस विकार से पीड़ित बहुत सारे व्यक्तियों में बौद्धिक विकलांगता भी हो सकती है।

2. **एस्पर्जर सिन्ड्रोम**

- एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में ऑटिस्टिक विकार के हल्के लक्षण विकसित होते हैं। उनमें सामाजिक चुनौतियाँ और असामान्य व्यवहार तथा अरुचियाँ भी हो सकती हैं।

3. **व्यापक विकासात्मक विकार**

- • इस विकार को "असामान्य ऑटिज़्म " कहा जाता है। इससे पीड़ित व्यक्तियों में ऑटिस्टिक विकार से पीड़ित व्यक्तियों की तुलना में कम और मध्यम लक्षण प्रकट होते हैं। ये लक्षण केवल सामाजिक और संचार चुनौतियों का कारण बन सकते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार के लक्षण

- लड़का/लड़की द्वारा अपने नाम को सुनकर बारह महीने की अवस्था तक कोई प्रतिक्रिया न करना।
- अठारह महीने की अवस्था तक न खेलना।
- आमतौर पर दूसरे व्यक्तियों की आँखों के संपर्क से बचना और अकेले रहना।
- इन बच्चों को दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझने में परेशानी होती है या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में परेशानी भी हो सकती है।
- ये बच्चे बोलने और भाषा सीखने में देरी कर सकते हैं।
- वे शब्दों या वाक्यांशों को अधिक-से-अधिक बार दोहराते (शब्दानुकरण) हैं।
- प्रश्न का असंबंधित उत्तर देना।
- यहाँ तक कि ऐसे बच्चों को मामूली बदलाव पसंद न होना।
- उनमें अतिवादी रुचियाँ होना।
- कभी-कभी वे अपने हाथों को फ्लैप, शरीर को रॉक या स्पिन में सर्किल बना लेते है।
- ध्वनि, गंध, स्वाद, देखने या महसूस करने पर असामान्य प्रतिक्रिया करना।

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार के कारण

- एएसडी से पीड़ित होने वाले सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं हैं, लेकिन इनके आनुवंशिकी और पर्यावरणीय कारकों से जुड़े होने की संभावना है। इस संदर्भ में इस विकार के साथ जुड़े अनेक जींस की पहचान की गई है।
- एएसडी से पीड़ित रोगियों पर किये गए अध्ययनों में मस्तिष्क के कई हिस्सों में होने वाली अनियमितताओं को पाया गया है।
- अन्य अध्ययनों में यह पाया गया है कि एएसडी से पीड़ित व्यक्तियों के मस्तिष्क में सेरोटोनिन या अन्य न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर असामान्य होता है।
- ये सभी असामान्यताएँ यह दर्शाती हैं कि जीन में दोष के कारण भ्रूण के प्रारंभिक विकास अर्थात् मस्तिष्क के सामान्य विकास में होने वाली गड़बड़ी के परिणामस्वरूप एएसडी हो सकता है, जो कि मस्तिष्क के विकास को नियंत्रित करता है तथा मस्तिष्क की कोशिकाएँ एक - दूसरे के साथ कैसे संवाद करती हैं?
- इसे भी यह विनियमित करता है। यह विकार जींस प्रणाली के पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के कारण हो सकता है।

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार का निदान

- एएसडी का निदान मुश्किल होता है, क्योंकि इस विकार का निदान करने के लिये कोई चिकित्सीय परीक्षण जैसे कि रक्त परीक्षण नहीं किया जा सकता है। चिकित्सक निदान करने के लिये केवल बच्चे के व्यवहार और विकास की जाँच-परख कर सकता है।
- हालाँकि, बच्चों और नन्हे बच्चों में ऑटिज़्म की संभावना के लिये जाँच सूची के अंर्तगत ऑडियोलोजिक मूल्यांकन और स्क्रीनिंग परीक्षण किया जा सकता है।

वैश्विक परियोजनाओं के लिये नए दिशा-निर्देश

विश्व बैंक (World Bank), आईएमएफ (International Monetary Fund) और एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission – CVC) द्वारा दिशा-निर्देशों का एक नया सेट तैयार किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- ये नए दिशा-निर्देश सरकारी विभागों और विदेशी अनुसंधान कर्त्ताओं के दिशा-निर्देशों का दृढ़ता से पालन करने वाली एजेंसियों की मौजूदा कार्यनीति को समाप्त करेंगे।
- विशेषकर वैसे विभागों और एजेंसियों की जो भारत सरकार के नियमों को नज़रअंदाज़ करते हुए उनके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अनुबंधों के समापन में संलग्न हैं।
- नए दिशा-निर्देशों में अनुदान-सहायता और ऋण के बीच विभेदन भी किया गया है।
- हालाँकि सीवीसी के इस निर्णय से इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या वैसे भारतीय दिशा-निर्देश जो सबसे कम वित्तीय निविदाओं **(lowest financial tender)** पर बल देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा तय मानकों के मुकाबले बेहतर हैं अथवा नहीं?

केंद्रीय सतर्कता आयोग

- केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार निरोध हेतु एक प्रमुख संस्था है जिसका गठन **1964** में संथानम समिति के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया था। **2003** में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग का चरित्र न्यायिक है तथा इसे अपनी कार्यवाहियों के क्रियान्वयन हेतु दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- भ्रष्टाचार की आशंका पर यह केंद्र सरकार या इससे संबंधित प्राधिकरणों से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है।
- भ्रष्टाचार का आरोप होने पर यह अपने निर्देश पर किसी जाँच एजेंसी द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार या इससे संबंधित प्राधिकरण को कार्यवाही करने की सलाह देता है।
- केंद्र सरकार आयोग की सलाह पर अपेक्षित कदम उठाती है। यदि केंद्र सरकार आयोग की किसी सलाह को मानने से इनकार करती है तो उसे लिखित रुप में इसके कारणों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को बताना होता है।
- आयोग अपने वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किया जाता हैं।

इसरो का आईआरएनएसएस 1I सेटेलाइट : क्या, क्यों, कैसे

12 अप्रैल को पीएसएलवी-सी 41 (PSLV-C41) के माध्यम से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (Satish Dhawan Space Centre) के पहले लॉन्च पैड से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation - ISRO) द्वारा आईआरएनएसएस-1 आई सेटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया।

- यह **PSLV-XL** संस्करण की **20**वीं उड़ान है।
- यह सेटेलाइट पोज़ीशन, नेविगेशन और समय के सटीक निर्धारण के लिये संकेत संचारित करेगा।
- यह प्रक्षेपण इसरो के संचार सेटेलाइट जीएसएटी **6A (GSAT-6A)** के प्रक्षेपण के दो हफ्ते बाद किया गया, इसका प्रक्षेपण के दो दिनों बाद ही संपर्क टूट गया था।

आईआरएनएसएस (IRNSS) क्या है?

- आईआरएनएसएस का पूरा नाम भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम **(Indian Regional Navigation Satellite System)** है। यह उपग्रहों अर्थात् सेटेलाइट का एक सेट है जो एक साथ भारत को जीपीएस के समान एक क्षेत्रीय स्थिति वाला सिस्टम प्रदान कर सकता है।
- इसरो की वेबसाइट के मुताबिक, यह प्रणाली उपयोगकर्त्ताओं के प्राथमिक कवरेज क्षेत्र में **20** मीटर से अधिक तक की सटीक स्थिति हेतु डिज़ाइन की गई है। यह भारत की सीमा के करीब **1500** किमी. के घेरे में अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अभी तक कितने आईआरएनएसएस सेटेलाइट स्थापित किये गए हैं?

- अभी तक कुल सात आईआरएनएसएस सेटेलाइट (**1A** से **1G** तक) स्थापित किये गए हैं।
- सेटेलाइट **A, B, F, G** को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट (**Geo synchronous orbit)** में स्थापित किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे पृथ्वी के ऊपर एक निश्चित स्थान पर अवस्थित हैं तथा वे पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करते हैं।
- शेष तीन **C, D, E** को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (**geostationary orbit)** में स्थापित किया गया है। ये पृथ्वी के साथ-साथ भूमध्य रेखा पर स्थापित हैं तथा पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करते हैं।
- पिछले आईआरएनएसएस **1** एच का प्रक्षेपण **31** अगस्त, **2017** को किया गया था, जो कि असफल रहा।

आईआरएनएसएस के प्रमुख अवयव क्या हैं?

- ये सेटेलाइट न केवल भूमि के नेविगेशन में बल्कि समुद्री और हवाई नेविगेशन में भी मददगार हैं।
- इन उपग्रहों से प्राप्त डेटा को वाहन चालकों को दृश्य और वोइस नेविगेशन सहायता देने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ये सेटेलाइट आपदा प्रबंधन के साथ-साथ उचित समय प्रबंधन में भी मददगार साबित होते हैं।

IRNSS-1I की विशेषताएँ

- इसका वज़न **321** टन है। पीएसएलवी-सी **41** आईआरएनएसएस **-1** आई को प्रक्षेपण के बाद **19** मिनट:**19** सेकेंड में कक्षा में स्थापित कर देगा।
- यह आईआरएनएसएस सेटेलाइट समूह की **9**वाँ सेटेलाइट है।
- इसे सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसका सबसे नज़दीकी बिंदु पृथ्वी के ऊपर **284** किमी. पर होगा, जबकि सबसे दूरतम बिंदु पृथ्वी के ऊपर **20,650** किमी. पर होगा।
- अन्य सभी आईआरएनएसएस उपग्रहों की तरह, आईआरएनएसएस **-1** आई में भी दो पेलोड - एक, नेविगेशन पेलोड (**navigation payload)** और दूसरा, रैंगिंग पेलोड (**ranging payload)** होंगे।
- नेविगेशन पेलोड का इस्तेमाल स्थिति, गति तथा समय के निर्धारण के लिये किया जाएगा, जबकि रैंगिंग पेलोड का इस्तेमाल सेटेलाइट की आवृत्ति रेंज का निर्धारण करने के लिये किया जाएगा।

8वीं एशिया-पैसिफिक क्षेत्रीय 3R फोरम

- **9** अप्रैल, **2018** को इंदौर में प्रारंभ हुई **8**वीं क्षेत्रीय एशिया-पैसिफिक **3R** फोरम की बैठक का **12** अप्रैल को समापन हो गया।
- फोरम की बैठक में **106** भारतीय शहरों के मेयरों सहित **45** से अधिक देशों के **700** से अधिक प्रतिनिधियों ने **3R**-रिड्यूस (कमी), रियूज़ (पुनःप्रयोग), रिसाइकिल (पुनःचक्रण) के सिद्धांतों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

प्रमुख बिंदु

- **3R** फोरम की **8**वीं बैठक का आयोजन भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (**MoHUA),** जापान सरकार के पर्यावरण मंत्रालय (**MOEJ)** और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र (**United Nations Centre for Regional Development-UNCRD)** द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
- **1971** में स्थापित **UNCRD** जापान सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते पर आधारित है। मध्य प्रदेश सरकार, इंदौर नगर निगम और भारतीय उद्योग परिसंघ (**CII)** भी इस आयोजन के सहयोगी थे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस कार्यक्रम की थीम **'3R** और संसाधन क्षमता के ज़रिये स्वच्छ जल, स्वच्छ भूमि और स्वच्छ हवा हासिल करना-एशिया-प्रशांत समुदाय के लिये **21**वीं सदी की दृष्टि' **(Achieving Clean Water, Clean Land and Clean Air through 3R and Resource Efficiency- A 21st Century Vision for Asia-Pacific Communities)** था।
- ठोस कचरा प्रबंधन, **3R** सिद्धांतों के प्रोत्साहन और ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी के मिशन की दिशा में अनुकरणीय प्रयासों के लिये विभिन्न सिविल सोसायटी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों को पुरस्कृत किया गया।
- इस फोरम की बैठक के दौरान मिशन शून्य कचरे (**Mission Zero Waste)** के विज़न पर केंद्रित **'3R** इंदौर घोषणा' **(INDORE 3R DECLARATION)** को अपनाया गया।
- **3R** फोरम की बैंकॉक में अगली बैठक की मेज़बानी थाइलैंड सरकार करेगी, जिसका आमंत्रण भाग लेने वाले सभी देशों को दे दिया गया है।
- इस फ़ोरम के माध्यम से भारत का लक्ष्य अपने 'मिशन शून्य अपशिष्ट' के द्वारा इस अवधारणा को मज़बूत करना है जिससे शहरों, उद्योगों और अन्य विभिन्न हितधारकों के एक संसाधन के रूप में कचरे के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा सके।

INDORE 3R DECLARATION

- इंदौर **3R** घोषणा आठवीं एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय **3R** फोरम का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम है जिसका लक्ष्य **3R** और संसाधन दक्षता उपायों को शहरों और देशों को स्वच्छ, स्मार्ट, जीवंत और लचीला बनाने में पूरक रणनीति के तौर पर विकसित करना है।
- इंदौर **3R** घोषणा को अपनाना और हस्ताक्षर करना, सतत् विकास और सतत् विकास लक्ष्यों तथा नए शहरी एजेंडा **(NUA)** को प्राप्त करने के लिये प्रासंगिक है।
- घोषणा में व्यक्त प्रतिबद्धताएँ **3R** सिद्धांतों को बढ़ावा देने और संसाधन दक्षता **(Resource Efficiency)** तथा मिशन ज़ीरो अपशिष्ट के लक्ष्य को साकार करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- इसके अतिरिक्त यह **6R** यानी रिड्यूस (कमी), रियूज़ (पुनःप्रयोग), रिसाइकिल (पुनःचक्रण), रिकवर (पुनःप्राप्ति), रि-डिज़ाइन तथा रि-मेन्युफेक्चर (पुनःनिर्माण) को अपनाकर **7**वें **R** यानी रिजॉयस (आनंद) की दिशा में प्रगति के लिये मार्गदर्शन भी करेगा।

पृष्ठभूमि

- एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय **3R** फोरम की शुरुआत **2009** में टोक्यो (जापान) में हुई थी। इसका उद्देश्य **3R** सिद्धांतों को नीति-निर्माण, योजना और विकास के साथ एकीकृत करना है। **3R** फोरम क्षेत्रों में सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के लिये सामरिक मंच प्रदान करता है, जिसमें कचरा प्रबंधन संबंधी चिंता के नए और उभरते मुद्दे भी शामिल हैं।
- पिछले सात वर्षों में फोरम का आयोजन मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मालदीव, जापान और ऑस्ट्रेलिया में किया गया है।
- फोरम ने अभिनव, प्रभावी और स्मार्ट **3R** आधारित समाधान प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मंत्रालय द्वारा कचरा प्रबंधन की दिशा में किये जा रहे कार्य

- आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय परिवारों के स्तर पर और बड़े पैमाने पर फैलने वाले कचरे को स्रोत पर ही अलग-अलग करने की संकल्पना को बढ़ावा दे रहा है, ताकि लैंडफिल तक पहुँचने वाले कचरे की कुल मात्रा को न केवल कम किया जा सके, बल्कि कचरा प्रसंस्करण संयंत्रों तक जाने वाले कचरे की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- मंत्रालय कचरा उत्पन्न करने वालों के बीच विकेन्द्रीकृत कूड़े से बनने वाली खाद की एक किस्म को तेज़ी से बढ़ावा दे रहा है। वह गीले कचरे को उसी स्थान पर प्रसंस्कृत करने के कार्य में लगा हुआ है।
- साथ ही, मंत्रालय सूखे कचरे का पुनःचक्रण करने और उसके दोबारा इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रहा है।
- **2014** में भारत सरकार ने शहरों को **100** प्रतिशत साफ-सुथरा बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी।
- मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के लिये स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल शुरू किया है, ताकि शहरों को कचरा मुक्त दर्जा हासिल करने के लिये प्रेरित किया जा सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- मंत्रालय द्वारा शहरों के बीच स्वच्छता के सन्दर्भ में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने हेतु स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण **2017** के अनुसार, इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का स्थान मिला। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण **2016** में इंदौर को यह कामयाबी मिली थी।
- पहला सर्वेक्षण **73** शहरों का किया गया, जबकि दूसरे दौर का सर्वेक्षण **434** शहरों में हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण **2018** में **4203** शहरों को शामिल किया गया है जिसका परिणाम अभी आना बाकी है।

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिये दिशा-निर्देश

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिमों के विषय में जागरूकता फैलाने के लिये मंत्रालय द्वारा इन नए दिशा-निर्देश में 8 सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया।

वर्तमान स्थिति

- डिजिटल सुरक्षा फर्म गेमाल्टो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, **2017** में भारत में **29** आँकड़ों के उल्लंघन (**Data Breach**) की घटनाओं में से **28** फीसदी सरकारी महकमे से जुड़ी थीं। इनमें से **21** फीसदी खुदरा, **17** फीसदी शिक्षा और **7** फीसदी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबंधित मामले थे।
- **2017** में घटित लगभग **77%** घटनाओं में डाटा उल्लंघन के संबंध में **"identity theft"** सबसे अहम था। डाटा उल्लंघन के दूसरे सर्वाधिक प्रचलित प्रकार का "सरकारी आँकड़ों तक पहुँच" के रूप में प्रयोग किया गया।

प्रमुख 8 कार्यप्रणालियाँ

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अनुसरण किये जाने के लिये निम्नलिखित 8 प्रमुख कार्यप्रणालियों का उल्लेख किया गया है:

- कंप्यूटर और नेटवर्क उपकरणों की एक विस्तृत जाँच और विभाग द्वारा प्रबंधित सभी प्रकार के आँकड़ों (**data**) की पहचान करके आईटी परिवेश के विषय में जानकारी प्राप्त करना।
- साइबर हमलों और सुरक्षित साइबर कार्यकलापों जैसे कि मज़बूत पासवर्ड, कई चरणों वाला प्रमाणीकरण, सुरक्षित इंटरनेट ब्राउज़िंग, सोशल मीडिया सुरक्षा, यूएसबी उपकरणों का उपयोग इत्यादि के लिये कर्मचारियों को शिक्षित करना और प्रशिक्षण देना।
- विभाग के लिये सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा करने के साथ-साथ उसमें आवश्यक सुधार करना।
- वास्तविक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्राप्त करना तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को नियमित रूप से सामयिक बनाना।
- एक औपचारिक साइबर सुरक्षा नीति फ्रेमवर्क लागू करना जिसमें प्रशासन, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, डाटा बैक-अप, प्रवर्तन और उपयोग नीति वक्तव्य शामिल हों।
- एन्क्रिप्शन (**encryption**) के साथ मज़बूत डिवाइस सुरक्षा बनाना तथा अभिलेखों (**logs**) को सुरक्षित बनाए रखने के अलावा आँकड़ों (**data**) को लीक होने से बचाना।
- साइबर सुरक्षा की व्यापक और नियमित समीक्षा करना।
- साइबर-प्रतिक्रिया की रणनीति के साथ मिलकर सिस्टम प्रक्रियाओं पर निगरानी रखने और अनियमितताओं का पता लगाने के लिये उपकरणों का प्रयोग करना।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पैकेज़्ड वाले खाद्य पदार्थों पर लाल रंग कोडित लेबल की योजना

उपभोक्ताओं की स्वास्थ्यप्रद भोजन में रुचि बढ़ाने हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) ने वसा, शुगर और नमक की उच्च मात्रा वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के पैकेटों के अग्रभाग पर लाल रंग के कोडिंग लेबल को अनिवार्य बनाने की सुझाव दिया है।

प्रमुख बिंदु

एफएसएसएआई ने यह प्रस्ताव भी दिया है कि यदि खाद्य उत्पाद में 5 प्रतिशत या उससे अधिक आनुवंशिक रूप से संशोधित तत्त्व हैं, तो संबंधित कंपनी को इसकी घोषणा पैकेट पर करनी चाहिये।

- प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, **2018** के अनुसार, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों वाली कंपनियों को पोषक तत्त्वों जैसे- कैलोरी (ऊर्जा), कुल वसा, ट्रांस-वसा, कुल शुगर और नमक की प्रति आहार (**Per Serve**) मात्रा को पैकेट पर प्रदर्शित करना होगा।
- हालाँकि, यह सिफारिश की गई है कि उच्च फैट, चीनी और नमक (एचएफएसएस) वाले पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के मामले में आहार ऊर्जा मूल्यों की प्रतिशतता लेबल पर लाल रंग में हाइलाइट की जाएगी। उदाहरण के लिये, यूरोप में कई देशों ने उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पादों में पोषण संबंधी मूल्यों के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिये रंग-कोड वाले लेबलों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
- मसौदा विनियम में यह कहा गया है कि खाद्य प्राधिकरण समय-समय पर रंग कोडिंग प्रणाली पेश करने के अलावा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर खाद्य पदार्थों को 'लाल' के रूप में दर्शा सकता है।
- इसने यह भी सुझाव दिया है कि बच्चों हेतु एचएफएसएस खाद्य पदार्थों के किसी भी प्रकार के विज्ञापनों पर रोक लगाई जानी चाहिये।
- व्यापक मसौदा लेबलिंग नियमों ने भी पहली बार लेबल पर आनुवंशिक रूप से संशोधित अवयवों की घोषणा संबंधी प्रस्ताव दिया था।
- मसौदा विनियम में मिनरल वाटर, पीने योग्य पानी और खाद्य परिष्कृत तेलों से संबंधित अतिशयोक्तिपूर्ण स्वास्थ्य-लाभ संबंधी दावों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।
- एफएसएसएआई ने मसौदे पर विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियाँ मांगी हैं।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) क्या है?

- केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, **2006** के तहत भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का गठन किया।
- इसको **1** अगस्त, **2011** को केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया।
- इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है।
- एफएसएसएआई मानव उपभोग के लिये पौष्टिक भोजन के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करता है।
- इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, ज़िला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच भी करता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

एक सीट एक उम्मीदवार (one seat, one candidate policy)

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा दायर उस हलफनामे का ज़वाब देने के लिये कहा है, जिसमें उम्मीदवारों को कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकने या एक उम्मीदवार को चुनाव में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने की अनुमति देने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका द्वारा भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 (7) को चुनौती देते हुए इसके अभ्यास को समाप्त करने की मांग की गई है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 (7)
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 (7) इस अधिनियम की उपधारा 6 में या उसके किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति -
(क) लोकसभा के लिये साधारण निर्वाचन की दशा में (चाहे सभी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में साथ-साथ निर्वाचन कराए गए हों या नहीं), दो से अधिक संसदीय निवार्चन-क्षेत्रों से; (ख) राज्य की विधानसभा के लिये साधारण निर्वाचन की दशा में (चाहे सभी विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों में साथ-साथ निर्वाचन कराए गए हों या नहीं), उस राज्य में दो से अधिक विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों से; (ग) राज्य की विधान परिषद के लिये, जहाँ ऐसी परिषद् है, द्विवार्षिक निर्वाचन की दशा में, उस राज्य में दो से अधिक परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से; (घ) किसी राज्य को आवंटित दो या अधिक स्थानों को भरने के लिये राज्यसभा हेतु द्विवार्षिक निर्वाचन की दशा में, ऐसे दो से अधिक स्थानों को भरने के लिये; (ङ) दो या अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से लोकसभा के लिये उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से; (च) दो या अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधानसभा हेतु उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे दो से अधिक विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों से; (छ) राज्य को आवंटित दो या अधिक स्थानों को भरने के लिये राज्यसभा के लिये उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे दो से अधिक स्थानों को भरने के लिये; (ज) दो या अधिक परिषद निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधानपरिषद के लिये, जहाँ ऐसी परिषद है, उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे दो से अधिक परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से, निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं कर सकता।

चुनावी सुधारों के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदम

- चुनाव आयोग ने चुनावी सुधारों के संबंध में भारत के विधि आयोग की **255**वीं रिपोर्ट को संदर्भित किया, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि मतदाताओं के लिये समय, प्रयास, चुनाव थकान और उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए एक उम्मीदवार को केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में खड़े होने की अनुमति दी जाए।
- चुनाव आयोग ने जुलाई **2004** में सरकार को चुनावी सुधारों के संबंध में **22** प्रस्तावों का एक सेट भेजा था जिसे विभाग की संबंधित संसदीय स्थायी समिति, लोक शिकायतों, कानून और न्याय समिति द्वारा परीक्षण हेतु **2005** में राज्यसभा में भेजा गया।
- **22** प्रस्तावों के इस समूह के प्रस्ताव संख्या **4** में एक व्यक्ति के एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- यह भी प्रस्तावित किया गया है कि कानून के द्वारा एक व्यक्ति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित किया जाए।
- चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि एक उम्मीदवार को विधानसभा/विधानपरिषद चुनाव के दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिये **5** लाख रुपए तथा आम चुनाव के लिये **10** लाख रुपए जमा करना चाहिये।
- इस धनराशि का उपयोग उमीदवार द्वारा एक सीट छोड़ने की स्थिति में उप-चुनाव के संचालन के लिये किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के कार्यान्वयन के लिये राज्यों में फसल बीमा कंपनियों को स्थापित करने की मंज़ूरी

कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सूचना दी है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को लागू करने के लिये राज्यों को अपनी बीमा कंपनियाँ स्थापित करने की अनुमति दी है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को मंज़ूरी दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 'खरीफ' 2016 से लागू किया गया।

मुख्य विशेषताएँ

- इस योजना के तहत खरीफ, रबी तथा वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागबानी फसलों को शामिल किया गया है।
- इसमें खरीफ की फसल के लिये कुल बीमित राशि का **2%** तक का बीमा प्रभार, रबी हेतु **1.5%** तक तथा वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिये बीमित राशि का **5%** तक का बीमा प्रभार निश्चित किया गया है।
- किसानों की प्रीमियम राशि का एक बड़ा हिस्सा केंद्र तथा संबंधित राज्य वहन करता है। बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बोहनी नहीं कर पाता है तो भी उसे दावा राशि मिल सकेगी।
- अब ओला, जलभराव और लैंड स्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाएगा।
- इस योजना में स्थानीय हानि की स्थिति में केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी। योजना में पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को भी शामिल किया गया है।
- अब फसल कटने के **14** दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसानों को दावा राशि मिल सकेगी।
- योजना में टैक्नोलॉजी (जैसे रिमोट सेंसिंग) इस्तेमाल कर फसल कटाई/नुकसान का आकलन शीघ्र व सही तरीके से किया जाता है, ताकि किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सके।
- फसल कटाई प्रयोग के आँकड़ें तत्काल स्मार्टफोन से अप-लोड कराए जाते हैं।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में पाँच सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियाँ और **13** निजी बीमा कंपनियाँ इस योजना के कार्यान्वयन के लिये सूचीबद्ध हैं।
- सार्वजनिक बीमा कंपनियों में भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (यूआईसीसी), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (एनआईसी), ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी (ओआईसी) और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (एनआईएसी) शामिल है।
- ध्यातव्य है कि फसल वर्ष **2017-18** (जुलाई-जून) के दौरान, **4.79** करोड़ किसानों को पीएमएफबीवाई के तहत कवर किया गया है और सरकार इस योजना के तहत किये गए दावों का आकलन करने की प्रक्रिया में है।

समर्थन परियोजना(Project 'Samarthan')

तिहाड़ जेल शीघ्र ही अपने कैदियों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा कार्यक्रम (पीएफए प्रोग्राम) को अपनाएगा, जिसे प्रोजेक्ट समर्थन (Project 'Samarthan') का नाम दिया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- प्रोजेक्ट समर्थन (**Project 'Samarthan'**) के तहत, जेल के कर्मचारियों को उन लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा जो निराशाग्रस्त या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
- यह कार्यक्रम एम्स के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ नंद कुमार के मार्गदर्शन में मानसिक स्वास्थ्य फाउंडेशन, चिकित्सा पेशेवर और तिहाड़ में काम करने वाले जेल स्टाफ के सहयोग से संचालित किया जाएगा।
- जेल कर्मचारियों को उन लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा विकसित पीएफए प्रोग्राम का उद्देश्य उन लोगों को 'सहायक और व्यावहारिक'(**'supportive and practical'**) सहायता प्रदान करना है, जिन्हें संकट की स्थिति का सामना करना पड़ा है।
- ध्यातव्य है कि पेंसिल्वेनिया राज्य (**Pennsylvania State**) की जेल के बाद तिहाड़ जेल इस कार्यक्रम को अपनाने वाली दूसरी संस्था बन जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के जजों के समूह द्वारा सीजेआई के कर्त्तव्यों को संहिताबद्ध करने का प्रयास

सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों के एक समूह ने मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के व्यापक कर्त्तव्यों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया, ऐसा विशेष रूप से 'रोस्टर के मास्टर' (Master of Roster) के रूप में मुख्य न्यायाधीश की मामलों को आवंटित करने संबंधी क्षमता के संदर्भ में किया गया।

- **11** अप्रैल, **2018** को तीन सदस्यीय बेंच द्वारा एक निर्णय दिया गया, जिसमें यह माना गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास मामलों को आवंटित करने और न्यायपीठों का गठन करने के लिये 'अनन्य विशेषाधिकार' है।
- **11** अप्रैल के इस फैसले में नवंबर **2017** में पाँच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के उस फैसले को दोहराया गया, जिसमें सीजेआई को मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में अनन्य प्रभुत्व (**absolute dominance**) प्रदान किया गया था।
- **13** अप्रैल, **2018** को जस्टिस सीकरी के नेतृत्व वाली एक बेंच ने इस संबंध में शांति भूषण द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय मामलों की आवंटन संबंधी प्रक्रिया न्यायालय का आंतरिक मामला है, अतः स्वयं न्यायाधीशों को स्वशासन तंत्र (**self-governing mechanism**) का विकास करने देना चाहिये।

विधि आयोग एक साथ चुनावों के पक्ष में

भारत के विधि आयोग द्वारा एक 'श्वेत पत्र' मसौदा जारी कर 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ कराने की सिफारिश की गई है। ध्यातव्य है कि 'श्वेत पत्र' में आयोग की "संभावित सिफारिशों" की एक श्रृंखला है।

पृष्ठभूमि

- हमारे देश का पहला आम चुनाव **1951-52** में हुआ था।
- आयोग का कहना है कि **1967** तक स्वतंत्रता के पहले दो दशकों के दौरान देश में एक साथ चुनाव हुए थे।
- **1968** और **1969** में कुछ विधानसभाओं तथा लोकसभा के विघटन के बाद एक साथ चुनावों के संचालन में रुकावट हुई।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारत का विधि आयोग (Law Commission of India)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- एक गैर-वैधानिक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित इस संस्था का उद्देश्य कानून में सुधार और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना है।
- **19**वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान चार विधि आयोग गठित किये गए थे, हालाँकि इस योग की कार्यविधि तत्कालीन अंग्रेजी कानूनों के प्रतिरूप के आधार पर भारतीय परिस्थिति के अनुरूप अपनाए जाने की सिफारिशें की गई थीं।

गठित विधि आयोग

आज़ादी से पूर्व

- प्रथम विधि आयोग–**1834 (**लॉर्ड मैकाले- अध्यक्ष)
- दूसरा विधि आयोग-**1853**
- तीसरा विधि आयोग-**1861**
- चौथा विधि आयोग-**1879**

स्वतंत्र भारत में गठित विधि आयोग

- स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना **1955** में एम.सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में हुई।
- वर्तमान में **21**वें विधि आयोग की स्थापना उच्चतम न्यायलय के सेवानिवृत न्यायाधीश बलवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में की जा चुकी है (**1** सितंबर, **2015)**।

आयोग की संरचना

- **21**वें विधि आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष (**31** अगस्त, **2018** तक) का होगा।
- **21**वें विधि आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं –

✓ पूर्णकालिक अध्यक्ष
✓ 4 पूर्णकालिक सदस्य (1 सचिव सहित)
✓ 2 पदेन सदस्य- Member (Ex-Offico)
✓ 3 अंशकालिक सदस्य – Member (Part-time)

कार्यप्रणाली

- आयोग की बैठकों को आयोजित करना।
- प्राथमिकता के आधार पर सदस्य के प्रारंभिक कार्य की पहचान की जाती है।
- प्रस्तावित सुधार के बिंदु को ध्यान में रखकर आँकड़ों के संग्रह एवं अनुसंधान हेतु अलग-अलग पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं।
- समस्या सुधार हेतु क्षेत्र निर्धारण की रूपरेखा।
- सार्वजनिक, व्यावसायिक निकायों व शैक्षणिक संस्थाओं के साथ परामर्श।
- प्रतिक्रियाओं और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना।
- चर्चा और रिपोर्ट की जाँच के बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट को आगे बढ़ाना। इसके बाद रिपोर्ट पर विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा विचार- विमर्श के पश्चात् रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

श्वेत-पत्र मसौदे में निहित प्रमुख सिफारिशें

- पहला सुझाव यह है कि संविधान के लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम **1951** और लोकसभा तथा विधानसभाओं के नियमों में संशोधन करके देश में एक साथ चुनावों को बहाल किया जा सकता है।
- यह सिफारिश करता है कि **2019** में चरणबद्ध तरीके से चुनाव हो सकते हैं-
  - ✓ पहले चरण में **2019** में लोकसभा के साथ समकालिक चुनावों में विधायकों का चुनाव एक साथ मिलकर किया जा सकता है।
  - ✓ जबकि शेष राज्यों का चुनाव **2024** में होने वाले आम चुनाव के साथ किया जा सकता है।
  - ✓ आयोग ने गैर-विश्वास प्रस्ताव और सदन के समयपूर्व विघटन को एक साथ चुनावों के लिये प्रमुख बाधाओं के रूप में माना है और आयोग का कहना है कि ऐसी पार्टियाँ, जो अविश्वास प्रस्ताव पेश करती हैं, उन्हें वैकल्पिक सरकार के लिये भी सुझाव देना चाहिये।
- संसद या विधानसभा की स्थिति में लोकसभा या विधानसभा में गतिरोध को रोकने के लिये दसवीं अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून की कठोरता में छूट की सिफारिश भी की गई है।
- आयोग का सुझाव है कि मध्यावधि चुनाव के मामले में नई लोकसभा या विधानसभा केवल पिछली लोकसभा/विधानसभा की शेष अवधि के लिये ही सेवा करेगी, न कि पाँच साल की अवधि के लिये।
- आयोग का कहना है कि केंद्र को संविधान में संशोधन करना चाहिये, यदि सहमति हो तो सभी राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि होनी चाहिये, ताकि किसी भी चुनौती से बचा जा सके।
- आयोग का सुझाव है कि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री का निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष की तरह पूरे सदन की अगुवाई में होना चाहिये।

केंद्र द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र के मानदंडों में छूट का प्रस्ताव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक किये गए भारत के तटीय विनियमन क्षेत्र (coastal regulation zone) योजना में प्रस्तावित संशोधन वाले मसौदे पर केंद्र द्वारा भारत के तटों को पर्यटन और औद्योगिक आधारभूत संरचना से जोड़ने तथा उन्हें अधिक सुलभ बनाने के लिये विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु राज्यों को काफी छूट दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- सीआरजेड **2011,** भारत के **7000** किलोमीटर लंबी तटरेखा के निकट क्षेत्रों को संदर्भित करता है, जहाँ इमारतों, पर्यटन सुविधाओं, औद्योगिक परियोजनाओं, आवासीय सुविधाओं आदि को अत्यधिक विनियमित किया जाता है।
- यह मुख्यतः **उच्च ज्वार रेखा** (एचटीएल) से भूमि की ओर लगभग **500** मीटर तक शुरू होता है।
- जनसंख्या और पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता के आधार पर क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये अलग-अलग छूट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
- सीआरजेड-**2011** में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल किया गया है और मौजूदा कानूनों के अनुसार रक्षा गतिविधियों, रणनीतिक और दुर्लभ सार्वजनिक उपयोगी परियोजनाओं को छोड़कर पर्यटन गतिविधियों और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये इस पर कुछ सीमाएँ हैं।
- नई सीआरजेड **2018** की अधिसूचना के अनुसार, प्रकृति के निशान और पारिस्थितिकी पर्यटन गतिविधियों (**nature trails and eco-tourism activities)** को सीआरजेड-**2011** क्षेत्रों के तहत अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते वे राज्य-अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं के अनुरूप हों।
- वर्तमान सीआरजेड कानून **2011 'तटीय क्षेत्र' (coastal zone)** को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है, जो ज्वार प्रभावित क्षेत्रों (**tidal-influenced bodies)**, जैसे कि खाड़ी, क्रीक, नदियों, बैकवाटर, लैगून और तालाब आदि में एचटीएल से **100** मीटर की दूरी तक स्थित होता है और समुद्र से जुड़े हुआ होता है।
- जबकि प्रस्तावित सीआरजेड **2018** तटीय क्षेत्र के दायरे में **50** मीटर तक की छूट देता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अत्याचारों पर निर्बंधन

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य' मामले में दिये गए हालिया फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिससे अस्पृश्यता और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों की रोकथाम हेतु बनाए गए कानूनों और नीतियों पर प्रभाव पड़ना तय है।

वर्तमान परिदृश्य

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम**, 1989** के दुरुपयोग संबंधी तथ्य के संदर्भ में कुछ महत्त्वपूर्ण आँकड़ों पर नज़र डालने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (**NCRB)** के आँकड़ों के अनुसार **2016** में अनुसूचित जातियों से जुड़े **5,347** झूठे केस दर्ज़ हुए**,** जबकि अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में इनकी संख्या **912** थी।
- एनसीआरबी के कुछ अन्य आँकड़ों से पता चलता है कि पिछले **10** सालों में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों में **51** प्रतिशत की वृद्धि हुई है**,** जबकि अनुसूचित जातियों के मामले में यह **13** प्रतिशत है।
- 'नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी' और 'एक्शन एड इंडिया' द्वारा किये गए अध्ययन में यह बताया गया है कि भारत में अभी भी अस्पृश्यता सहित कई अन्य तरह की धार्मिक-सामाजिक कुरीतियाँ बड़े स्तर पर विद्यमान हैं। अतः अत्याचार निवारण अधिनियम को और अधिक मज़बूत बनाने की आवश्यकता है।
- स्पृश्यता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों के मामलों में हमारा विधान सामान्य आपराधिक न्याय प्रणाली से पूर्णतः भिन्न है। अस्पृश्यता उन्मूलन को हमारे संविधान में अनुच्छेद **17** में शामिल किया गया है।
- हालाँकि**,** मूल अधिकारों में शामिल होने के बावजूद अपर्याप्त प्रवर्तन तंत्र के कारण अस्पृश्यता पर प्रभावी नियंत्रण नहीं पाया जा सका है।
- वर्ष **2016** में **1989** के अत्याचार निवारण अधिनियम को मज़बूत बनाने हेतु कई संशोधन किये गए, जिनमें और अधिक कृत्यों को अत्याचारों में शामिल करना**;** अत्याचारों के संबंध में दंड में बढ़ोतरी करना**;** लोक सेवकों जैसे पुलिस अफसरों पर क़ानून के प्रवर्तन की ज़िम्मेदारी में वृद्धि करना**;** ट्रायल और जाँच की समयसीमा में कमी लाना**;** गिरफ्तारी तंत्र को और सुदृढ़ बनाना**;** अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन आने वाले मामलों हेतु स्पेशल न्यायालयों का गठन करना, जैसे प्रावधान शामिल हैं।

हाल में न्यायालय द्वारा जारी किये गए नए दिशा-निर्देश

I. ऐसे मामलों में किसी भी निर्दोष को कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिये कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सबसे पहले शिकायत की जाँच डीएसपी स्तर के पुलिस अफसर द्वारा की जाएगी।

II. न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह जाँच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिये। जाँच किसी भी सूरत में 7 दिन से अधिक समय तक न चले। इन नियमों का पालन न करने की स्थिति में पुलिस पर अनुशासनात्मक एवं न्यायालय की अवमानना करने के संदर्भ में कार्यवाही की जाएगी।

III. अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली अथॉरिटी की लिखित मंज़ूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है और अन्य लोगों को ज़िले के एसएसपी की लिखित मंज़ूरी के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकेगा।

IV. इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त की पेशी के समय मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कारणों पर विचार करने के बाद यह तय किया जाएगा कि क्या अभियुक्त को और अधिक समय के लिये हिरासत में रखा जाना चाहिये अथवा नहीं।

V. इस मामले में सरकारी कर्मचारी अग्रिम जमानत के लिये भी आवेदन कर सकते हैं। आप को बता दें कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियुक्त को अग्रिम ज़मानत दिये जाने पर भी रोक है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

मेघालय से हटा अफस्पा, अरुणाचल प्रदेश में भी घटा प्रभाव

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मेघालय से विवादास्पद अफस्पा (आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट) को पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहीं इसे अरुणाचल प्रदेश के असम सीमा से लगे 8 थाना क्षेत्रों तथा म्याँमार सीमा से लगे 3 थाना क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है। अफस्पा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 में अरुणाचल प्रदेश में 16 अफस्पा पुलिस स्टेशन थे, जो अब घटकर सिर्फ 8 रह गए हैं।

- एक अन्य निर्णय में गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में विद्रोहियों के लिये आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के तहत **1** लाख रुपए से बढ़ाकर **4** लाख रुपए तक सहायता राशि कर दी है। सरकार की यह नई पॉलिसी **1** अप्रैल, **2018** से लागू होगी।

संरक्षित क्षेत्र

- इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड जाने वाले विदेशियों के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट और संरक्षित क्षेत्र परमिट में भी थोड़ी ढिलाई बरती गई है। हालाँकि, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले यात्रियों के लिये अभी इस क्षेत्र में प्रतिबंध जारी रहेगा।
- गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि **6** दशकों से लागू प्रतिबंध पर एक अप्रैल से पाँच वर्षों के लिये छूट देने का निर्णय लिया गया है।
- ज्ञात हो कि इससे पूर्व बिना विशेष परमिट के विदेशी यात्रियों को इस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं थी।
- विदेशी नागरिक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, **1958** के तहत देश के कुछ राज्यों में इनर लाइन एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच के सभी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था।
- इस प्रकार से संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड एवं जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
- गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि पिछले **4** साल में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विद्रोहियों से संबंधित घटनाओं में **63** फीसदी तक कमी आई है।
- गृह मंत्रालय ने मार्च **2018** में कहा कि असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में **10** भारतीय रिज़र्व बटालियनों की तैनाती को मंज़ूरी दे दी है। पूर्वोत्तर में तैनात केंद्रीय बलों की जगह अब भारतीय रिज़र्व बटालियनें लेंगी।

क्या है अफस्पा?

- सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) **1958** में संसद द्वारा पारित किया गया था। आरंभ में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में भी यह कानून लागू किया गया था।
- मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद **2004** में राज्य के कई हिस्सों से इस कानून को हटा दिया।
- बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों के चलते जम्मू-कश्मीर में **1990** में यह कानून लागू किया गया था। तब से आज तक जम्मू-कश्मीर में यह कानून लागू है, लेकिन राज्य का लेह-लद्दाख क्षेत्र इस कानून के अंतर्गत नहीं आता।
- आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट (अफस्पा) सेना को जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के विवादित इलाकों में सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार देता है। इस एक्ट को लेकर काफी विवाद है और इसके दुरुपयोग का आरोप लगाकर लंबे समय से इसे हटाने की मांग की जाती रही है।
- अफस्पा का सेक्शन **4**, सुरक्षाबलों को किसी भी परिसर की तलाशी लेने और बिना वॉरंट किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। साथ ही खतरे का संदेह होने की स्थिति होने पर उस स्थान को नष्ट करने का आदेश भी दे सकता है।
- इसके तहत विवादित इलाकों में सुरक्षाबल किसी भी स्तर तक शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। संदेह होने की स्थिति उन्हें किसी गाड़ी को रोकने, तलाशी लेने और उसे सीज करने का अधिकार होता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार है। यदि इस दौरान उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही गोली चलाने या ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी पर नहीं होगी।
- अफस्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर, वहाँ केंद्रीय सुरक्षाबलों को तैनात करती है।

अफस्पा का इतिहास

- सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) **1958** को एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था तथा तीन माह के भीतर ही इसे कानूनी जामा पहना दिया गया था।
- **1958, पूर्वोत्तर भारत :**
  - ✓ भारत में संविधान लागू होने के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिये मणिपुर और असम में 1958 में अफस्पा लागू किया गया था।
  - ✓ इसे 1972 में कुछ संशोधनों के बाद असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नागालैंड सहित समस्त पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था।
  - ✓ त्रिपुरा में उग्रवादी हिंसा के चलते 16 फरवरी 1997 को अफस्पा लागू किया गया था, जिसे स्थिति सुधरने पर 18 साल बाद मई 2015 में हटा लिया गया था।
- **1983,** पंजाब एवं चंडीगढ़ :
  - ✓ पंजाब में बढ़ते अलगाववादी हिंसक आंदोलन से निपटने के लिये सेना की तैनाती का रास्ता साफ करते हुए 1983 में केंद्र सरकार द्वारा अफस्पा (पंजाब एंड चंडीगढ़) अध्यादेश लाया गया, जो 6 अक्तूबर को कानून बन गया। यह कानून 15 अक्तूबर, 1983 को पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में लागू कर दिया गया। लगभग 14 वर्षों तक लागू रहने के बाद 1997 में इसे वापस ले लिया गया।
- **1990,** जम्मू-कश्मीर :
  - ✓ जम्मू-कश्मीर में हिंसक अलगाववाद का सामना करने के लिये सेना को विशेष अधिकार देने की प्रक्रिया के चलते यह कानून लाया गया, जिसे 5 जुलाई, 1990 को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया।
  - ✓ इस कानून के पारित होने से पहले भी उसी वर्ष एक अध्यादेश जारी किया गया था। तब से आज तक जम्मू-कश्मीर में यह कानून लागू है, लेकिन राज्य का लेह-लद्दाख क्षेत्र इस कानून के अंतर्गत नहीं आता।

खाद्य सुरक्षा हेतु एक सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता

खाद्य सुरक्षा के प्रमुख मानकों का निर्धारण

वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों का निर्धारण जीएफएसआई, खाद्य स्वास्थ्य और कृषि संगठन (एफएओ) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ मिलकर करता है।

जीएफएसआई - वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल (GFSI - Global Food Safety Initiative)

- जीएफएसआई मई **2000** में द फूड बिज़नेस फोरम (सीआईएस) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- निर्माता सलाहकार सदस्यों के साथ एक खुदरा विक्रेता संचालित समूह जीएफएसआई फाउंडेशन बोर्ड को रणनीतिक दिशा प्रदान करता है और दैनिक प्रबंधन की देखरेख करता है।
- जीएफएसआई के तहत **7** प्रमुख खुदरा विक्रेताओं ने चार जीएफएसआई बेंचमार्क युक्त खाद्य सुरक्षा योजनाओं की एक आम स्वीकृति प्राप्त की है। स्टैण्डर्ड ऑनर और अन्य प्रमुख हितधारकों द्वारा पाँच खाद्य सुरक्षा योजनाओं के लिये बेंचमार्किंग कार्य किये गए हैं:

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ✓ बीआरसी मानक (BRC Standard)
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक (International Food Standard)
- ✓ Dutch HACCP
- ✓ SQF 1000/ 2000
- ✓ एसओ 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन

- प्रत्येक योजना ने अब खाद्य निर्माण से खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा परिभाषित सामान्य मानदंडों के साथ गठबंधन किया है, जिससे खाद्य विनिर्माण को यथासंभव सुरक्षित बनाया जा सके।
- यह आपूर्ति श्रृंखला में लागत दक्षता को बढ़ाएगा और लेखा परीक्षा के दोहराव को कम करेगा।

- भारत में यह कार्य भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा किया जाता है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कोडेक्स मानकों के अनुरूप कई खाद्य पदार्थों के मानकों को सुसंगत बनाया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)

- केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, **2006** के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का गठन किया, जिसको **1**अगस्त, **2011** में केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया।
- इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है।

एफएसएसएआई के कार्य

- एफएसएसएआई मानव उपभोग के लिये पौष्टिक भोजन का उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करता है।
- इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, ज़िला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है।
- यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच भी करता है।
- ध्यातव्य है कि सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य (एसएनएफ) कार्यक्रम के तहत एफएसएसएआई नागरिक मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से सभी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान आदेश (Constitution Order-C.O) 114 तिथि 12 फरवरी, 1981 को रद्द करके और नया संविधान आदेश लागू करके भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को मंज़ूरी दे दी है।

- नया संविधान आदेश लागू होने से राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के लोगों को भारत के संविधान की **5**वीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपायों का लाभ मिलना सुनिश्चित होगा।
- राजस्थान सरकार ने भारत के संविधान की **5**वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिये अनुरोध किया है।

लाभार्थी

- राजस्थान के बांसवाड़ा, डुंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर के आंशिक क्षेत्रों, राजसमंद, चितौडगढ़, पाली तथा सिरोही ज़िलों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग भारत के संविधान की **5**वीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपायों का लाभ प्राप्त करेंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से बांसवाड़ा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले, नौ सम्पूर्ण तहसीलें, एक सम्पूर्ण ब्लॉक तथा उदयपुर, राजसमंद, चितौड़गढ़, पाली और सिरोही ज़िलों के **727** गाँवों को कवर करने वाली **46** ग्राम पंचायतें शामिल की जाएंगी।
- अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के मद में अतिरिक्त धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह कारगर तेज़ विकास के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में अधिक फोकस हेतु केंद्र और राज्य सरकार की वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत जनजातीय उप-योजना (नया नामकरण जनजातीय उप-योजना) का हिस्सी होगी।

पृष्ठभूमि

- भारतीय संविधान की धारा **244 (1)** की **5**वीं अनुसूची के पैराग्राफ **6(1)** के अनुसार, 'अनुसूचित क्षेत्र' अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है, जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।
- संविधान की अनुसूची **5** के पैराग्राफ **6/(2)** के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राज्यपाल की सलाह के बाद एक राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि का आदेश दे सकते हैं, किसी राज्य और राज्यों के संबंध में इस पैराग्राफ के अंतर्गत जारी आदेश और आदेशों को राज्य के राज्यपाल की सलाह से निरस्त कर सकते हैं और अनुसूचित क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के लिये नया आदेश दे सकते हैं।
- अनुसूचित क्षेत्र को पहली बार **1950** में अधिसूचित किया गया था। बाद में **1981** में राजस्थान राज्य के लिये अनुसूचित क्षेत्रों को निर्दिष्ट करते हुए संविधान आदेश जारी किये गए।
- नए ज़िलों के पुर्नगठन और सृजन के कारण तथा **2011** की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की आबादी में परिवर्तन के कारण राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार का अनुरोध किया है।

अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिये क्या मानदंड हैं?

- पाँचवीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" के रूप में घोषित करने के लिये निम्नलिखित मानदंड हैं:
  - ✓ जनजातीय आबादी की प्रधानता।
  - ✓ क्षेत्र की सघनता और उचित आकार।
  - ✓ एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे-ज़िला, ब्लॉक या तालुका।
  - ✓ पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

आरसीईपी व्यापार संधि भारत के लिये विनाशकारी हो सकती है : नीति आयोग

नीति आयोग ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में भारत के शामिल होने पर नकारात्मक परिणामों की ओर संकेत दिया है और यह भी कहा है कि भारत को इसमें शामिल होने पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि चीन इसमें मुख्य खिलाडी की भूमिका में है अतः भारत का हित इससे बाधित होगा।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) क्या है?

- यह एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता (**FTA**) है। इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के **16** देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये, इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है।
- इसमें शामिल कुल **16** देशों में आसियान के **10** सदस्य देश तथा **6** अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड हैं।
- सदस्य देश : ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
- इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड सहभागी (**Partner**) देश हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- वस्तुतः आरईसीपी वार्ता की औपचारिक शुरुआत **2012** में कंबोडिया में आयोजित **21**वें आसियान शिखर सम्मेलन में शुरू हो गई थी।
- आरईसीपी को ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप (**TPP)** के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- आरसीईपी में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का **25%,** वैश्विक व्यापार का **30%,** विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का **26% (**एफडीआई) तथा कुल आबादी का **45%** निवेशित है।

चावल की पूसा बासमती-1 किस्म के जीआई टैग पर विवाद

भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री ने मध्य प्रदेश के खुद को पारंपरिक बासमती उत्पादक क्षेत्र में शामिल किये जाने संबंधी दावे को खारिज कर दिया, जिसे वहाँ के किसानों ने चुनौती दी है। उनके अनुसार मध्य प्रदेश में उपजाई जाने वाली चावल की पूसा बासमती-1 किस्म की गुणवत्ता हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश (यूपी) में उत्पादित इसी किस्म के चावल से बेहतर है।

- मध्य प्रदेश की हल्के से गहरे काले रंग की काली मृदा नमी अवधारण हेतु उपयुक्त होती है एवं रायसेन**,** विदिशा और होशंगाबाद जैसे मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में**,** जहाँ पंजाब और हरियाणा से दोगुनी वर्षा होती है**,** वहाँ फसल के लिये पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र कीट और रोगों के हमले हेतु भी कम प्रवण है।
- बासमती चावल को नुकसान पहुँचाने वाले भूरे और सफ़ेद प्लांट हॉपर (**brown and white plant hopper)** सामान्य कीट हैं। ये मध्य सितंबर और मध्य अक्तूबर में फसल पर हमला करते हैं।
- दावे के समर्थकों के अनुसार**,** मध्य प्रदेश में अक्तूबर-नवंबर के दौरान तापमान उतार-चढ़ाव कम रहता है। यह पुष्पण और अनाज भरण का समय होता है। अतः यहाँ का चावल अच्छी तरह तैयार होता है और इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। यही कारण है कि यहाँ के चावल की पश्चिमी जगत में अधिक मांग रहती है।
- जबकि जीआई रजिस्ट्री ने अपने आदेश में कहा कि मध्य प्रदेश जीआई टैग हेतु आवश्यक पारंपरिक बासमती-उत्पादक क्षेत्र संबंधी लोकप्रिय धारणा की मौलिक आवश्यकता **(the fundamental requirement of popular perception)** को पूरा नहीं करता। बासमती के लिये जीआई टैग गंगा के मैदानी क्षेत्र वाले खास हिस्से हेतु प्रदान किया गया है और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में नहीं आता है। अतः उसे जीआई टैग नहीं दिया जा सकता।

घरेलू श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय नीति का पुनरुत्थान

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने घरेलू श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये राष्ट्रीय नीति को पुनर्जीवित किया है। इस नीति के तहत न्यूनतम मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने संबंधी प्रमुख मुद्दों पर भी विचार किया गया है।

नीति में निहित प्रमुख बिंदु

- मंत्रालय एक केंद्रीय बोर्ड/ट्रस्ट स्थापित करने की योजना बना रहा है**,** जहाँ नियोक्ता नौकरानी **(maid),** ड्राइवर और अन्य सभी घरेलू कामगारों को पंजीकृत करेंगे।
- इसके माध्यम से उनके द्वारा किये गए कार्यों के आधार पर समान रूप से भुगतान किया जाएगा।
- यह नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के बीच सौदेबाजी को समाप्त करने में मदद करेगा।
- इस महत्त्वपूर्ण कदम से आशा व्यक्त की जा रही है कि देश में करीब **5** मिलियन घरेलू श्रमिकों को फायदा होगा, जिनमें **3** मिलियन महिलाएँ भी शामिल हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- मंत्रालय इस नीति के तहत एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कोड तैयार करने की कोशिश कर रहा है।
- इस नीति द्वारा ऐसे घरेलू श्रमिकों को भी कवर किया जाएगा, जो चिकित्सा बीमा, पेंशन, मातृत्व और अनिवार्य छुट्टी जैसे लाभों से वंचित हैं।
- श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक यह राष्ट्रीय नीति स्पष्ट रूप से अंशकालिक, पूर्णकालिक और लाइव-इन श्रमिकों (**live-in workers**) नियोक्ताओं और निजी नियुक्ति एजेंसियों को परिभाषित करेगी।
- इसके अलावा इस नीति से श्रमिकों को राज्य श्रम विभागों में स्वयं को पंजीकृत कराने का अधिकार मिलेगा।
- इस नीति का मुख्य लक्ष्य न्यूनतम मज़दूरी का निर्धारण करना, दुर्व्यवहार/उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था पेंशन जैसे सामाजिक लाभों को सुनिश्चित करना है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की तीसरी पीढ़ी: मार्क 3

चुनाव आयोग द्वारा तीसरी पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Mark 3 EVMs) की शुरुआत की गई, जिसे मार्क-3 नाम दिया गया है। इस मशीन की प्रमुख विशेषता यह है कि इससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ (tamper-proof) नहीं की जा सकती है

प्रमुख तथ्य

- मार्क-**3** ईवीएम का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (**ECIL**) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (**BEL**) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
- गौरतलब है कि भारत में **EVM** को विदेशों से आयात नहीं किया जाता, बल्कि ये पूर्णतः स्वदेश निर्मित मशीनें हैं, जिनका निर्माण भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ बंगलुरु स्थित **BEL** और हैदराबाद स्थित **ECIL** मिलकर करती हैं।
- ट्रायल के तौर पर कर्नाटक चुनाव में **1800** सेंटरों पर नई मार्क-**3** ईवीएम का इस्तेमाल होगा।
- इसके अलावा वर्ष **2019** के आम चुनाव में प्रत्येक सेंटर पर इनके इस्तेमाल किये जाने की योजना है।
- चुनाव आयोग ने कहा है कि इस **EVM** में एक चिप लगी है, जिसे पुनः रिप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है।
- इसके साथ ही मार्क **3** ईवीएम में केवल एक ही बार सॉफ्टवेयर कोड लिखा जा सकेगा और अगर कोई इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो यह मशीन खुद ही बंद हो जाएगी।
- मार्क **3** ईवीएम में नियंत्रण इकाई और मतपत्र इकाई (**control unit and ballot unit**) केवल ईसीआईएल और बीईएल द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर को ही स्वीकार कर सकती है।
- इस नई मार्क-**3** ईवीएम को इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है।
- नई मार्क-**3** ईवीएम में **24** बैलेट यूनिट और **384** प्रत्याशियों की जानकारी रखी जा सकती है, जबकि पहले वाली मशीन यानी मार्क **2** में सिर्फ **4** बैलेट यूनिट और **64** प्रत्याशियों की जानकारी ही रखी जा सकती थी।

पृष्ठभूमि

- **1989** से **2006** के बीच ईवीएम के पहले संस्करण मार्क **1** को तैयार किया गया था।
- मार्क-**1** का अंतिम बार इस्तेमाल **2014** के आम चुनाव में किया गया था।
- **2006** से **2012** के बीच ईवीएम में रियल टाइम क्लॉक और डायनमिक कोडिंग जैसे फीचर को शामिल करते हुए इसके दूसरे संस्करण मार्क-**2** को तैयार किया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिये 'प्रोजेक्ट अंब्रेला'

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने छोटे बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिये **'प्रोजेक्ट अंब्रेला'** के रूप में एक विशेष सेफ्टी किट विकसित किया है। ध्यातव्य है कि विभिन्न राज्यों के अलावा **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण** आयोग ने भी आईआईटी से इस किट के लिये संपर्क किया है।

प्रोजेक्ट अंब्रेला क्या है?

- प्रोजेक्ट अंब्रेला नामक इस किट में ऑडियो विज़ुअल सामग्री के रूप में प्लेइंग कार्ड, कार्टून, फन गेम्स, वीडियो, ऑडियो, कहानियाँ, चित्र आदि को शामिल किया गया है।
- मनोवैज्ञानिक शोध पर आधारित किट की सामग्री के माध्यम से बच्चों को गुड-टच, बैड टच के बारे में बताया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य अबोध बच्चों को यौन उत्पीड़न को लेकर सावधान और सजग बनाया जाना है, ताकि समय रहते वे स्वयं को इससे बचा सकें।
- इसके साथ ही बच्चे अपने अभिभावकों और शिक्षकों को तुरंत ऐसे मामलों को बता सकें और समुचित मदद हासिल कर सकें।
- इस किट के माध्यम से शिक्षकों और अभिभावकों को भी प्रशिक्षित करने की योजना है ताकि वे सतर्क रहें और बच्चे की मनोदशा को तुरंत भाँप सकें तथा समय रहते उनकी समुचित मदद कर सकें।
- इस किट के अभ्यास द्वारा बच्चों को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध व्यावहारिक तौर पर सचेत किया जा सकता है। अतः इसे देश भर के स्कूलों में लागू करने की तैयारी चल रही है।
- यह किट मुख्यतः तीन अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है:
  - ✓ 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिये
  - ✓ 8 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिये
  - ✓ 11 से 13 साल की उम्र के बच्चों के लिये
- गौरतलब है कि कानपुर आइआइटी द्वारा किये गए इस शोध को मनोचिकित्सकों के एसोसिएशन ने भी प्रमाणित किया है

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (**NCPCR**) एक वैधानिक आयोग है, जिसकी स्थापना दिसंबर **2005** में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण के लिये आयोग द्वारा की गई थी।
- आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्त्वावधान में कार्य करता है।
- आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के अनुरूप हों, जो भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उपलब्ध हैं।
- आयोग द्वारा **18** साल से कम आयु वालो को बालक माना गया है।
- आयोग अधिकारों पर आधारित संदर्श की परिकल्पना करता है, जो राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में परिलक्षित होता है।
- इसके साथ राज्य, ज़िला और खण्ड स्तरों पर पारिभाषित प्रतिक्रियाएँ भी शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टता और मज़बूती को भी ध्यान में रखा जाता है।
- प्रत्येक बालक तक पहुँच बनाने के उद्देश्य से इसमें समुदायों तथा कुटुंबों तक गहरी पैठ बनाने का आशय रखा गया है तथा अपेक्षा की गई है कि इस क्षेत्र में हासिल किये गए सामूहिक अनुभव के आधार पर उच्चतर स्तर पर सभी प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा।
- इस प्रकार आयोग बालकों तथा उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिये राज्य हेतु एक अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था-निर्माण प्रक्रियाओं, स्थानीय निकायों और समुदाय स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिये सम्मान तथा इस दिशा में वृहद् सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

संरचना

- केंद्र सरकार द्वारा आयोग में निम्नलिखित सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जाएगा, **अध्यक्ष** जिसने बाल कल्याण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो।
- **छह अन्य सदस्य,** जिन्हें शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण, विकास, बाल न्याय, हाशिये पर पड़े उपेक्षित, अपंग व परित्यक्त बच्चों की देखभाल या बाल श्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान और कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो।
- **सदस्य सचिव**, जो संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष होगा या उसके नीचे स्तर का नहीं होगा।

नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण हेतु ड्राफ्ट मिशन

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने भारत के लिये राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन के निर्माण हेतु एक मसौदा तैयार किया है। MNRE द्वारा स्थापित समिति ने मंत्रालय के पास अपनी सिफारिशें जमा करा दी हैं और जिसे कुछ महीनों के लिये सार्वजनिक सुझावों/टिप्पणियों हेतु खुला रखा जाएगा।

ड्राफ्ट संबंधित प्रमुख बिंदु

- समिति अनुसार, भारत में ग्रिड से जुड़े ऊर्जा भंडारण को शुरू करने, एक विनियामक ढाँचा स्थापित करने और बैटरियों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन का मसौदा तैयार करने की उम्मीद जताई गई है।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन

- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन (**National Solar Mission)** का उद्देश्य फॉसिल आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धी बनाने के अंतिम उद्देश्य सहित बिजली उत्पादन एवं अन्य उपयोगों के लिये सौर ऊर्जा के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना है।
- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का लक्ष्य दीर्घकालिक नीति, बड़े स्तर पर परिनियोजन लक्ष्यों, महत्त्वाकांक्षी अनुसंधान एवं विकास तथा महत्त्वपूर्ण कच्चे माल, अवयवों तथा उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना है।
- इसका परिणाम यह है कि फॉसिल ईंधन आधारित सृजन की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा निरंतर लागत प्रतिस्पर्द्धी बनती जा रही है।
  - ✓ **लक्ष्य:** भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - ✓ इसमें से 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से तथा 5 गीगावाट लघु पनबिजली से प्राप्त किया जाना शामिल है।

- राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन का मसौदा अगले पाँच वर्षों में ग्रिड से जुड़े भंडारण को**15-20** गीगावाट घंटे (जीडब्ल्यूएच) का "यथार्थवादी लक्ष्य" निर्धारित करता है।
- हालाँकि, पावर ग्रिड द्वारा वर्तमान में भंडारण विकल्पों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को आसानी से एकीकृत करने में मदद करते हैं।
- राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन सात लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिनमें स्वदेशी विनिर्माण; प्रौद्योगिकी और लागत के रुझान का मूल्यांकन; एक नीति और नियामक ढाँचा; व्यापार मॉडल और बाज़ार निर्माण के लिये वित्त पोषण; अनुसंधान और विकास; मानकों का निर्धारण तथा परीक्षण; ऊर्जा भंडारण के लिये ग्रिड योजना शामिल हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

आर्थिक घटनाक्रम

पुर्नगठित राष्ट्रीय बाँस मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा 14वें वित्त आयोग (2018-19 तथा 2019-20) की शेष अवधि के दौरान सतत् कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture - NMSA) के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय बाँस मिशन (National Bamboo Mission - NBM) को स्वीकृति दी गई है। मिशन सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाकर और उत्पादकों (किसानों) का उद्योग के साथ कारगर संपर्क स्थापित करके बाँस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करेगा।

- मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने एनबीएम के दिशा-निर्देशों को तैयार करने तथा दिशा-निर्देशों में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति के साथ राज्यों की विशेष सिफारिशों के अनुसार समय-समय पर उठाए गए कदमों के लिये लागत के तौर-तरीकों सहित अन्य परिवर्तन करने हेतु कार्यकारी समिति को शक्तियाँ प्रदान करने को भी अपनी मंज़ूरी दे दी।

व्यय

- **14**वें वित्त आयोग (**2018-19** तथा **2019-20)** की शेष अवधि के दौरान मिशन लागू करने के लिये **1290** करोड़ रुपए का (केंद्रीय हिस्से के रूप में **950** करोड़ रुपए के साथ) प्रावधान किया गया है।

लाभार्थी

- इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों, स्थानीय दस्तकारों और बाँस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों को लाभ होगा।
- पौधरोपण के अंतर्गत लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाने का प्रस्ताव किया गया है। इसलिये यह आशा की जाती है कि पौधरोपण को लेकर प्रत्यक्ष रूप से लगभग एक लाख किसान लाभान्वित होंगे।

कवर किये गए राज्य/ज़िले

- मिशन उन सीमित राज्यों में जहाँ बाँस के सामाजिक, वाणिज्यिक और आर्थिक लाभ हैं, वहाँ बाँस के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में।
- आशा है कि यह मिशन **4,000** शोधन/उत्पाद विकास इकाइयाँ स्थापित करेगा और **1,00,000** हेक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाएगा।

प्रभाव

- बाँस पौधरोपण से कृषि उत्पादकता और आय बढ़ेगी, परिणामस्वरूप भूमिहीनों सहित छोटे और मझोले किसानों एवं महिलाओं की आजीविका के अवसरों में वृद्धि होगी और उद्योग को गुणवत्ता संपन्न सामग्री मिलेगी।
- इस तरह यह मिशन न केवल किसानों की आय बढ़ाने के लिये संभावित उपाय के रूप में काम करेगा, बल्कि जलवायु को सुदृढ़ बनाने और पर्यावरण संबंधी लाभों में भी योगदान करेगा।
- मिशन कुशल और अकुशल दोनों क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार सृजन में सहायक होगा।
- बाँस के आर्थिक उपयोग की संभावना को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाँस मिशन शुरू किया।
- यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा **2006** में बाँस क्षेत्र के समग्र विकास के लिये केंद्रीय योजना के रूप में प्रारंभ किया गया।
- मिशन का बल मुख्य रूप से बाँस के प्रचार और उत्पादन पर था तथा प्रसंस्करण, उत्पाद विकास एवं मूल्यवर्द्धन पर सीमित प्रयास किये गए थे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- उत्पादकों (किसानों) तथा उद्योग के बीच संपर्क की कड़ी कमज़ोर थी। पुनर्गठित प्रस्ताव गुणवत्ता संपन्न पौधारोपण के प्रचार, उत्पाद विकास तथा मूल्यवर्द्धन पर एक साथ बल देता है।
- इसमें प्राथमिक प्रसंस्करण और शोधन, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम, उच्च मूल्य के उत्पाद, बाज़ार और कौशल विकास शामिल हैं। इस तरह इसमें बाँस क्षेत्र के विकास के लिये संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाने पर बल दिया गया है।

पहले से चल रही योजना का विवरण और प्रगति

- राष्ट्रीय बाँस मिशन (एनबीएम) को प्रारंभ में **2006-07** में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। **2014-15** में इसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन (**Mission for Integrated Development of Horticulture - MIDH)** के अंतर्गत शामिल कर लिया गया।
- **2006-07** से बाँस पौधरोपण के अंतर्गत **3.62** लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया और बाँस के **39** थोक बाज़ार, **40** बाँस बाज़ार स्थापित किये गए तथा **29** खुदरा दुकानें खोली गईं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF)

- आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना पहली बार वर्ष **1944** में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी।
- इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हेम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था।
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के गठन की भी कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक की महत्त्वपूर्ण संस्था है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को प्राय संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स के जुड़वाँ (**Bretton woods twins)** के नाम से जाना जाता है।
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना **27** दिसम्बर, **1945** को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी, लेकिन इसने वास्तविक रूप से **01** मार्च, **1947** से कार्य करना प्रारंभ किया।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में **189** सदस्य हैं। नौरू गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला आखिरी (**189**वाँ) देश है।
- क्रिस्टीन लेगार्ड (**Christine Lagarde)** वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक है। इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गट्ट **(Camille Gutt)** थे।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता प्रदान करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोज़गार के नए अवसरों का सृजन करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।
- यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता प्रदान करती है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक सदस्यों में से एक है, यह **27** दिसंबर, **1945** को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हुआ।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

ऋण वसूली की चिंताजनक स्थिति

2014 से सितंबर 2017 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पुस्तकों से 2.41 लाख करोड़ रुपए की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (non-performing assets) को हटाया (written-off) जा चुका है।

प्रमुख बिंदु

- हालाँकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि बकाएदारों (**defaulters**) को कर्ज़ वापस करना होगा, भले ही उन्हें राइट-ऑफ कर दिया गया है।
- ध्यातव्य है कि राइट-ऑफ ऋण माफ़ी से तकनीकी रूप से भिन्न है। ऋण माफ़ी में उधार लेने वाले को पुनः भुगतान से मुक्ति मिल जाती है, जबकि राइट-ऑफ में उसे भुगतान करना पड़ता है।
- लंबे समय से भारत में उधारदाताओं को अपना धन वसूलने में मदद करने वाले समुचित कानूनी ढाँचे का अभाव है।
- विश्व बैंक के मुताबिक दिवालियापन (**bankruptcy**) के मामलों के निपटान से संबंधित रैंकिंग में भारत का विश्व में **103**वाँ स्थान है।

राइट-ऑफ क्यों मायने रखता है ?

- बड़े पैमाने पर ऋणों के राइट-ऑफ की यह खबर ऐसे समय आई है, जब केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में दिवालियापन और पुनर्प्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार लाया गया है। इस संदर्भ में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (**IBC**) अति महत्त्वपूर्ण है, जिसे विगत वर्ष लागू किया गया था।
- लेकिन ऋणों की कमज़ोर पुनर्प्राप्ति से बैंकों की बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ सकता है।
- ध्यातव्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैलेंस शीट को बैड लोनों के प्रभाव से बचने हेतु सरकार द्वारा **2.11** लाख करोड़ रुपए के अंतःक्षेपण (**injection**) की घोषणा की गई है। कमज़ोर ऋण पुनर्प्राप्ति सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु जारी किये जाने वाले फंडों की आवश्यकता में बढ़ोतरी कर सकती है।

गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets-NPAs)

- गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा वर्गीकरण है, जिसका सीधा संबंध ऋण/लोन न चुकाने से होता है। जब ऋण लेने वाला व्यक्ति **90** दिनों तक ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति माना जाता है।
- स्ट्रेस्ड परिसंपत्तियों में बड़े पैमाने पर वृद्धि के बाद आरबीआई ने पिछले जून के बाद से **40** सबसे बड़े तनावग्रस्त खातों की पहचान की है और बैंकों से उन्हें विभिन्न ऋण वसूली ट्रिब्यूनलों को भेजने के लिये कहा है।

इरादतन चूककर्ता (Wilful Defaulter)

- क़र्ज़ को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझ कर क़र्ज़ को न लौटाने वाले ऋणी को इरादतन चूककर्त्ता कहते हैं।

'बैड लोन्स' क्या है?(What is Bad Loans)

- ऐसे ऋण जहाँ लिये गए ऋणों का पुनर्भुगतान देनदार और लेनदार के मध्य पूर्व सहमति से किये गए समझौते के अनुरूप नहीं किया जाता तथा जिनका भुगतान कभी नहीं होता, उन्हें 'बैड लोन्स' (**Bad loans**) कहा जाता है।
- जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है तथा उसका पुनः भुगतान नहीं करता है तो उसे भविष्य में आसानी से ऋण प्राप्त नहीं हो पाता तथा बैंक उसे दिये गए ऋण को 'बैड लोन' की श्रेणी में शामिल कर देता है, जिसका तात्पर्य यह है कि वह ऋण देनदार के लिए एक जोखिम है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- परंतु यदि व्यक्ति के ऋण को 'बैड लोन्स' की श्रेणी में रखा गया है और वह पुनः नया ऋण लेना चाहता है तो वह इसे उन देनदारों से प्राप्त कर सकता है, जो ऋण देने के लिये उसके द्वारा लिये गए पूर्व ऋणों की जाँच ही नहीं करते।
- 'बैड संपत्ति' **(bad asset)** को उसकी समयावधि के आधार पर खराब संपत्ति (**substandard asset**), संदिग्ध संपत्ति (**doubtful asset**) और नुकसानदायक संपत्ति (**loss assets**) में वर्गीकृत किया जाता है।

स्ट्रेस्ड परिसंपत्तियाँ (Stressed Assets)

- स्ट्रेस्ड परिसंपत्तियाँ बैंकिंग व्यवस्था के स्वास्थ्य की महत्त्वपूर्ण सूचक है। इसे समझने के लिये हमें गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (**Non Performing Assets-NPA**) और पुनर्गठित ऋणों को समझना होता है।
- बैंकिंग व्यवस्था की संपत्ति को दिये गए ऋणों और बैंकों द्वारा किये गए निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। संपत्ति की गुणवत्ता इस बात की सूचक होती है कि लेनदार द्वारा लिये गए कितने ऋणों का पुनर्भुगतान ब्याज और मूलधन के रूप में किया जा चुका है। संपत्ति की गुणवत्ता की जाँच का सबसे अच्छा पैमाना गैर- निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ ही हैं।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (Asset Reconstruction Company-ARC)

- **ARC** एक विशेष वित्तीय संस्थान है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट को पारदर्शी और संतुलित बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिये उनसे **NPA** या खराब ऋण खरीदता है।
- दूसरे शब्दों में **ARC** बैंकों से खराब ऋण खरीदने के कारोबार में कार्यरत वित्तीय संस्थान हैं।
- भारत में सरफेसी अधिनियम, **2002 (SARFAESI Act) ARC** की स्थापना के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है।

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority)

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) की स्थापना को मंज़ूरी प्रदान की है।
- राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य एवं एक सचिव होगा।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और उनकी फर्मों की जाँच करने के लिये **NFRA** का कार्यक्षेत्र सूचीबद्ध कंपनियों तथा बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों तक विस्तृत होगा।
- इसके अलावा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ऐसे अन्य निकायों की जाँच के लिये भी कह सकती है।
- विभिन्न कार्य क्षेत्रों में लेखापरीक्षा घोटालों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा मानकों को लागू करने और ऑडिट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा लेखापरीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता को मज़बूत करने के लिये एक स्वंतत्र नियामक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण की स्थापना की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। कंपनियों की वित्तीय स्थिति के खुलासे से निवेशकों व आम लोगों का कंपनी पर विश्वास बढ़ेगा।

लॉजिस्टिक कौशल तथा गैर-सरकारी आयाम

विश्व बैंक के पास एक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (Logistics Performance Index-LPI) है। लॉजिस्टिक का तात्पर्य अलग-अलग लोगों के लिये अलग-अलग वस्तुओं से है।

- विश्व बैंक लाजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक की छह उप-सूचियों में नीति नियमन और आपूर्ति श्रृंखला निष्पादन परिणामों का अध्ययन करता है और सभी सूचियों में कार्य निष्पादन के आधार पर देशों का रैंक निर्धारित करता है।
- यह सर्वेक्षण ज़मीनी स्तर पर ऑ,परेटरों के फीडबैक के आधार पर किया जाता है, क्योंकि यही लोग लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन के पहलुओं का उत्कृष्ट मूल्यांकन कर सकते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

LPI का निर्धारण

- **LPI** निम्नलिखित छः प्रमुख बिन्दुओं के प्रदर्शन पर आधारित है-

✓ सीमा पर चालान प्रक्रिया (जैसे सीमा शुल्क) की योग्यता।
✓ व्यापार और परिवहन से संबंधित बुनियादी ढाँचे (बन्दरगाह, रेलवे, सड़कें, सूचना प्रौद्योगिकी) की गुणवत्ता।
✓ प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य वाली नौवहन की व्यवस्था में आसानी।
✓ लॉजिस्टिक सेवाओं की प्रचुरता तथा गुणवत्ता।
✓ भेजे गए माल की खोज और पता लगाने की योग्यता।
✓ नौवहन के गंतव्य स्थान पर पहुँचने की समय रेखा।

लॉजिस्टिक सूची (Logistic Index)

- कुछ दिन पहले भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने एक घोषणा की थी कि भारत सरकार राज्यों के लिये मानदंड और रैंक स्थापित करने के लिये एक लॉजिस्टिक सूची तैयार करने की योजना बना रही है। स्पष्ट रूप से यह एक महत्त्वपूर्ण अनुपूरक होगा।
- यदि और अधिक स्पष्ट रूप में बात करें तो क्या आप जानते हैं कि भारत ने **2016** में कैसा प्रदर्शन किया था**?** आपको बता दें कि भारत का कुल स्कोर **3.42** है (अधिकतम अंक **5** है**,** और जितना अधिक अंक**,** उतना बेहतर)**,** इसे **160** देशों में **35**वाँ स्थान दिया गया**,** **2014** में वह **65**वें स्थान पर था।
- एक मापक के रूप में**, LPI 2007** के बाद से कार्य कर रहा है। **2014** और **2016** के बीच सुधारों में तेज़ी आई है, चाहे वह समग्र रूप से हो या छह प्रमुख बिन्दुओं के अंतर्गत।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को प्रोत्साहन

सरकार की 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' (ease of doing business) पहल की तर्ज पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (Minister of Petroleum and Natural Gas) तथा वित्त मंत्री को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee of Secretaries - ECS) की सिफारिशों के आधार पर एक अहम निर्णय लिया है।

- मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली (**International Competitive Bidding - ICB)** के बाद हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (**Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy - HELP)** के अंतर्गत सफल बोलीकर्त्ताओं को ब्लॉक/ठेके के क्षेत्रों की स्वीकृति देने के लिये अधिकार प्रदान करने की मंज़ूरी दे दी है।
- **HELP** के अंतर्गत एक वर्ष में दो बार ब्लॉक दिये जाएंगे। अत: अधिकार सौंपने से ब्लॉक देने के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज़ी आएगी और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' की पहल को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस निर्णय का प्रभाव

- एनईएलपी नीति (**New Exploration Licensing Policy - NELP)** के अंतर्गत सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति बोली मूल्यांकन मानदंड (**Bid Evaluation Criteria - BEC)** पर विचार करती है**,** जहाँ कहीं भी ज़रूरी हो, बोलीकर्त्ताओं के साथ समझौता वार्ता करती है और ब्लॉक देने के बारे में सीसीईए को सिफारिश करती है।
- सीसीईए (**Cabinet Committee on Economic Affairs - CCEA)** ब्लॉक देने की मंज़ूरी देती है।
- मंत्रालय में विचार-विमर्श सहित समूची प्रक्रिया काफी लंबी है और इसमें काफी समय लगता है।
- सरकार की 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' पहल के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिये यह ज़रूरी है कि ब्लॉक/ठेके के क्षेत्र देने के समय की अवधि में कमी लाई जाए।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- नई हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (**New Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy**) के अंतर्गत प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली जारी रहेगी और प्रत्येक वर्ष में दो बार ब्लॉक दिये जाएंगे।

पृष्ठभूमि

- सरकार ने **2016** में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (**Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy - HELP**) के नाम से अन्वेषण और उत्पादन (**Exploration & Production - E&P**) के लिये एक नई नीतिगत व्यवस्था शुरू की, जो पूर्व की नीतिगत व्यवस्था से हटकर आदर्श व्यवस्था है।
- नई व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में राजस्व साझा करने का समझौता, अन्वेषण के लिये एकल लाइसेंस, परम्परागत और गैर-परम्परागत हाइड्रोकार्बन संसाधनों का उत्पादन, मार्केटिंग और मूल्य निर्धारित करने की आज़ादी शामिल है।
- एचईएलपी के अंतर्गत खुला क्षेत्रफल लाइसेंसिंग नीति (**Open Acreage Licensing Policy - OALP**) प्रमुख नई व्यवस्था है, जिसमें निवेशक अपनी दिलचस्पी के ब्लॉक निकाल सकता है और पूरे वर्ष रुचि-प्रकटन दे सकता है। जिन क्षेत्रों के लिये रुचि-प्रकटन दिया गया है, वहाँ हर छह महीने में बोली लगाई जाएगी।
- सरकार को ओएएलपी के पहले रुचि-प्रकटन चक्र में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जो **01** जुलाई, **2017** को आरंभ होकर **15** नवंबर, **2017** को समाप्त हुई। बोली की प्रक्रिया एक सुरक्षित और समर्पित ई-बोली पोर्टल के जरिये संपन्न की जाती है।

2018-19 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान : एडीबी

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank - ADB) द्वारा भारत की आर्थिक संवृद्धि दर के बारे में एक वक्तव्य जारी किया है। एडीबी के अनुसार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर में सुधार होने का अनुमान है। यह वर्तमान स्तर 7.3 प्रतिशत से बढ़कर अगले वित्त वर्ष 2019-20 में 7.6 प्रतिशत रहेगी।

एडीबी के अनुसार

- एडीबी का अनुमान है कि जीएसटी के कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि तथा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के परिणामस्वरूप निवेश से आर्थिक विकास दर को गति मिलेगी।
- एडीबी की एशियन डेवलपमेंट आउटलुक (**Asian Development Outlook - ADO) 2018** रिपोर्ट के अनुसार, गत वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ **6.6** प्रतिशत रही है, जिसकी प्रमुख वज़ह नोटबंदी (**8** नवंबर **2016)** और वस्तु एवं सेवा कर (**1** जुलाई **2017)** के कारण व्यापारिक गतिविधियों में उत्पन्न हुए व्यवधान को माना जा सकता है।

रेटिंग एजेंसी फिच (Fitch) के अनुसार

- गौरतलब है कि भारत की आर्थिक विकास दर के विषय में रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा भी यही अनुमान व्यक्त किया गया है। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष में भी आर्थिक विकास की दर **7.4** प्रतिशत रहने की संभावना है।

एशियाई विकास बैंक

- एशियाई विकास बैंक एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। इस बैंक की स्थापना एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष **1966** में की गई थी, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है।
- यह बैंक क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है।
- सामाजिक और पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने पर बैंक का विशेष ध्यान रहता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- एशियाई विकास बैंक में मतदान व्यवस्था विश्व बैंक के अनुरूप है, जहाँ मत विभाजन सदस्य राष्ट्रों की पूंजी के अनुपात में होता है।
- एशियाई विकास बैंक संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पर्यवेक्षक भी है।

एडीबी की प्रमुख गतिविधियाँ हैं:

- विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिये वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- आर्थिक विकास के लिये लोक एवं निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना।
- विकासशील सदस्य-राष्ट्रों की विकास योजनाओं और नीतियों के समन्वय में सहायता प्रदान करना।

नई औषधियों के विनियमन के लिये भारत के पास सीखने का अवसर

- एक अध्ययन "प्रीक्लिनिकल एफिकेसी स्टडीज़ इन इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर: डू दे इनेबल रिस्क-बेनिफिट असेसमेंट" के अनुसार औषध निर्माताओं द्वारा पशुओं पर किये जा रहे परीक्षणों के गलत आँकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
- किसी औषधि के नैदानिक परीक्षण से पूर्व जानवरों पर उनका परीक्षण किया जाता है। यदि औषधियों को अनुमोदित करवाने के लिये कंपनियाँ केवल ऐसे चुनिन्दा आँकडें प्रस्तुत करती है जो सकारात्मक हैं, तो नैदानिक परीक्षण में सम्मिलित मानवों पर खतरा बना रहता है।
- **'Schedule H'** औषध एवं प्रसाधन नियम, **1945** के अंतर्गत सूचीबद्ध औषधियों की एक श्रेणी है जिन्हें बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं खरीदा जा सकता है।

भारत में औषधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया तथा संस्थाएँ

- **CDSCO** (सेंट्रल ड्रग स्टैण्डर्ड कण्ट्रोल आर्गेनाइज़ेशन) भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है, जिसके द्वारा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, **1940** के तहत नई औषधियों के आयात/विनिर्माण, अनुमोदन, नैदानिक परीक्षण तथा **DCC** एवं **DTAB** की बैठकों का नियामक नियंत्रण किया जाता है। **DCGI** (ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया), **CDSCO** के अधीन एक नियामक एजेंसी है, जिसके द्वारा भारत में तथा विशिष्ट श्रेणी की औषधियों (रक्त एवं रक्त उत्पाद, **I**।**V** फ्लुइड्स, वैक्सीन एवं सेरा) हेतु लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं तथा औषधियों के विनिर्माण, विक्रय आदि हेतु मानक तय किये जाते हैं।
- इसके साथ ही यह राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों के साथ मिलकर औषधियों का विक्रय तथा वितरण प्रशासित करती है।
- **DTAB** (ड्रग टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड) द्वारा औषधियों से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर परामर्श प्रदान किये जाते हैं।
- किसी भी औषधि के विक्रय की अनुमति लेने के लिये उसकी रासायनिक तथा औषधीय जानकारी, पशुओं तथा इंसानों पर उनके चरणबद्ध परीक्षण के आँकड़ें, अन्य देशों में उसका नियामक दर्जा समेत विस्तृत जानकारी प्रदान किया जाना आवश्यक है।

भारत में संबंधित मुद्दे

- **DTAB** के परामर्श से भारत में **Schedule H** श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित स्टेरॉयड्स एवं एंटीबायोटिक्स घटक वाली **14** क्रीमों को प्रतिबंधित किया गया है।
- कई चर्म-चिकित्सकों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि भारत में इन औषधियों को बिना चिकित्सीय परामर्श के बेचा जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त, "ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी" में प्रकशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत में **CDSCO** के अनुमोदन के बिना कई निश्चित मात्रा सहयोजन (फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन: **FDC**) औषधियों को बेचा जा रहा है जो सूक्ष्मजीवी-प्रतिरोधकता नियंत्रण के लिये एक खतरा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

ई-वे बिल : क्या और कैसे का स्पष्टीकरण

जीएसटी के तहत शुरू किया गया इलेक्ट्रानिक वे बिल (ई-वे बिल) सिस्टम 1 अप्रैल से देश भर में लागू हो गया है। फिलहाल ई-वे बिल सिस्टम को पचास हज़ार रुपए से अधिक के सामान को सड़क, रेल, वायु या जलमार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लागू किया गया है। ई-वे बिल को किस प्रकार प्रबंधित किया जाएगा तथा किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाएगा? इसके विषय में अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति से उबरने के लिये ही हमने इस लेख में इस मुद्दे से संबंधित सभी पक्षों पर विचार करने का प्रयास किया है?

क्या है ई-वे बिल सिस्टम?

- ई-वे बिल, जी.एस.टी. के तहत एक बिल प्रणाली है, जो वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी की जाती है। इसमें हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण तथा उस पर लगने वाले जी.एस.टी. की पूरी जानकारी होती है।
- नियमानुसार **50000** रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु, जिसका हस्तांतरण **10** किलोमीटर से अधिक की दूरी तक किया जाना है, उस पर इसे आरोपित करना आवश्यक होगा। जनता की सुविधा के लिये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, खाद्य वस्तुओं, गहने इत्यादि **150** उत्पादों को इससे मुक्त रखा गया है।

ई-वे बिल का निर्धारण

- ऐसी किसी स्थिति में जीएसटी फॉर्म ईडब्ल्यूबी-**01** के भाग बी में परिवाहक द्वारा पहली बार विवरण दिये जाने के बाद ई-वे बिल की वैधता अवधि आरंभ हो जाती है।
- ऊपर दी गई परिस्थिति में प्रेषक शुक्रवार को जीएसटी फॉर्म ईडब्ल्यूबी-**01** के भाग ए में विवरण भरता है और अपने सामान को परिवाहक को सौंप सकता है।
- जब परिवाहक सामान को पहुँचाने के लिये तैयार होता है, वह जीएसटी फॉर्म ईडब्ल्यूबी-**01** के भाग बी को भरता है अर्थात् परिवाहक जीएसटी फॉर्म ईडब्ल्यूबी-**01** के भाग बी को सोमवार को भरता है, इस प्रकार ई-वे बिल की वैधता अवधि सोमवार से आरंभ होती है।

ई-वे बिल प्रणाली की उपयोगिता

- इससे कर योग्य वस्तु पर निगरानी रखना आसान होगा तथा कर चोरी में कमी आएगी। इससे पूर्व वैट के तहत भी वस्तुओं के अंतर-राज्यीय हस्तांतरण पर कर एवं बिल के प्रावधान थे। इस बिल के जारी होने से अंतर-राज्यीय स्तर पर भी इसका विस्तार होगा।
- इससे संपूर्ण भारत में जी.एस.टी. के निर्धारण में एकरूपता आएगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- सरकार का कर संग्रहण बढ़ेगा और उसका प्रयोग सामाजिक आर्थिक समावेशन में होगा।
- वस्तुओं की आवाजाही का रिकॉर्ड रखने से उनके लिये उत्तरदायित्व तय किये जा सकेंगे, इससे अपराधों में भी कमी आ सकती है।

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर लो-डाउन

सरकार एक व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicle) नीति को लागू करने की अपनी योजना को छोड़ने पर विचार कर रही है। हालाँकि अभी भी भारत के पेट्रोल-डीज़ल आधारित ऑटो उद्योग को इलेक्ट्रिक रूप में स्थानांतरित करने की सरकार की उत्सुकता निरंतर बनी हुई है। सरकार के थिंक टैंक अर्थात् नीति आयोग द्वारा भारी उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय सहित सात मंत्रालयों पर इस योजना का कार्यभार डाला गया है, ताकि ईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये उचित एवं उपयोगी दिशा-निर्देश तैयार किये जा सकें।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों (Electric and Hybrid vehicles) के बीच क्या अंतर है?

- हाइब्रिड और सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच मुख्य अंतर ईंधन और उनकी गति हेतु उपलब्ध स्रोतों संबंधी है।
- हाइब्रिड वाहनों के पास दो स्रोत उपलब्ध हैं – एक बैटरी जो कि इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति प्रदान करती है और दूसरा है ईंधन टैंक, जो एक सामान्य पेट्रोल इंजन को गति प्रदान करता है।
- आमतौर पर एक सामान्य बैटरी किसी इलेक्ट्रिक मोटर को केवल **60-70** किमी. तक की गति प्रदान कर सकती है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी की दक्षता और क्षमता में लगातार सुधार किया जा रहा है। यही कारण है कि इसके और बेहतर होने की संभावना है ताकि कार निर्माताओं द्वारा हाइब्रिड अथवा इलेक्ट्रिक का चयन किया जा सके।
- एक बार यदि बैटरी क्षीण हो जाती है तो उसके बाद हाइब्रिड कार पेट्रोल इंजन पर स्विच हो जाती है। इसके बाद यह किसी अन्य सामान्य कार इंजन की तरह कार्य करना आरंभ कर देती है। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में इस प्रकार की सुविधा नहीं होती है।
- यदि एक बार इनकी बैटरी क्षीण हो जाती है, तो इनके इंजन का कोई बैकअप सोर्स नहीं होता है। हालाँकि, इलेक्ट्रिक कारों की एक खास बात यह है कि इनकी बैटरी अपेक्षाकृत बड़ी होती है क्योंकि इन्हें पेट्रोल इंजन या ईंधन टैंक के साथ अदला-बदली नहीं करनी पड़ती है।
- इसलिये, आमतौर पर हाइब्रिड वाहनों की तुलना में एक इलेक्ट्रिक वाहन अधिक लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम होते हैं।

केंद्र द्वारा दोनों के बीच अंतर कैसे किया जाता है?

- केंद्र सरकार द्वारा दोनों के मध्य मुख्य अंतर वस्तु एवं सेवा कर के तहत अपने कर उपायों में किया जाता है।
- जहाँ एक ओर इलेक्ट्रिक वाहनों पर **12%** कर लगाया जाता है। वहीं, हाइब्रिड वाहनों जैसे- लक्ज़री वाहनों पर **28%** कर के साथ **15%** सेस अधिरोपित किया जाता है।

सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

- सरकार ने 'नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, **2020 (NEMMP)**' नामक एक महत्त्वपूर्ण एवं महत्त्वाकांक्षी पहल प्रारंभ की, जिसके तहत वर्ष **2020** से प्रतिवर्ष **6-7** मिलियन हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत, इन वाहनों की मांग एवं आपूर्ति दोनों बढ़ाने की योजना है।
- सरकार ने **FAME [Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicles]** योजना शुरू की है जो हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उनके लिये बाज़ार के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। इस योजना में **4** क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है- प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, पायलट प्रोजेक्ट एवं चार्जिंग अवसंरचना का विकास।
- इस योजना का उद्देश्य दो पहिया, तिपहिया, यात्री वाहनों तथा हल्के वाणिज्यिक वाहनों एवं बसों सहित सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहन देना है।
- इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (**R & D**) को बढ़ावा देने के लिये फरवरी **2016** में भारी उद्योग विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त रूप से एक तकनीकी प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

चीनी तियांगोंग -1 का अंतिम सफर : दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में समाप्त

चीनी अंतरिक्ष प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त जानकारी के मुताबिक, ग्रीनविच मानक समय 8 : 16 am पर चीनी स्पेस स्टेशन 'TIANGONG-1' पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए दक्षिण प्रशांत क्षेत्र (South Pacific) में नष्ट हो गया।

क्या है TIANGONG-1?

- **TIANGONG-1** को सितंबर **2011** में लॉन्च किया गया था। इसे अंग्रेज़ी में हैवेनली प्लेसेज के नाम से भी संबोधित किया जाता है।
- यह चीन का पहला प्रोटोटाइप स्पेस लैब प्रोजेक्ट था। इसे पृथ्वी की कक्षा से तकरीबन **350** किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया था।
- इस लैब को पहले दो साल की अवधि के लिये शुरू किया गया था, बाद में इसकी समय-सीमा को बढ़ा दिया गया। इस दौरान इसके ज़रिये कई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस-अर्थ रिमोट सेंसिंग और अंतरिक्ष वातारण संबंधी परीक्षण किये गए।
- **TIANGONG-1** एक तरह की रिसर्च लेबोरेटरी है, जहाँ पर चीन अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजता था। जून **2012** में चीन ने अपना **Shenzhou 9** मिशन भी **TIANGONG-1** पर ही भेजा था।
- इस मिशन पर पहली बार एक चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री 'लियू यांग' को भेजा गया था। इस मिशन में दो अन्य अंतरिक्ष यात्री 'जिंग हेईपेंग' और 'लि यू वैंग' भी शामिल थे।
- इसके बाद **Shenzhou 10** को **TIANGONG-1** पर भेजा गया। इस मिशन के क्रू ने **TIANGONG-1** में **12** दिनों का समय बिताया।

अंतरिक्ष से इसके गिरने की वज़ह

- **TIANGONG-1** को केवल दो साल की अवधि तक काम करने की लिये तैयार किया गया था। चीन की योजना थी कि इसकी समयावधि समाप्त होने के बाद इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे यह स्वयं ही अंतरिक्ष में नष्ट हो जाएगा।
- परंतु, अपनी योजना में बदलाव करते हुए चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी समय-सीमा को मई **2011** से मार्च **2016** तक बढ़ा दिया गया।
- तकरीबन **5** साल तक काम करने के बाद यह नियंत्रण से बाहर हो गया, जिसकी वज़ह से यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते वातावरण में प्रवेश कर गया।

पहले भी पृथ्वी पर गिर चुके हैं कई स्पेस स्टेशन

- यह पहला ऐसा मौका नहीं है, जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर गिरा। तियांगोंग से पहले भी कई स्पेस स्टेशन बेकाबू होकर पृथ्वी पर क्रैश हो चुके हैं।
- जुलाई **1979** में नासा का **85** टन वज़नी स्काईलैब स्पेस स्टेशन हिंद महासागर में गिर गया था। इसका कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के एस्पेंरेंस शहर में भी गिरा था, जिसके बाद शहर में गंदगी फैलाने के कारण नासा पर **400** डॉलर का जुर्माना भी लगा था।
- इसी तरह फरवरी **1991** में सोवियत यूनियन का **22** टन वज़नी सैल्युट **7** तथा **2001** में **140** टन वज़नी दुनिया का पहला स्थायी स्पेस स्टेशन मीर (रूस) कुछ ऐसे उदाहरण हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

डार्क नेट (Dark Net) : साइबर अपराध का उपकरण

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार, 2015 से 2017 की अवधि में विभिन्न दवा कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा चार मामले दर्ज़ किये गए थे, जिनमें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की बिक्री और खरीद के लिये 'डार्क नेट' का इस्तेमाल किया गया था।

क्या है डार्क नेट?

- इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइटें हैं जो आमतौर पर प्रयोग किये जाने वाले गूगल, बिंग जैसे सर्च इंजनों और सामान्य ब्राउज़िंग के दायरे से परे होती हैं। इन्हें डार्क नेट या डीप नेट कहा जाता है।
- सामान्य वेबसाइटों के विपरीत यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिस तक लोगों के चुनिंदा समूहों की पहुँच होती है और इस नेटवर्क तक विशिष्ट ऑथराइज़ेशन प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर और कन्फिग्यूरेशन के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, **2000** देश में सभी प्रकार के प्रचलित साइबर अपराधों को संबोधित करने के लिये वैधानिक रूपरेखा प्रदान करता है। ऐसे अपराधों के नोटिस में आने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ इस कानून के अनुसार ही उचित कार्रवाइयाँ करती हैं।

पहुँच (Access) के संदर्भ में इंटरनेट को निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा जाता है-

सतही वेब (Surface Web)

- यह इंटरनेट का वह भाग है जिसका आमतौर पर हम दिन-प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग करते हैं।
- जैसे गूगल या याहू पर कुछ भी सर्च करते है, तो हमें सर्च रिज़ल्ट्स प्राप्त होते हैं और इसके लिये किसी विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।
- ऐसी वेबसाइटों की सर्च इंजनों द्वारा इंडेक्सिंग की जाती है। इसलिये इन तक सर्च इंजनों के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

डीप वेब (Deep Web)

- इन तक केवल सर्च इंजन के सर्च परिणामों की सहायता से नहीं पहुँचा जा सकता।
- डीप वेब के किसी डॉक्यूमेंट तक पहुँचने के लिये उसके **URL** एड्रेस पर जाकर लॉग-इन करना होगा, जिसके लिये पासवर्ड और यूज़र नेम का प्रयोग करना होगा।
- जैसे-जीमेल अकाउंट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, सरकारी प्रकाशन, अकादमिक डाटाबेस, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि ऐसी ही वेबसाइट होती हैं जो अपने प्रकृति में वैधानिक हैं किंतु इन तक पहुँच के लिये एडमिन की अनुमति की आवश्यकता होती है।

डार्क वेब (Dark Web)

- डार्क वेब अथवा डार्क नेट इंटरनेट का वह भाग है जिसे आमतौर पर प्रयुक्त किये जाने वाले सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता।
- इसका इस्तेमाल मानव तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और बिक्री, हथियारों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में किया जाता है।
- डार्क वेब की साइट्स को टॉर एन्क्रिप्शन टूल की सहायता से छुपा दिया जाता है जिससे इन तक सामान्य सर्च इंजन से नहीं पहुँचा जा सकता।
- इन तक पहुँच के लिये एक विशेष ब्राउज़र टॉर (**TOR**) का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिये ऑनियन राउटर (**Onion Router**) शब्द का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें एकल असुरक्षित सर्वर के विपरीत नोड्स के एक नेटवर्क का उपयोग करते हुए परत-दर-परत डाटा का एन्क्रिप्शन होता है। जिससे इसके प्रयोगकर्त्ताओं की गोपनीयता बनी रहती है।
- समग्र इंटरनेट का **96%** भाग डार्क वेब से निर्मित है, जबकि सतही वेब केवल **4%** है।
- सिल्क रोड मार्केटप्लेस नामक वेबसाइट डार्क नेटवर्क का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिस पर हथियारों सहित विभिन्न प्रकार की अवैध वस्तुओं की खरीद और बिक्री की जाती थी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सूर्य पर मानव का पहला कदम

अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की सूर्य की ओर एक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना अपने अंतिम चरण में है। सूर्य के विषय में जानने की लालसा के तहत यह दुनिया का अपनी तरह का पहला मिशन है।

पार्कर सोलर प्रोब

- पार्कर सोलर प्रोब (**Parker Solar Probe)** नाम के इस अभियान को **31** जुलाई को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर (**NASA's Kennedy Space Center)** से लॉन्च किया जाएगा।
- इस यान का नाम पहले सोलर प्रोब प्लस था, जिसे **2017** में बदलकर खगोलशात्री ड्यूजिन पार्कर के नाम पर पार्कर सोलर प्रोब कर दिया गया।
- यह मानव इतिहास में पहली बार होगा जब कोई यान सूर्य के वातावरण में प्रवेश करेगा।
- अंतरिक्ष यान 'पार्कर सोलर प्रोब' सूर्य की कक्षा के करीब **40** लाख मील के घेरे में प्रवेश करेगा।

लक्ष्य

- यह अभियान सौर आँधी के स्रोतों पर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र की बनावट और इनके डायनामिक्स की पहल करेगा।
- यह सूर्य के सबसे बाहरी हिस्से (कोरोना) को गर्म करने वाली तथा सौर तूफानों को गति प्रदान करने वाली ऊर्जा के बहाव को समझने में सहायक सिद्ध होगा।
- इसकी सहायता से सूर्य के वातावरण से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा कणों को मिलने वाली गति के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- सूर्य के आस-पास मौजूद धूल प्लाज़्मा को खंगालना और सौर आँधी एवं सौर ऊर्जा कणों पर उनके असर को समझने में मदद मिलेगी।

यान की सुरक्षा

- पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य की ताप से बचाने के लिये इसमें स्पेशल थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम (**thermal protection system - TPS)** यानी हीट शील्ड लगाई गई है। यह शील्ड फाइबर और ग्रेफाइट (ठोस कार्बन) से तैयार की गई है।
- इस हीट शील्ड की मोटाई **11.43** सेमी. है। सूर्य की बाहरी कक्षा इसकी सतह के मुकाबले सैकड़ों गुना ज़्यादा गर्म होती है। इसका तापमान **5** लाख डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा हो सकता है।
- यह शील्ड यान के बाहर तकरीबन **1370** डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल सकेगी।
- सभी वैज्ञानिक उपकरणों एवं संचालन यंत्रों को इस शील्ड के पीछे व्यवस्थित किया जाएगा ताकि ये सभी यंत्र सूर्य की रोशनी से सीधे प्रभावित न हों।

प्रमुख बिंदु

- सूर्य की पृथ्वी से दूरी **14.96** करोड़ किमी. है।
- सूर्य की सतह का तापमान **5,500** डिग्री सेल्सियस है।
- सूर्य के कोरोना (**corona)** के वातावरण का तापमान **10** लाख से लेकर **1** करोड़ डिग्री सेल्सियस तक है।
- इस यान की लंबाई **1** मीटर, ऊँचाई **2.5** मीटर तथा चौड़ाई **3** मीटर है।

डेल्टा 4 नामक राकेट से प्रक्षेपण

- पार्कर सोलर प्रोब का प्रक्षेपण डेल्टा **4** नामक एक राकेट से किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस अभियान की समयावधि **6** साल **321** दिनों की होगी।
- इसमें चार ऐसे उपकरणों को भेजा जाएगा जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज़्मा और ऊर्जा कणों का परीक्षण कर उनकी **3 D** तस्वीर तैयार करेंगे।

अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा

2 अप्रैल को 8.5 टन वज़नी चीनी अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग-1 अपनी कक्षा से बाहर हो गया और ताहिती के उत्तर-पश्चिम दिशा में दक्षिण प्रशांत महासागर में गिरकर नष्ट हो गया था। इस घटना के कारण तियांगोंग के पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरने की अटकलों पर तो विराम लग गया किंतु अंतरिक्ष कचरे पर बहस को फिर से चर्चा में ला दिया है।

क्या है अंतरिक्ष कचरा?

- पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले कई मानव-निर्मित उपग्रह वहीं नष्ट हो जाते हैं और छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में पृथ्वी की कक्षाओं में घूमते रहते हैं।
- नासा द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, यह मलबा पृथ्वी के चारों ओर काफी तेज़ रफ़्तार से घूम रहा है। इसमें मृत स्पेस क्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह प्रक्षेपण यानों के अवशेष, मिसाइल शार्पनेल व अन्य निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अवशेष शामिल हैं।

समस्या

- अंतरिक्ष में बिखरा यह कचरा सिर्फ उपग्रहों की कक्षा में ही नहीं, बल्कि हमारे वायुमंडल के लिये भी काफी खतरनाक हो सकता है। यदि कोई बड़ा टुकड़ा पूरी तरह नष्ट हुए बिना हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाए तो विनाशक प्रभाव पैदा कर सकता है।
- यह मलबा अंतरिक्ष में आण्विक अभिक्रिया के माध्यम से संचार व्यवस्था को भी बाधित करने में सक्षम है।
- इसके अतिरिक्त यह मलबा उपग्रहों द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं उनके प्रक्षेपण को प्रभावित कर सकता है।
- वर्तमान में अंतरिक्ष में मृत, कृत्रिम रूप से निर्मित वस्तुओं की **7,500** टन अनुमानित मात्रा मौजूद है।
- अंतरिक्ष कचरे की गति लगभग **28,000** किमी. प्रति घंटा होती है जो कि किसी अंतरिक्ष यान को नष्ट करने के लिये काफी है।

क्या है TIANGONG-1?

- **TIANGONG-1** को सितंबर **2011** में लॉन्च किया गया था। इसे अंग्रेज़ी में 'हैवेनली प्लेसेज़' के नाम से भी संबोधित किया जाता है।
- यह चीन का पहला प्रोटोटाइप स्पेस लैब प्रोजेक्ट था। इसे पृथ्वी की कक्षा से तकरीबन **350** किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया था।
- **TIANGONG-1** एक तरह की रिसर्च लेबोरेटरी है जहाँ पर चीन अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजता था।
- चीन ने इसका स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिये इस्तेमाल किया था।
- इस लैब को पहले दो साल की अवधि के लिये शुरू किया गया था, बाद में इसकी समय-सीमा को बढ़ा दिया गया।
- इस दौरान इसके ज़रिये कई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस-अर्थ रिमोट सेंसिंग और अंतरिक्ष वातावरण संबंधी परीक्षण किये गए।
- जून **2012** में चीन ने अपना **Shenzhou 9** मिशन भी **TIANGONG-1** पर ही भेजा था। इस मिशन पर पहली बार एक चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री 'लियू यांग' को भेजा गया था। इस मिशन में दो अन्य अंतरिक्ष यात्री 'जिंग हेईपेंग' और 'लि यू वैंग' भी शामिल थे।
- इसके बाद **Shenzhou 10** को **TIANGONG-1** पर भेजा गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **2016** में चीन ने इस स्टेशन पर अपना नियंत्रण खो दिया था। नियंत्रण खोने के बाद चीन ने यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑफ़ आउटर स्पेस और इंटर-एजेंसी स्पेस डेब्रीस को-आर्डिनेशन कमिटी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम है (जिसका **ISRO** भी सदस्य है), को सूचित कर दिया था।
- इन्होंने तियांगोंग के पृथ्वी पर गिरने तक इसको ट्रैक किया था हालाँकि इसके समुद्र में गिरने तक इसके अधिकांश भाग जलकर नष्ट हो चुके थे।
- **Tiangong-2** प्रयोगशाला अभी भी परिचालन में है। इसे तभी लॉन्च कर दिया गया था, जब चीन ने **TIANGONG-1** पर नियंत्रण खो दिया था।

ISRO और अंतरिक्ष कचरा

- **3** अप्रैल को **PSLV-C19** लॉन्च व्हीकल का चौथा चरण (इसने **2012** में रडार इमेजिंग सैटेलाइट **RISAT-1** को लॉन्च किया था) मध्य अटलांटिक सागर के ऊपर जल कर नष्ट हो गया था।
- इसरो ने पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों (**Reusable Launch Vehicles)** को विकसित करने की योजना बनाई है।
- इसके तहत **ISRO** ने **2007** में एक अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग और **2016** में टेक्नोलॉजी डेमन्स्ट्रेटर (**RLV-TD)** परीक्षण किया था।
- दक्षिणी प्रशांत महासागर में किसी भी उपयुक्त तट से **1,500** वर्ग किमी. दूर तक के क्षेत्र में अब तक **260** से भी अधिक उपग्रह नीचे आ चुके है।

समाधान

निष्क्रिय करना (Passivation) : एक अंतरिक्ष यान के Passivation का अर्थ है कि किसी मिशन के अथवा उपयोगिता के अंत में स्पेसक्राफ्ट में निहित किसी भी आंतरिक ऊर्जा स्रोत को हटा देना।

- **Design for Demise :** स्पेसक्राफ्ट की ऐसी सामग्री के साथ डिज़ाइनिंग जो वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर जल जाता है।
- डिओर्बिटिंग सिस्टम्स : अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के तहत किसी मिशन की अवधि के **25** वर्षों के भीतर उपग्रहों को नीचे लाना।
- सर्विसिंग के लिये डिजाइन: टूटे-फूटे भागो की किसी रोबोट या अंतरिक्ष यात्री द्वारा मरम्मत करना।
- **RemoveDEBRIS :** यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के स्पेस सेंटर के नेतृत्व में एक अन्वेषण के तहत **2** अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (**ISS)** के लिये **SpaceX** उड़ान को लॉन्च किया गया था।
- मई में इसे पृथ्वी की निम्न-कक्षा में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ यह एक छोटे से उपग्रह की सहायता से अंतरिक्ष मलबे को रिकैप्चर (पुनर्ग्रहण) कर लेगा। इसमें एक जाल के साथ लगे भालानुमा यंत्र द्वारा यह कार्य किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पर्यावरणीय घटनाक्रम

सुंदरबन के लिये रामसर टैग मिलने की संभावना

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुंदरबन संरक्षित वन क्षेत्र को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता हेतु आवेदन करने के लिये राज्य वन विभाग को मंज़ूरी प्रदान की गई। रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद सुंदरबन संरक्षित वन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड के रूप में पहचान प्राप्त होगी।

वेटलैंड्स क्या हैं?

- नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड (**wetland**) कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है।
- आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से होकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है।

रामसर कन्वेंशन

- रामसर (ईरान) में **1971** में हस्ताक्षरित वेटलैंड्स सम्मेलन एक अंतर-सरकारी संधि है, जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिये राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढाँचा उपलब्ध कराती है।
- वर्तमान में इस सम्मेलन में **158** करार करने वाले दल हैं और **1758** वेटलैंड्स स्थल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल **161** मिलियन हेक्टेयर है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल किया गया है।
- रामसर सम्मेलन विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के साथ काम करने वाली पहली वैश्विक पर्यावरण संधि है।

लाभ

- अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अलावा, रामसर टैग सुंदरबन को पर्यावरण-पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- यह बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करेगा क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र या उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिये किसी भी खतरे का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के एक आर्द्रभूमि की स्थिति प्रदान करना सुंदरबन के लिये न केवल गर्व का विषय होगा, बल्कि यह क्षेत्र में बहुत से अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं अध्ययन का भी विषय बन जाएगा।

मैंग्रोव वन

- यह एक सदाबहार झाड़ीनुमा या छोटा पेड़ होता है, जो तटीय लवण जल या लवणीय जल में वृद्धि करता है। इस शब्द का इस्तेमाल उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पतियों के लिये भी किया जाता है, जिसमें ऐसी ही प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- मैंग्रोव वन मुख्यतः **25** डिग्री उत्तर और **25** डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- यहाँ के मैंग्रोव वन भारत के लगभग **40** लाख और बांग्लादेश के **35** लाख लोगों को बंगाल की खाड़ी के साइक्लोनिक डिप्रेशन से उठने वाली लहरों के प्रभाव से बचाते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- बड़ी हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए ताज़े जल और उच्च लवणता वाला सुंदरबन का यह **'संगम क्षेत्र' (confluence zone)** जैव विविधता का एक केंद्र बना हुआ है, जो लगभग **4.5** मिलियन भारतीय लोगों को सहायता प्रदान कर रहा है।
- उल्लेखनीय है कि सुंदरवन सहित मैंग्रोव पेड़ ऐतिहासिक रूप से नौकाओं और पुलों के निर्माण में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की मदद करते रहे हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र ने बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ निवास करने के लिये आकर्षित किया है।

कोयला चालित विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण कम करने का नया तरीका

आईआईटी मद्रास स्थित शोधकर्त्ताओं के एक समूह ने कोयला चालित विद्युत संयंत्रों में बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदूषण को कम करने का एक नया तरीका खोज निकाला है। इस तरीके से न केवल रिएक्टर बेड से राख (ash) के ढेर को हटाया जा सकता है और कार्बन-डाइऑक्साइड के निर्माण को भी कम किया जा सकता है, बल्कि उप-उत्पाद (by-product) के रूप में सिनगैस का उत्पादन भी किया जा सकता है। सिनगैस कार्बन-मोनो-ऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसों का मिश्रण होती है जिसे विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- शोधकर्त्ताओं ने इस अध्ययन में कोल गैसीफिकेशन तकनीक का उपयोग किया जिसके अंतर्गत कोयले को सीमित ऑक्सीजन की आपूर्ति पर आंशिक रूप से जलाया जाता है।
- लगभग **100** डिग्री सेल्सियस पर कोयले की सारी नमी निकल जाती है।
- **300** से **400** डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर कोयले में फँसे नाइट्रोजन, मीथेन और कई अन्य ईंधन और हाइड्रोकार्बन्स के मिश्रण मुक्त हो जाते हैं।
- जब तापमान **800-900** डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचता है तो कोयले में उपस्थित कार्बन हवा में उपस्थित ऑक्सीजन एवं हवा के साथ सप्लाई की जाने वाली भाप के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है तथा कार्बन-मोनो-ऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन-डाइऑक्साइड का निर्माण करता है।
- हवा और भाप की मात्रा को नियंत्रित करके कार्बन-मोनो-ऑक्साइड और हाइड्रोजन की समुचित मात्रा का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकता है।
- इसके साथ ही कार्बन-डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीनहाउस गैस है, का उत्पादन सीमित किया जा सकता है।
- अध्ययन में यह पाया गया है कि उच्च राख युक्त भारतीय कोयलों में अधिक भाप का प्रवाह लाभदायक होता है। इस तरीके द्वारा भारतीय कोयले के प्रयोग से संबंधित प्रकिया में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सकता है।
- यहाँ तक कि इस तकनीक से ऑक्सीडाइज़र में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर उच्च कैलोरिफिक मूल्य की सिनगैस का उत्पादन किया जा सकता है, साथ ही उपयुक्त मात्रा में भाप की वृद्धि कर **H2–CO** अनुपात में सुधार लाया जा सकता है।
- शोधकर्त्ताओं ने यह भी दर्शाया कि भारतीय कोयले के साथ चावल भूसी जैसे बायोमास को मिलाने से उत्प्रेरण क्षमता में वृद्धि हो जाती है और गैसीफिकेशन प्रदर्शन में काफी सुधार आ जाता है।
- यह प्रक्रिया बिजली संयंत्रों में उपयोग के लिये भारतीय कोयले की आकर्षकता में सुधार करेगी।
- भारत में कोयला बड़ी मात्रा में उपलब्ध है लेकिन अधिक राख और न्यून ऊर्जा उत्पादन क्षमता के कारण इसे प्राथमिकता नहीं दी जाती है।
- भारतीय कोयला खानों के समीप ऐसे गैसीफिकेशन रिएक्टरों की स्थापना द्वारा ग्रामीण बिजली की आवश्यकता की भी पूर्ति की जा सकती है।

फोरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम संस्करण 2.0

भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पूरे देश में जंगल की आग को ध्यान में रखते हुए 'फोरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम संस्करण 2.0' लाया गया है और पूरी प्रक्रिया को स्वचालित बना दिया गया है (रात के समय अलर्ट सहित)।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारत का वन सर्वेक्षण (एफएसआई)

भारत का वन सर्वेक्षण (एफएसआई), पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है, जो देश के वन संसाधनों के आकलन और निगरानी के लिये ज़िम्मेदार है। इसके अलावा, यह प्रशिक्षण, अनुसंधान के विस्तारसंबंधी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

उद्देश्य

- वन क्षेत्र की द्विवार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिये, देश में नवीनतम वन आच्छादन का मूल्यांकन करना और इनमें परिवर्तनों की निगरानी करना।
- वन और गैर-वन क्षेत्रों में इन्वेंट्री का संचालन करने और वन ट्री संसाधनों पर डेटाबेस विकसित करना।
- हवाई तस्वीरों का उपयोग करते हुए विषयगत मानचित्र तैयार करना।
- वन संसाधनों पर स्थानिक डाटाबेस के संग्रह, संकलन, भंडारण और प्रसार के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- संसाधनों के सर्वेक्षण, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस आदि से संबंधित प्रौद्योगिकियों के आवेदन में वनों के कर्मियों के प्रशिक्षण का संचालन करना।
- एफएसआई में अनुसंधान एवं विकास के बुनियादी ढाँचें को मज़बूत करने और वनों की वानिकी तकनीक लागू करने के लिये अनुसंधान करना।
- वन संसाधनों के सर्वेक्षण, मानचित्रण और इन्वेंट्री में राज्य/यूटी वन विभागों (एसएफडी) का समर्थन करना।
- एसएफडी और अन्य संगठनों के लिये परियोजना आधार पर वानिकी संबंधित विशेष अध्ययन/परामर्श और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करना।

प्रमुख बिंदु

- एफएसआई की इस अभिनव प्रणाली की मदद से अग्रिम रूप से **10** से **12** सप्ताह तक जंगल की आग के विषय में आगाह किया जा सकेगा।
- एफएसआई जंगल के आग के संदर्भ में तीन पहलुओं पर काम कर रही है –
- नियर रियल टाइम में जंगल में आग की चेतावनी [**Near Real Time (NRT) Forest Fire alerts]**
- जंगल में आग से पूर्व चेतावनी (**Forest Fire Pre-warning alerts)**
- आग प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन (**Burnt scar studies)**

मध्य भारत में अगले 50 वर्षों में वर्षा में कमी आने का अनुमान

भारतीय मौसम वैज्ञानिकों द्वारा किये गए एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि अब से अगले 50 वर्षों में मध्य भारत क्षेत्र में वर्षा में काफी कमी आ सकती है। इसका मुख्य कारण निम्न दबाव प्रणालियों (Low Pressure Systems-LPS) के निर्माण में कमी आना हो सकता है जिनके कारण सामान्यतः इस क्षेत्र में वर्षा होती है।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययन के अनुसार मध्य भारतीय क्षेत्र निम्न दबाव क्षेत्रों के निर्माण की आवृत्ति में **45** प्रतिशत की गिरावट आएगी जिससे यहाँ वर्षण में कमी आ सकती है जबकि यह वर्षा सिंचित क्षेत्र है।
- वर्षा की मात्रा में गिरावट का अनुभव **2065** से **2095** के मध्य के दशकों में किया जाएगा।
- निम्न दबाव क्षेत्रों का निर्माण बंगाल की खाड़ी में होता है। वहाँ से ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तरफ गमन करते हैं। यह क्षेत्र कोर मानसून ज़ोन कहलाता है।
- वर्षा में इस कमी का एक प्रमुख कारण मानसून काल के समय अरब सागर से आने वाली नमी युक्त पछुआ पवनों में होने वाली वृहद् स्तरीय कमी हो सकता है। इन्हें मानसून परिसंचरण (**monsoon circulations)** कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन पछुआ पवनों का आगे की ओर प्रस्थान के समय अपने सामान्य ट्रैक से उत्तर की ओर स्थानांतरण भी हुआ है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

मेघालय के प्राकृतिक संसाधनों के लिये विश्व बैंक से प्रोत्साहन

भारत ने मेघालय कम्युनिटी-लेड लैंडस्केप्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (Community-led Landscapes Management Project) के लिये विश्व बैंक (World Bank) के साथ 48 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिये एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।

उद्देश्य

- इस परियोजना का उद्देश्य मेघालय राज्य में चुनिन्दा भू-दृश्यों में सामुदायिक-लेड लैंडस्केप्स प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।
- इस प्रोजेक्ट को राज्य के तीन प्रमुख जनजातीय समुदायों खासी, गारो और जयंतिया (**Khasi, Garo and Jaintia**) द्वारा वनों और प्राकृतिक संसाधनों को प्रथागत कानूनों (**customary laws**) के ज़रिये प्रबंधित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

परियोजना के तीन घटक हैं

I. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हेतु ज्ञान और क्षमता सुदृढ़ता।
II. समुदाय संचालित भू-दृश्य नियोजन एवं कार्यान्वय।
III. परियोजना प्रबंधन एवं प्रशासन।

इसके लाभ क्या-क्या होंगे?

- इस परियोजना से मेघालय की तकरीबन **1,00,000** ग्रामीण आबादी को लाभ पहुँचने की संभावना है। साथ ही प्रौद्योगिकी के उपयोग से करीबन **30,000** युवाओं में क्षमता विकास के साथ-साथ उनके लिये रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।
- मेघालय के जंगलों को 'अवर्गीकृत जंगलों' **(unclassified forests)** के रूप में नामित किया गया है। जंगलों का अधिकांश भाग अभी तक किसी भी प्रकार से राजकीय संस्थानों से तकनीकी अथवा वित्तीय सहायता से अछूता है। इसके अलावा, राज्य में जल प्रबंधन के लिये भी कोई संस्थान या कानूनी संरचना मौजूद नहीं है।
- वनों की तरह जल निकायों, नदियों और स्प्रिंग्स को भी सामान्य संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इतना ही नहीं इनका प्रबंधन भी पारंपरिक आदिवासी संस्थानों द्वारा किया जाता है। लेकिन उनमें से कुछ गैर-वैज्ञानिक तरीके से कोयला और चूना पत्थर खनन के कारण प्रदूषित हो रहे हैं।
- इस परियोजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये **30** जून, **2023** की समयसीमा निर्धारित की गई है।
- इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाँच वर्षों की अवधि में 'अत्यधिक संकटमय' और 'संकटमय' परिदृश्यों में स्थित लगभग **400** गाँवों को विशेष रूप से प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- लैंडस्केप योजना और निवेश क्षेत्र के स्तर पर प्रभावी कार्य करने के लिये इन स्थानीय समुदायों और परियोजना प्रबंधन कर्मचारियों के लिये वृहद् प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

जलवायु परिवर्तन का अटलांटिक महासागर पर प्रभाव

नेचर पत्रिका में छपे एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब अटलांटिक महासागर पर भी दिखने लगा है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तरी गोलार्द्ध के उच्च अक्षांशों में गर्म हवाओं का संचलन करने वाले अटलांटिक महासागरीय संचरण की गति धीमी हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में इस परिघटना के गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- इस अध्ययन के मुताबिक़ अटलांटिक मेरीडिओनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (**Atlantic Meridional Overturning Circulation-Amoc)** में **20**वीं सदी के मध्य से अब तक लगभग **15** फीसद तक की कमी आई है।
- अटलांटिक में जल-स्तर में प्रति सेकंड करीब **30** लाख क्यूबिक मीटर की कमी आ रही है**,** जो कि लगभग **15** अमेज़न नदियों के बराबर है।
- यह संचरण पश्चिमी यूरोप में समशीतोष्ण मौसम के लिये आंशिक तौर पर ज़िम्मेदार है और मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा इन परिवर्तनों को उत्तर अटलांटिक महासागर में हाल ही में ग्रीष्म ऋतु में आई हीट वेव से जोड़ा जा रहा हैं।

क्या है AMOC?

- **AMOC,** गर्म जल को विषुवत रेखा से ऊपर की ओर अटलांटिक महासागर के उत्तरी छोर तक ले जाता है और गहरे समुद्र के माध्यम से ठंडे जल को वापस लाता है।
- **AMOC** परिसंचरण महासागर के जल की लवणता और तापमान प्रवणताओं से संचालित होने वाली महासागरीय धाराओं की एक वृहद् वैश्विक प्रणाली का एक हिस्सा है।
- गर्म पानी अटलांटिक में उत्तर की ओर प्रवाहित होता है और ठंडा होता जाता है। चूँकि ठंडा और लवणीय जल का घनत्व अधिक होता है इसलिये डीप ओशन के माध्यम से यह वापस दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है। इस परिसंचरण की तुलना एक कन्वेयर बेल्ट से की जा सकती है।

AMOC में परिवर्तन का कारण?

- जानकारों के अनुसार इस परिवर्तन की मुख्य वज़ह ग्रीनलैंड में ग्लेशियरों का टूटना हो सकता है। इसकी एक अन्य वज़ह जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में जल स्तर में परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
- हालाँकि, कुछ शोधकर्त्ताओं का कहना है कि इस तरह के परिवर्तनों की पहले से ही आशंका जताई जा रही थी। लेकिन इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया था।
- जलवायु परिवर्तन का महासागरीय धाराओं पर प्रभाव की समुचित व्याख्या करना जटिल और मुश्किल काम है**,** जिसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है।
- **AMOC** पिछले करीब **150** वर्षों से धीमा होता जा रहा है और अब भी ऐसा होना जारी है। पिछले **100** वर्षों में तो यह अपने निम्नतम स्तर तक पहुँच गया है।
- एक अन्य शोध के मुताबिक़ **1850** तक इसमें परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से हुआ था किंतु औद्योगिक क्रांति के दौरान इसमें परिवर्तन तेज़ होता गया।

हैदराबाद शहर की संपूर्ण छत-आधारित सौर क्षमता के दोहन की योजना

हैदराबाद में हुए एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि शहर की कुल छत-आधारित सौर क्षमता (Rooftop Solar potential) के समुचित दोहन द्वारा वहाँ की ऊर्जा आवश्यकता में लगभग 15 प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है।

छत पर लगे सौर ऊर्जा पैनलों के लाभ

- बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के विपरीत**,** इसे इमारतों की छतों पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है।
- यह कंपनियों और आवासीय क्षेत्रों को ग्रिड द्वारा प्रदान की गई बिजली के स्रोत का विकल्प प्रदान करता है।
- इसका मुख्य लाभ पर्यावरण की दृष्टि से है**,** क्योंकि इससे जीवाश्म-ईंधन से उत्पन्न ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हो जाती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- छतों-आधारित सौर ऊर्जा उन जगहों पर ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ा सकती है, जहाँ इसे स्थापित करना कठिन है।
- इससे उन क्षेत्रों में भी बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है जो अभी तक ग्रिड से जुड़े नहीं हैं या जहाँ विद्युत स्टेशनों एवं विद्युत लाइनों को स्थापित करना मुश्किल है।

इसे व्यापक रूप से क्यों नहीं अपनाया जा सका है ?

- छत-आधारित सौर ऊर्जा के साथ प्रमुख समस्या आपूर्ति में परिवर्तनशीलता है।
- सौर पैनलों की दक्षता इस पर निर्भर करती है कि सूर्य का प्रकाश किस दिन कितना उज्ज्वल है।
- ये रात में ऊर्जा उत्पादन नहीं कर सकते हैं।
- इनके रख-रखाव से संबंधित खर्च अभी भी अधिक है जो इनके व्यापक प्रयोग में बाधा उत्पन्न करता है।
- सोलर सैलों की दक्षता केवल **20-40** प्रतिशत है जो काफी कम है।

पेरिस जलवायु समझौता एवं सीमेंट क्षेत्र

कार्बन प्रकटीकरण परियोजना (सीडीपी) द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट 'बिल्डिंग प्रेशर' के अनुसार- पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमेंट कंपनियों को अपने कार्बन उत्सर्जन के स्तर में दोगुने से भी अधिक की कमी करनी होगी।

प्रमुख बिंदु

- पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सीमेंट क्षेत्र को अपने उत्सर्जन में शीघ्र कटौती करने की आवश्यकता है।
- वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सीमेंट क्षेत्र का योगदान लगभग **6** प्रतिशत है।
- सीमेंट, दूसरा सबसे प्रदूषित औद्योगिक उत्पाद है जिसका मुख्यतया अवसंरचना निर्माण में प्रयोग किया जाता है।
- सीमेंट दुनिया में पानी के बाद सबसे अधिक खपत वाला उत्पाद है।
- कार्बन प्रकटीकरण परियोजना (सीडीपी) द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट 'बिल्डिंग प्रेशर' के अनुसार अभी तक सीमेंट क्षेत्र के लिये विनियमन बहुत ही कम एवं उदार हैं, किंतु कम कार्बन की मात्रा वाले शहरों के विकास और कड़े निर्माण विनियमों की श्रृंखला के कारण इनमें परिवर्तन अपेक्षित है।
- कार्बन प्रकटीकरण परियोजना (सीडीपी) एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संस्था है, जो कंपनियों और सरकारों को अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जल संसाधनों और जंगलों की सुरक्षा करने का कार्य करती है।

नई तकनीकें (New technologies)

- कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (**Carbon Capture and Storage**) कम कार्बन वाली सीमेंट बनाने की एक महत्त्वपूर्ण तकनीक है, परंतु यह परियोजना अभी भी इस क्षेत्र में पायलट चरण में है।
- सीमेंट कंपनियों को वैकल्पिक सामग्री और ईंधन का उपयोग करने, अपने सयंत्रों की क्षमता में सुधार करने और कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों में तेज़ी से निवेश करना चाहिये।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

ई-कचरा संकट से निपटने हेतु दुनिया की पहली माइक्रोफैक्ट्री

ऑस्ट्रेलिया स्थित भारतीय मूल की वैज्ञानिक वीना सहजवाला ने दुनिया की पहली ऐसी माइक्रोफैक्ट्री बनाई है जो स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि के ई-कचरे को पुनरुपयोगी मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित कर सकती है। इस खोज के बाद दिनों-दिन बढ़ते जा रहे ई कचरे के ढेरों के निपटान में सहायता मिल सकती है।

क्या होती है माइक्रोफैक्ट्री?

- माइक्रोफैक्ट्री एक या कई छोटी-छोटी मशीनों और उपकरणों की श्रृंखला होती है जो पेटेंटयुक्त तकनीकों के द्वारा अपशिष्ट उत्पादों को नए और उपयोग में लाए जा सकने वाले संसाधनों में परिवर्तित कर सकती है।

प्रमुख बिंदु

- इसे न्यू-साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में विकसित किया गया है।
- यह माइक्रोफैक्ट्री विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं (**consumer goods**) से संबंधित कचरे जैसे ग्लास, प्लास्टिक, लकड़ी आदि को वाणिज्यिक सामग्री और उत्पादों में परिवर्तित कर सकती है।
- उदहारण स्वरूप इससे कंप्यूटर सर्किट बोर्डों को तांबे और टिन जैसी धातुओं में परिवर्तित किया जा सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ऐसी माइक्रो सामग्रियों में परिवर्तित किया जा सकता है जिनका **3**डी प्रिंटिंग हेतु औद्योगिक स्तरीय सिरेमिक और प्लास्टिक फिलामेंट्स में प्रयोग किया जाता है।
- इस तरह की माइक्रोफैक्ट्री को **50** वर्ग मीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। अतः इन्हें कचरे के ढेरों के समीप आसानी से स्थापित किया जा सकता है।

प्रक्रिया

- एक माइक्रोफैक्ट्री जो बेकार कंप्यूटर, मोबाइल फोन, प्रिंटर आदि का पुनर्चक्रीकरण करती है, वह इस हेतु बहुत सारे छोटे मॉड्यूलों का उपयोग करती है जो एक छोटी-सी जगह में आसानी से फिट हो जाते हैं।
- सबसे पहले बेकार उपकरणों को विघटन हेतु मॉड्यूल में रखा जाता है।
- अगले स्तर पर एक अन्य मॉड्यूल के अंतर्गत एक विशेष रोबोट द्वारा उपकरण के उपयोगी हिस्सों की पहचान की जाती है।
- अगले चरण में एक अन्य मॉड्यूल जो एक छोटी भट्टी (**furnace**) की सहायता से नियंत्रित तापमान प्रक्रिया द्वारा उपकरण के हिस्सों को मूल्यवान सामग्रियों (**valuable materials**) में परिवर्तित कर देता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation